RNI No. : MPHIN/2010/38129 MP/IDC/1375/2017-19 www.hariyalikerastey.com

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 10 » अंक : 1 » नवंबर 2019 » मूल्य : 40 रु.

Email : hariyalikeraste2010@gmail.com

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

किसान क्रेडिट कार्ड | कृषि यंत्र के लिए ऋण | खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण

श्री आर.आर. सिंह
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री भूपेन्द्र सिंह
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री मुकेश श्रीवास्तव
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

श्रीमती उषा सक्सेना
(अध्यक्ष : सीसीबी सीहोर)

सौजन्य से

श्री कैलाश तिवारी (शा.प्र. शाहगंज)
श्री मनोज विजयवर्गीय (शा.प्र. बुधनी)
श्री गजेन्द्र दुबे (शा.प्र. नसरुल्लागंज)
श्री उदयसिंह ठाकुर (शा.प्र. जावर)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बांसा, जि.सीहोर
श्री दिलीपसिंह राजपूत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बुधनी, जि.सीहोर
श्री संजयसिंह तोमर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जोशीपुर, जि.सीहोर
श्री संजयसिंह तोमर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. माथनी, जि.सीहोर
श्री मिश्रीलाल मालवीय (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. शाहगंज, जि.सीहोर
श्री दशरथ यादव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बनेटा, जि.सीहोर
श्री नीरज पांडे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सत्रामऊ, जि.सीहोर
श्री राज मीणा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सरदार नगर, जि.सीहोर
श्री नेमीचंद शर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जवाहरखेड़ा, जि.सीहोर
श्री रघुराज चौहान (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बोरखेड़ाकलां, जि.सीहोर
श्री कैलाश पंवार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चींच, जि.सीहोर
श्री मोहनलाल पंवार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. डीमावर, जि.सीहोर
श्री दिनेश कुमार यादव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. राला, जि.सीहोर
श्री अरुण कुमार यादव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सतराना, जि.सीहोर
श्री राजेन्द्र बाब (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. तिलाड़िया, जि.सीहोर
श्री कृपाराम मालवीय (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मुरावर, जि.सीहोर
श्री इन्दरसिंह पवार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कजलास, जि.सीहोर
श्री नियाज मोहम्मद (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जावर, जि.सीहोर
श्री इन्दरसिंह ठाकुर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. भवरीकलां, जि.सीहोर
श्री जितेन्द्र जैन (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 10 » अंक : 1 » नवंबर 2019 » मूल्य : 40 रु.

» विशेष संरक्षक : जूनापीठाधीश्वर
आचार्य महामंडलेश्वर अनन्त श्री विभूषित
स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज
» संरक्षक : विष्णु नारायण त्रिपाठी
» प्रधान संपादक : बृजेश त्रिपाठी
» प्रबंध संपादक : अर्चना त्रिपाठी
» सलाहकार मंडल :
व्ही.जी. धर्माधिकारी (सेवानिवृत सचिव एवं आयुक्त सहकारिता)
एल.डी. पंडित (सहकारी विशेषज्ञ)
सुशील मिश्र (पूर्व अपर आयुक्त सहकारिता)
मणिशंकर उपाध्याय (कृषि विशेषज्ञ)
एम.एस. भटनागर (कृषि रत्न, बीज विशेषज्ञ, सलाहकार बीज संघ)
सुरेशचंद्र ताम्रकर (वरिष्ठ पत्रकार)
डॉ. आर.ए. शर्मा (पूर्व डीन, कृषि महाविद्यालय, इंदौर)
डॉ. वी.एन. श्रॉफ (कृषि वैज्ञानिक)
यशोवर्धन पाठक (व्याख्याता जबलपुर)
पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक' (अध्यक्ष, म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद)
डॉ. राजीव शर्मा (प्रोफेसर एवं कवि, इंदौर)
डॉ. भरत शर्मा (समाजसेवी)
हरप्रसाद मोदी (वरिष्ठ पत्रकार, झाँसी-ललितपुर)
अरुण के. बंसल (फ्यूचर पॉइंट प्रा.लि., नई दिल्ली)
पं. रतन वशिष्ठ (ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक)
लेफ्टिनेंट कर्नल अजय (वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य)
कैप्टन (डॉ.) लेखराज शर्मा (ज्योतिषाचार्य)
» विशेष संवाददाता
इंदौर-उज्जैन संभाग : परीक्षित शर्मा (मो. 9893314718)
भोपाल संभाग : आलोक मालवीय (मो. 9806750146)
होशंगाबाद संभाग : धनराज मालवीय (मो. 9827744248)
छत्तीसगढ़ (रायपुर) : पी.एल. चुरहे (मो. 7389652211)
» प्रकाशक : बृजेश त्रिपाठी
306/ए-ब्लॉक, शहनाई-II रेसीडेंसी, कनाड़िया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 8989991569, 9752558186
» लेआउट-डिजाइन : नितिन पंजाबी (मो. 9893126800)
ई-मेल : nitinpunjabi5@gmail.com
» मुद्रक : वी.एम. ग्राफिक्स
के-29, एल.आय.जी. कॉलोनी, इंदौर

9
मुक्त व्यापार समझौते की मुश्किलें

12
जनता के सेवक कमलनाथ

17
भारतीय संस्कृति का जगमगाता दीप मध्यप्रदेश

21
सहकारिता एक लोकतांत्रिक आंदोलन

24
ग्रामीण विकास में योगदान देती सहकारी समितियाँ

43
गेहूँ की नवीन उत्पादन तकनीक

51
नवंबर माह के कृषि कार्य

76
जीरो के सदमे से उबरी अनुष्का

संपादकीय

आपका सहयोग, हमारा सम्बल

हमारे किसान भाई अनेक मुश्किलों का मुकाबला करने के बाद अनाज पैदा करते हैं। कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि तो कभी ओलावृष्टि और कभी पाले से पाला पड़ता है। अफसोस तो तब होता है, जब इतनी मुश्किलों से पैदा की गई फसलों का वाजिब दाम नहीं मिलता। कैसी विडम्बना है कि सबको अपने उत्पाद का मूल्य तय करने का हक है, मगर किसान की उपज का मूल्य सरकार तय करती है। पिछले दिनों उत्तरप्रदेश के किसानों ने इस मुद्दे पर जोरदार आंदोलन किया और इस अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की। मुरादाबाद में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए और तय किया कि हमारी फसलों का दाम हम तय करेंगे। किसानों ने गन्ने का मूल्य 435 रु. क्विंटल तय किया है, जबकि सरकारी खरीदी मूल्य 325 रु. क्विंटल है। किसानों का तर्क भी वाजिब है। उन्हें खेती में लगने वाली सभी चीजें जैसे खाद, बीज, कीटनाशक वगैरह उत्पादकों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर खरीदनी पड़ती है, फिर उन्हें अपनी उपज का मूल्य तय करने की आजादी क्यों नहीं है। हमारी उपज का मूल्य सरकार क्यों तय करे? सरकार बिजली और पानी की दर खुद तय कर किसानों को देती है। यह कैसा न्याय है। पिछले कुछ वर्षों से खेती का लागत मूल्य लगातार बढ़ रहा है। प्राकृतिक झंझावातों से निपटने के बाद जो कृषि उपज मिलती है उसका वाजिब दाम नहीं मिलने से खेती घाटे का धंधा बनती जा रही है। राजनेता चुनाव पूर्व सदैव किसानों को प्रलोभन देते रहते हैं, मगर उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान कोई नहीं करता। इसलिए किसानों का आंदोलित होना कतई गैर वाजिब नहीं है। खाद, बीज, कीटनाशक के मुँहमाँगे दाम देने के बावजूद अक्सर ये अमानत निकल जाते हैं। मध्यप्रदेश में ही पिछले छः माह में किसानों ने अमानक बीज बेचने वालों के खिलाफ 2 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज कराई। राहत की बात है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान देकर अमानक वस्तुएँ बेचने वालों के खिलाफ कदम उठाने की पहल की है। कृषि और सहकारिता विभाग मिलकर इस मामले में कार्रवाई करेंगे। हर जिले में जाँच के लिए लैब खोलने और जाँच समिति बनाने का फैसला कितना किसान हितैषी साबित होगा, यह तो समय ही बताएगा। बहरहाल, इस तरफ शासन की पहल एक स्वागत योग्य कदम कही जा सकती है। कृषि और सहकारिता चूँकि एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दोनों मिलकर ही इस समस्या का कोई समाधान कर सकते हैं। अधिकांश कृषि उपयोगी सामान सहकारिता के माध्यम से ही किसानों तक पहुँचता है। अमानक खाद-बीजों के कारण देश को हर वर्ष बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। कर्ज में डूबे किसानों की तो ऐसे में कमर ही टूट जाती है। हर साल की तरह इस वर्ष भी 14 से 20 नवंबर तक प्रदेश में सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। सहकारिता सप्ताह में सहकारिता के प्रति जन जागरूकता के प्रयास तो लाजमी हैं ही, अगर इस दौरान अमानक खाद-बीजों, कीटनाशकों को लेकर भी कोई पहल हो तो सप्ताह की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। खेती और सहकारिता के क्षेत्र में जन जागरूकता के मकसद से हमने नौ वर्ष पूर्व **'हरियाली के रास्ते'** मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी। हमारे इस प्रयास को अच्छा प्रतिसाद मिला और दसवें वर्ष में प्रवेश करते हुए आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं। इस कार्य में सहयोग और सहभागिता के लिए हम अपने सभी स्नेहियों के हृदय से कृतज्ञ हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कृषि और सहकारिता से जुड़ी समस्याओं के प्रति भविष्य में भी निष्ठापूर्वक अपने प्रयास जारी रखेंगे। कृषि और सहकारिता से संबंधित अद्यतन खबरें तथा आलेख आप तक पहुँचाते रहेंगे। साथ ही आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमेशा की तरह अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिये। आपका सहयोग और शुभकामनाएँ ही हमारा संबल है।

राजेश त्रिपाठी

कमल नाथ
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल-462004

शुभकामना संदेश

बड़े ही हर्ष का विषय है कि कृषि, सहकारिता और स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के अपने नौ वर्ष पूर्ण कर दसवें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है।

उक्त संग्रहणीय विशेषांक में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर प्रकाशित लेख, संस्मरण एवं रचनाएँ रुचिकर होने के साथ ही शिक्षाप्रद भी होगी तथा कृषि और सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी साबित होगी।

विशेषांक की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(कमल नाथ)

डॉ. गोविंद सिंह
मंत्री
सहकारिता, संसदीय कार्य
एवं सामान्य प्रशासन विभाग
मध्यप्रदेश शासन

निवास : बी-28, 74 बंगले
स्वामी दयानंद नगर,
भोपाल-462003

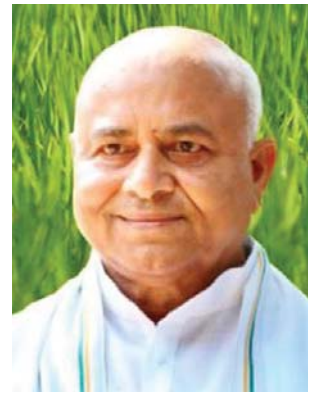

शुभकामना संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' अपने सफलतम 9 वर्ष पूर्ण कर 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। इस अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

इन 9 वर्षों में 'हरियाली के रास्ते' ने अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों में एक अलग पहचान बनाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी पत्रिका अपनी परंपरा और विश्वसनीयता को बनाए रखेगी।

शुभकामनाओं सहित।

(डॉ. गोविंद सिंह)

पी.सी. शर्मा
मंत्री
विधि एवं विधायी कार्य,
जनसम्पर्क, विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी, विमानन, धार्मिक
न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मध्यप्रदेश शासन

निवास : बी-4, चार इमली
भोपाल
दूरभाष : 0755-2464232

शुभकामना संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 'हरियाली के रास्ते' विगत कई वर्षों से निरंतरता के साथ प्रकाशित हो रही है।

आपकी पत्रिका के माध्यम से कृषि, सहकारिता, स्थानीय प्रशासन एवं जन उपयोगी कल्याणकारी योजनाओं के विषयक सामयिक विषयों से एवं जन हितैषी सूचनाओं से समाज को लाभान्वित करते आ रहे हैं।

पत्रिका के दसवें वर्ष में प्रवेशांक को विशेषांक के रूप में प्रकाशित किये जाने पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

(पी.सी. शर्मा)

सज्जन सिंह वर्मा
मंत्री
लोक निर्माण, पर्यावरण
मध्यप्रदेश शासन

निवास : बी-10, चार इमली
भोपाल (म.प्र.)

शुभकामना संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' नवंबर 2019 में अपने प्रकाशन के दसवें वर्ष में प्रवेश कर रही है। पत्रिका में कृषि , सहकारिता और स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित सामग्री समय-समय पर प्रकाशित हो रही है जिससे इन क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिला है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि पत्रिका द्वारा प्रकाशित 'सहकारिता विशेषांक 2019' में भी जनोपयोगी आलेख प्रकाशित होंगे।

इस विशेषांक के सफल प्रकाशन पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

(सज्जनसिंह वर्मा)

तुलसी राम सिलावट
मंत्री
लोक स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश शासन

कार्यालय : ई-311, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल (मप्र)
दूरभाष : 0755-2708767

शुभकामना संदेश

बड़े ही हर्ष का विषय है कि कृषि, सहकारिता और स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के अपने नौ वर्ष पूर्ण कर दसवें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। उक्त संग्रहणीय विशेषांक में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर प्रकाशित लेख, संस्मरण एवं रचनाएँ रुचिकर होने के साथ ही शिक्षाप्रद भी होगी। विशेषांक की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(तुलसीराम सिलावट)

कमलेश्वर पटेल
मंत्री
पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

वल्लभ भवन, एनेक्सी-3
कक्ष क्र. डी-507 मंत्रालय
भोपाल-462004 (मप्र)
दूरभाष : 0755-2443977
0755-2708850

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कृषि, सहकारिता और अन्य विषयों पर केन्द्रित मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' नवंबर 2019 में अपने 9 वर्ष पूर्ण कर 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर 'सहकारिता विशेषांक 2019' का प्रकाशन भी किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उक्त पत्रिका में कृषकों व कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए तथा ग्रामीणों के अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में समय-समय पर उपयोगी सामग्री का प्रकाशन किया जाएगा।

'हरियाली के रास्ते' पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(कमलेश्वर पटेल)

जीतू पटवारी
मंत्री
खेल एवं युवक कल्याण
उच्च शिक्षा
मध्यप्रदेश शासन

डी-13, 74 बंगला
भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष : 0755-2766479

शुभकामना संदेश

सर्वप्रथम राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' परिवार को अपने प्रकाशन के नौ वर्ष पूर्ण कर दसवें वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई। इस पत्रिका ने समय-समय पर कृषि, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अनेक विषयों पर सारगर्भित सामग्री प्रकाशित की है जो कि जनोपयोगी साबित हुई है। मैं 'हरियाली के रास्ते' पत्रिका के सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर शुभकामनाएँ देता हूँ।

(जीतू पटवारी)

सचिन सुभाष यादव
मंत्री
किसान कल्याण तथा
कृषि विकास, उद्यानिकी एवं
खाद्य प्रसंस्करण
मध्यप्रदेश शासन

भोपाल

शुभकामना संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' द्वारा अपने सफलतम 9 वर्ष पूर्ण कर 10वें वर्ष में प्रवेश करने पर 'सहकारिता विशेषांक 2019' का प्रकाशन किया जा रहा है।

मुझे आशा है कि प्रकाशित किये जा रहे विशेषांक में मध्यप्रदेश के स्वर्णिम विकास के लिए शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा।

विशेषांक के सफल प्रकाशन की शुभकामनाओं के साथ।

(सचिन सुभाष यादव)

एम.के. अग्रवाल
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाएँ,
मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, म.प्र.
विंध्याचल भवन, भोपाल
दूरभाष : 0755-2551513

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' अपने प्रकाशन के दसवें वर्ष में प्रवेश कर रही है। कोई भी प्रकाशन लंबे समय तक सफलतापूर्वक तभी कार्य कर सकता है जब उसके द्वारा प्रकाशित सामग्री समसामयिक एवं उपयोगी हो। 'हरियाली के रास्ते' पत्रिका में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि एवं सहकारिता से संबंधित उपयोगी जानकारियाँ प्रकाशित होती रही हैं। पत्रिका भविष्य में भी उपयोगी विशेषांक प्रकाशित कर कृषि एवं सहकारिता के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन करती रहेगी। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि यह पत्रिका उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो।

(एम.के. अग्रवाल)

प्रदीप नीखरा
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या.
भोपाल

अपेक्स बैंक

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कृषि, सहकारिता और अन्य विषयों पर केन्द्रित मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' नवंबर 2019 में अपने 9 वर्ष पूर्ण कर 10वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर 'सहकारिता विशेषांक 2019' का प्रकाशन भी किया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उक्त पत्रिका में शासन की कृषक हितैषी कल्याणकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्रदेश में कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों को जन-जन तक पहुँचाने हेतु महती भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। पुनः बधाई स्वीकारें।

(प्रदीप नीखरा)

मुक्त व्यापार समझौते की मुश्किलें

» डॉ. भरत झुनझुनवाला
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के नेतृत्व में आकार ले रहे मुक्त व्यापार संगठन रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसेप से बाहर रहने का निर्णय लिया। पूर्वी एशिया के देशों द्वारा आसियान नाम से बने संगठन में इंडोनेशिया, थाइलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, ब्रूनेई, कंबोडिया और लाओस समेत कुल दस शामिल हैं। 2010 में चीन भी इससे जुड़ गया। 2010 में चीन और आसियान देशों के बीच व्यापार का संतुलन आसियान के पक्ष में था। ये चीन से आयात कम और उसे निर्यात अधिक करते थे। व्यापारिक मोर्चे पर आसियान को 53 अरब डॉलर की बढ़त हासिल थी, मगर 2016 तक तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तब तक आसियान का चीन को होने वाला निर्यात घट गया और आयात बढ़ गया। आसियान को 54 अरब डॉलर का घाटा होने लगा। आसियान देशों को चीन के साथ समझौता करने से नुकसान हुआ।

बाद में आसियान से चीन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया भी जुड़ गए। इस जुडाव को आरसेप का नाम दिया गया। आरसेप व्यापार समझौते का हिस्सा बनते ही भारत में पूर्वी एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों के साथ मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू हो जाती और इन देशों की वस्तुएं बगैर आयात कर के भारतीय बाजार में प्रवेश कर जातीं। तमाम भारतीय संगठनों का मानना है कि आरसेप के कारण भारत में सस्ते आयात बढ़ते और पहले से मुश्किल में फंसे किसानों की परेशानी और बढ़ती। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर खुद आसियान देशों का यही अनुभव रहा है।

भारत को आरसेप में ही नहीं, बल्कि विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत उन्हीं देशों के साथ वस्तुओं का मुक्त व्यापार समझौता करेगा, जिनके साथ सेवाओं के मुक्त व्यापार का भी समझौता होगा। इससे भारत चीन से सस्ते बल्ब का आयात कर सकेगा और सिनेमा इत्यादि का निर्यात कर सकेगा। तब यह मुक्त व्यापार समझौता हमारे लिए लाभप्रद होगा।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि मुक्त व्यापार नुकसानदेह क्यों साबित हो रहा है? मुक्त व्यापार के तहत किसी वस्तु का उत्पादन वही देश करे, जहां वह सबसे सस्ती दर पर बनाई जा सकती है। मसलन, चीन में सीएफएल बल्ब और भारत में एंटीबायोटिक दवाएं। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को चीन में बने सस्ते बल्ब मिलेंगे और चीनी उपभोक्ताओं को भारत

में बनी सस्ती दवाएं। दोनों देशों के उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलने से उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा। किंतु आसियान को इस तरह का लाभ नहीं हुआ। दरअसल यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक देश को किसी वस्तु के निर्माण में महारत हासिल हो। जैसे कक्षा में छात्रों के साथ होता है। कई छात्र कई विषयों में प्रवीण होते हैं तो कई छात्र किसी एक विषय में भी ठीक नहीं होते। ऐसे पिछड़े छात्रों के लिए प्रतिस्पर्द्धा नुकसानदेह हो जाती है। इसी प्रकार कई देश किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं कर पाते और कमजोर होते जाते हैं। उनके उपभोक्ताओं को विदेश में बना सस्ता माल अवश्य मिल जाता है, लेकिन घरेलू उत्पाद दबाव में आ जाते हैं। दूसरी समस्या है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मुक्त व्यापार में नहीं शामिल किया जाता। जैसे भारत में सॉफ्टवेयर, अनुवाद कार्य और सिनेमा इत्यादि किफायती होने के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, लेकिन आरसेप के तहत केवल वस्तुओं को शामिल किया गया और सेवाओं को इससे बाहर रखा गया। जिन उत्पादित वस्तुओं के मामले में भारत कमजोर है, उनके व्यापार की राह तो खोल दी जाएगी, किंतु जहां भारत सुदृढ़ है, वहां अवरोध बना रहेगा। इसलिए आरसेप भारत के लिए नुकसानदेह है।

इससे जुड़ी तीसरी समस्या छोटे और बड़े उद्योगों की है। मुक्त व्यापार से बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होता है, क्योंकि वे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकती हैं। फलस्वरूप छोटे उद्योग दबाव में आ जाएंगे। अपने देश में इसका उदाहरण जीएसटी के रूप में देखा जा सकता है।

जीएसटी के बाद बड़े उद्योगों का दबदबा और बढ़ा है, जबकि छोटे उद्योग और दबाव में आ गए हैं। आरसेप के तहत चीनी कंपनियों का दबदबा कायम होगा और भारतीय छोटे उद्यमों पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। छोटे उद्योगों द्वारा ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इस लिहाज से भी आरसेप आम आदमी और किसानों के लिए नुकसानदेह था। इन तीन कारणों से मुक्त व्यापार सिद्धांत नाकाम हो जाता है। ऐसे में भारत का इससे बाहर रहने का फैसला उचित है।

हालांकि यह भी सही है कि मुक्त व्यापार से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है और उद्यमियों की कार्यकुशलता एवं क्षमताएं बेहतर होती हैं। ऐसे में सरकार के सामने अब यही चुनौती है कि आरसेप से बाहर रहकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। हमें चिंतन करना होगा कि चीन इतना सस्ता माल बनाने में कैसे सक्षम है? इसकी पहली वजह चीन में श्रम कानूनों का कमजोर होना है। दूसरी वजह चीन में सकारात्मक भ्रष्टाचार है। यानी वहां भ्रष्टाचार के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। सरकार को चाहिए कि श्रम कानूनों को नरम बनाए, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर नकेल कसे। चीन का माल सस्ता होने के और भी कारण हैं। जैसे वहां औद्योगिक प्रदूषण को लेकर भारत जितनी सख्ती नहीं है। भारत में उत्पादन लागत ज्यादा होने की एक वजह यह भी है।

प्रदूषण पर रोक के कारण भारत में उत्पादन लागत ज्यादा होने को हमें स्वीकार करना चाहिए और अपनी प्रतिस्पर्द्धा क्षमता बनाए रखने के लिए दूसरे देशों पर यह दबाव डालना चाहिए कि वे भी पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं, क्योंकि धरती का पर्यावरण हम सबकी साझा विरासत है। यदि हम श्रम कानूनों और भ्रष्टाचार के मसले पर रवैया सुधार लें तथा पर्यावरण को लेकर दूसरे देशों पर दबाव डालें तो हमारा माल भी दूसरे देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनेगा और तब हमें मुक्त व्यापार समझौते के अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे।

भविष्य के लिए दूसरा विषय सेवा क्षेत्र का है। भारत को आरसेप में ही नहीं, बल्कि विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ में भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत उन्हीं देशों के साथ वस्तुओं का मुक्त व्यापार समझौता करेगा, जिनके साथ सेवाओं के मुक्त व्यापार का भी समझौता होगा। इससे भारत चीन से सस्ते बल्ब का आयात कर सकेगा और सिनेमा इत्यादि का निर्यात कर सकेगा। तब यह मुक्त व्यापार समझौता हमारे लिए लाभप्रद होगा। एक अन्य विषय छोटे उद्योगों के संरक्षण का है। हमारा देश बड़ी आबादी वाला है। यहां बड़ी संख्या में युवा रोजगार को तरस रहे हैं। इसीलिए हमें दिग्गज विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में आयातित माल पर विशेष आयात कर लगाने चाहिए। तभी अपने देश में छोटे उद्योग पनप सकेंगे और आम आदमी को रोजगार और जीवन का अवसर मिल सकेगा। रोजगार होने पर ही सस्ते माल की सार्थकता है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने आरसेप से बाहर रहने का फैसला किया है। इस बीच सरकार श्रम कानूनों में सुधार, सेवाओं के निर्यात एवं छोटे उद्योगों के संरक्षण के लिए कोई बड़ी पहल करे, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। ●

श्री सचिन सुभाष यादव
कृषिमंत्री

श्री बाला बच्चन
प्रभारी मंत्री

किसान भाइयों से विनम्र अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएँ और प्रवेश पर्ची लें।
किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में आकर ही करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

कैलाश वानखेड़े
(भारसाधक अधिकारी)

श्री पी.एस. मुनिया
(सचिव)

जन-जन के लाड़ले नेता और
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएँ

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति इंदौर

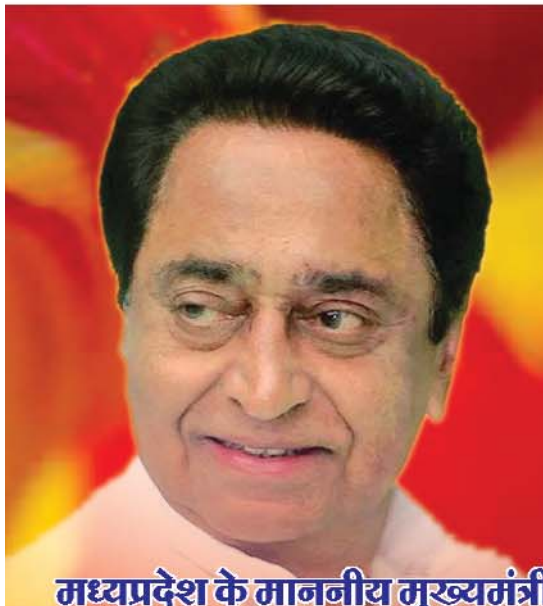

श्री सचिन सुभाष यादव
कृषिमंत्री

श्री सज्जनसिंह वर्मा
प्रभारी मंत्री

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय अपनी कृषि उपज आवश्यक रूप से दर्ज कराएँ और प्रवेश पर्ची लें।
किसान भाई अपनी फसल का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में आकर ही करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

श्री हरगोविंद सोनगरा (सचिव)

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथ को जन्मदिन
की हार्दिक शुभकामनाएँ

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन

जनता के सेवक कमलनाथ

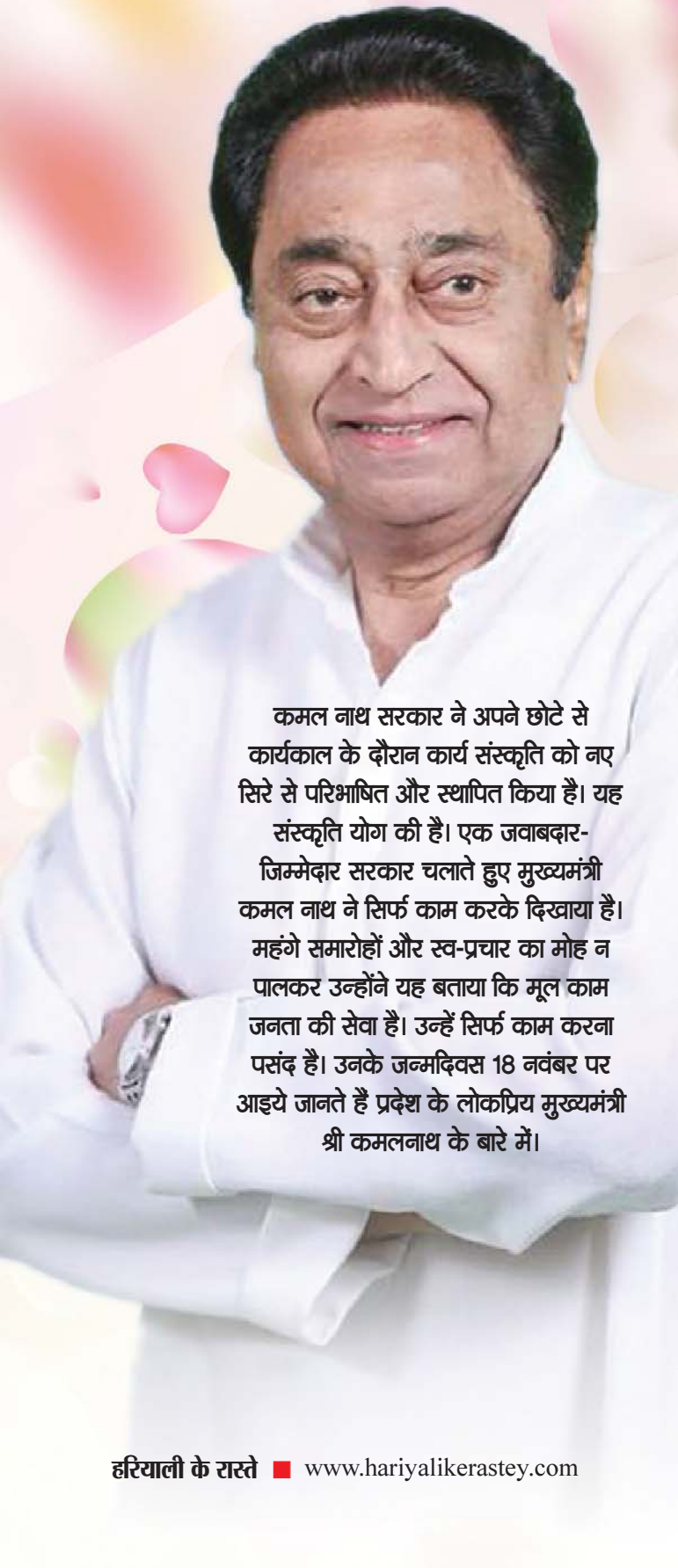

कमल नाथ सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान कार्य संस्कृति को नए सिरे से परिभाषित और स्थापित किया है। यह संस्कृति योग की है। एक जवाबदार-जिम्मेदार सरकार चलाते हुए मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सिर्फ काम करके दिखाया है। महंगे समारोहों और स्व-प्रचार का मोह न पालकर उन्होंने यह बताया कि मूल काम जनता की सेवा है। उन्हें सिर्फ काम करना पसंद है। उनके जन्मदिवस 18 नवंबर पर आइये जानते हैं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के बारे में।

मध्यप्रदेश के नव-नियुक्त मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ का जन्म 18 नवम्बर 1946 को कानपुर, उत्तरप्रदेश में हुआ। आपके पिता स्व. श्री महेन्द्र नाथ और माता श्रीमती लीला नाथ हैं। श्रीमती अलका नाथ के साथ 27 जनवरी, 1973 को विवाह बंधन में बँधे श्री कमलनाथ के दो पुत्र हैं। श्री कमलनाथ ने सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता से बी.कॉम. तक शिक्षा प्राप्त की।

राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता और कृषक श्री कमलनाथ वर्ष 1980 में पहली बार मध्यप्रदेश के छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए। इसके बाद वे वर्ष 1985 में दूसरी बार आठवीं लोकसभा के लिये, वर्ष 1989 में नवीं लोकसभा के लिये तीसरी बार और वर्ष 1991 में दसवीं लोकसभा के लिये छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही चौथी बार निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1991 से 1995 की अवधि में केन्द्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वर्ष 1995-96 में केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे। वर्ष 1998 में श्री कमलनाथ पुन: छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से पाँचवीं बार 12वीं लोकसभा के लिये निर्वाचित हुए। श्री नाथ वर्ष 1998 से 1999 के दौरान पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थाई समिति, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति और विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री कमलनाथ वर्ष 1999 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही 13वीं लोकसभा के लिये छठवीं बार निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1999 से वर्ष 2000 की अवधि में वित्त संबंधी स्थाई समिति के सदस्य और वर्ष 2002-2004 की अवधि में खान और खनिज मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री नाथ वर्ष 2001 से 2004 की अवधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे और वर्ष 2004 में सातवीं बार 14वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री नाथ ने 23 मई, 2004 से वर्ष 2009 की अवधि में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री का दायित्व सम्हाला। वे वर्ष 2009 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही आठवीं बार 15वीं लोकसभा के लिये पुन: निर्वाचित हुए और वर्ष 2009 से 18 जनवरी, 2011 की अवधि में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री रहे। इसके बाद वे 19 जनवरी, 2011 से 26 मई, 2014 की अवधि में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री और 28 अक्टूबर, 2012 से 26

मई, 2014 की अवधि के लिये केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। श्री नाथ मई, 2014 में छिन्दवाड़ा संसदीय क्षेत्र से ही नवमीं बार 16वीं लोकसभा के लिये पुन- निर्वाचित हुए। श्री नाथ को 4 से 6 जून, 2014 की अवधि में लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। वे एक सितम्बर, 2014 से संसद की वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति और वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री नाथ की प्रकाशित पुस्तकों में इण्डियाज एनवायरनमेंटल कंसर्न्स, इण्डियाज सेंचुरी और भारत की शताब्दी, प्रमुख है। श्री नाथ की जनजातीय और दलित वर्गों का विकास, वन्य-जीव, बागवानी, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों में विशेष अभिरुचि है। आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के रूप में उन्हें संगीत सुनना पसंद है। श्री नाथ कोलकाता क्रिकेट और फुटबाल क्लब, टॉलीगंज क्लब कोलकाता, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के सदस्य और एक्स चीफ पैट्रन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्य रहे हैं।

श्री नाथ ने अनेक देशों की यात्राएँ की हैं। वे वर्ष 1982, 1983 में संयुक्त राष्ट्र गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1983 में गुटनिपेक्ष देशों के सम्मेलन, वर्ष 1987 में आईपीयू सम्मेलन, निकारागुआ, वर्ष 1988 में ग्वाटेमाल और वर्ष 1990 में साइप्रस में भाग लिया। वे वर्ष 1989 में टोक्यो में, वर्ष 1989 में साइप्रस; और 1990 में यूनाइटेड किंगडम गये शिष्ट मंडल में शामिल रहे। वर्ष 1990 में पेरिस में दसवें विश्व वानिकी सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मंडल के नेता रहे। वर्ष 1991 में वे यूएनईपी शासी परिषद, नैरोबी, प्रेपकाम-चार पर विचार-विमर्श, न्यूयार्क और क्वालालमपुर सम्मेलन में शामिल हुए। वर्ष 1992 में नई दिल्ली में दक्षेस पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की और जून, 1992 में रियो-डी-जेनोरो में आयोजित यूएनसीईडी में विकासशील देशों के मुख्य वक्ता के रूप में उभरकर सामने आए। श्री नाथ ने फिनलैण्ड, स्वीडन, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, दुबई और यू.के. तथा यूएनसीटीएडी और एएनईपी राष्ट्रीय शिष्टमंडलों के साथ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम की दाबोस और स्विटजरलैण्ड में आयोजित बैठकों का नेतृत्व किया। वे विश्व के विभिन्न भागों में आयोजित विश्व व्यापार संगठन की तथा इससे संबंधित मंत्रीय/लघु मंत्रीय स्तर की अन्य बैठकों में भी सम्मिलित हुए।

पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री नाथ ने पारिस्थितिकीय संरक्षण और प्रदूषण उपशमन संबंधी राष्ट्रीय नीति का प्रतिज्ञापन और विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री नाथ की नीतिगत पहलों में पर्यावरण अधिकरण की स्थापना, पर्यावरण परीक्षा (ऑडिट) की अवधारणा, वन्य-जीव-प्राणी-जगत और वनस्पति-जगत संरक्षण और सुरक्षा हेतु कदम और पर्यावरण ब्रिगेडों और वनीकरण बिग्रेडों का गठन (उनके नेतृत्व में वनीकरण और भारत में अवक्रमित भूमि के विकास का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया), पर्यावरण टैरिफ की

वैश्विक अवधारणा का प्रतिज्ञापन और वैश्विक उत्सर्जन कोटे की अवधारणा का प्रतिपादन शामिल है।

वस्त्र राज्य मंत्री के रूप में देश में सूती कपड़े के उत्पादन और निर्यात में नए कीर्तिमान स्थापित किए और नई वस्त्र नीति का सफल सूत्रपात किया। वर्ष 2004 में केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में पहली व्यापक विदेश व्यापार नीति प्रतिपादित की, जिसमें निर्यात के साथ-साथ रोजगार के अवसरों पर भी ध्यान दिया गया। इस अवधि के दौरान भारत के विदेश व्यापार में तीन गुना वृद्धि हुई और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सात गुना वृद्धि हुई।

श्री नाथ ने बौद्धिक सम्पदा और औद्योगिक डिजाइन के क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयास किए। उन्हीं के प्रयासों से विशिष्ट आर्थिक जोन (एसईजेड) अधिनियम बनाया गया। आर्थिक मुद्दों पर श्री नाथ की दृढ़ पकड़ और सम्पूर्ण राजनयिक कौशल विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौतों में स्पष्ट दिखाई दिए, जहाँ वे जी-20 और जी-33 और एनएएमए-11 जैसे संघों के प्रमुख निर्माताओं में से एक के रूप में उभरे। श्री नाथ द्वारा वर्ष 2005 में हांगकांग में हुई विश्व व्यापार संघ की मंत्रीय स्तर की बैठक में विकासशील देशों के हितों के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों ने सदस्यों को बहुत प्रभावित किया।

श्री नाथ शासी बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद; लाजपतराय स्मारक महाविद्यालय समिति, गाजियाबाद के अध्यक्ष और सेंटर फॉर एडवांस्ड एजुकेशन, नागपुर के चेयरमेन हैं।

श्री कमलनाथ पूरे एशिया और विश्व में एफडीआई पर्सनैलिटी ऑफ दी इअर अवार्ड, 2007 से सम्मानित हैं। वे राष्ट्रीय कोयला खान मजदूर फेडरेशन और भारत युवक समाज से भी पुरस्कृत हुए हैं। वर्ष 1968 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने श्री नाथ सितम्बर 2002 से जुलाई 2004 के दौरान कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य भी रहे हैं। मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत होने के पहले वे लोकसभा के लिए नौ बार निर्वाचित हुए और सोलहवीं लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं।

श्री नाथ को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 16वीं लोकसभा की बैठक शुरू होने अर्थात् 4 जून, 2014 से अध्यक्ष का चुनाव होने तक अर्थात 6 जून, 2014 तक अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री नाथ वर्ष 2018 में 26 अप्रैल को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। श्री कमलनाथ को 14 दिसम्बर, 2018 को मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता निर्वाचित किया गया। श्री नाथ ने 17 दिसम्बर, 2018 को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ●

विशेषताएँ

1. दूरदर्शिता

कमलनाथ ने सदैव अपने संसदीय क्षेत्र और प्रदेश की समृद्धि के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास के नए आयाम स्थापित किये हैं। इसके लिए उन्होंने देश-विदेश के ख्यातनाम लोगों से सीधे संवाद बनाए रखा।

2. बेदाग छवि

पाँच दशक की राजनीति में कमलनाथ के दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। उनकी बेदाग छवि देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अनूठा उदाहरण बनी। जब-जब आरोप लगे, तब-तब कमलनाथ और निखर गए।

3. भरोसा

कमलनाथ की राजनीतिक शैली में भरोसा लेना और देना उनकी पहली प्राथमिकता है। यही कारण है कि उन्हें राजनीति का अजातशत्रु माना जाता है। बात कांग्रेस की हो या उनके विरोधियों की, कमलनाथ हमेशा यारों के यार रहे।

4. मैनेजमेंट गुरु

कठिन परिस्थिति में चुनौतियों के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने में कमलनाथ महारथ हासिल कर चुके हैं। बात चाहे गठबंधन की राजनीति की हो, चुनाव प्रबंधन की, कमलनाथ ने अपने मैनेजमेंट फंडे से विजयश्री हासिल की है।

5. टास्क मास्टर

भारत सरकार में प्रमुख पदों पर रहते हुए कमलनाथ ने वो सभी टास्क पूरे किये जा उन्हें दिये गये। कमलनाथ की यही खूबी उन्हें टास्क मास्टर के रूप में स्थापित कर चुकी है जिसका परिणाम म.प्र. चुनाव में देखने को मिला।

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की

हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ

✲ कृषि उपकरण प्रदाय ✲ रासायनिक खाद विक्रय

श्री एस.एस. चौहान (प्रशासक)

सौजन्य से : सतपुड़ा विपणन सह. संस्था मर्या. भगवानपुरा, जि.खरगोन (मप्र)

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की

हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ

✲ कृषि उपकरण प्रदाय ✲ रासायनिक खाद विक्रय

श्री जी.एस. कनेश (प्रशासक)
श्री संतोष गुप्ता (प्रबंधक)

सौजन्य से : विपणन सहकारी संस्था मर्या. कुक्षी, जि. धार (मप्र)

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

श्री अरुण गोठी
(प्रशासक)

श्री बी.एस. शुक्ला
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री के.बी. सोरते
(उपायुक्त सहकारिता)

श्रीमती लता कृष्णन
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज

कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बैतूल

जन-जन के लाड़ले मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिन की बधाई

श्री पी.के. सिद्धार्थ
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री पी.आर. कावड़कर
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री के.एल. रायकवार
(बैंक सीईओ)

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

सौजन्य से

श्री कैलाशबाबू ताम्रकर (शा.प्र. छतरपुर)
श्रीमती प्रभा वैद्य (शा.प्र. नौगाँव)
श्री अशोक सेन (शा.प्र. हरपालपुर)
श्री रविशंकर गोस्वामी (शा.प्र. बक्सवाहा)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बगोता, जि.छतरपुर
श्री करनसिंह परिहार (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. ठडारी, जि.छतरपुर
श्री राघवेन्द्र सिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मातगुवां, जि.छतरपुर
श्री गुमानप्रसाद राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बरकोहा, जि.छतरपुर
श्री संतोष गोस्वामी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मढेवरा, जि.छतरपुर
श्री रामअवतार मिश्रा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. अबरार (कटारी), जि.छतरपुर
श्री स्वामी प्रसाद शुक्ला (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नौगाँव, जि.छतरपुर
श्री अयोध्याप्रसाद मिश्रा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मउसहानियाँ, जि.छतरपुर
श्री धर्मेन्द्र मिश्रा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. लुगासी, जि.छतरपुर
श्री बृजबिहारी मिश्रा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. लहेरापुरवा, जि.छतरपुर
श्री सुनील अरजरिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. गर्रोली, जि.छतरपुर
श्री यशवंत सिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. आलीपुरा, जि.छतरपुर
श्री चंद्रभान तिवारी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बड़ागाँव, जि.छतरपुर
श्री हीरालाल विश्वकर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हरपालपुर, जि.छतरपुर
श्री बलवान सिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. भदर्रा, जि.छतरपुर
श्री रविकुमार तिवारी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बक्सवाहा, जि.छतरपुर
श्री अशोक यादव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. गढ़ीसेमरा, जि.छतरपुर
श्री संतकुमार शर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सुनवाहा, जि.छतरपुर
श्री द्वारिकाप्रसाद दुबे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बम्होरी, जि.छतरपुर
श्री बलभद्र सिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सैंडारा, जि.छतरपुर
श्री राजकुमार गुप्ता (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मढ़देवरा, जि.छतरपुर
श्री धनीराम पटैरिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. दरगुवां, जि.छतरपुर
श्री अर्जुन यादव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बाजना, जि.छतरपुर
श्री संतोष कुमार तिवारी (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

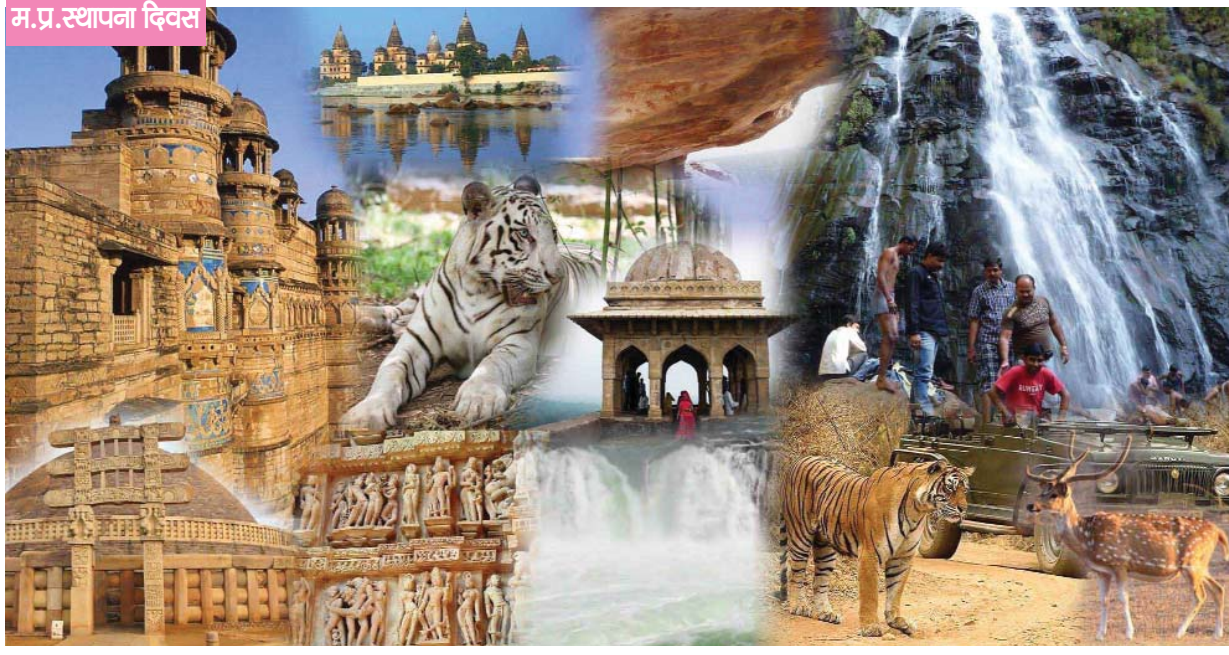

भारतीय संस्कृति का जगमगाता दीप
मध्यप्रदेश

भारत की संस्कृति में मध्यप्रदेश जगमगाते दीपक के समान है, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभा और प्रभाव है। यह विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का जैसे आकर्षक गुलदस्ता है, मध्यप्रदेश, जिसे प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर जैसे अपने हाथों से सजाकर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौन्दर्य और मनमोहक सुगन्ध चारों ओर फैल रहे हैं। यहाँ के जनपदों की आबोहवा में कला, साहित्य और संस्कृति की मधुमयी सुवास तैरती रहती है। यहाँ के लोक समूहों और जनजाति समूहों में प्रतिदिन नृत्य, संगीत, गीत की रसधारा सहज रूप से फूटती रहती है। यहाँ का हर दिन पर्व की तरह आता है और जीवन में आनन्द रस घोलकर स्मृति के रूप में चला जाता है। इस प्रदेश के तुंग-उतुंग शैल शिखर विन्ध्य-सतपुड़ा, मैकल-कैमूर की उपत्यिकाओं के अन्तर से गूँजते अनेक पौराणिक आख्यान और नर्मदा, सोन, सिन्ध, चम्बल, बेतवा, केन, धसान, तवा, ताप्ती, शिप्रा, काली सिंध आदि सर-सरिताओं के उद्गम और मिलन की मिथक कथाओं से फूटती सहस्त्र धाराएँ यहाँ के जीवन को आप्लावित ही नहीं करतीं, बल्कि परितृप्त भी करती हैं।

1 नवंबर को मध्यप्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाताा है। इस दौरान पूरे प्रदेश में हर जगह अलग-अलग समारोह आयोजित किए जाते हैं। मध्यप्रदेश की स्थापना को लेकर ये सवाल कि आखिर वो क्या कारण था जिनके चलते मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया? यहां हम आपको प्रदेश की स्थापना से जुड़ीं खास जानकारियां हम आपको दे रहे हैं।

स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्र अपने वर्तमान स्वरूप से काफी अलग था। तब यह 3-4 हिस्सों में बटा हुआ था। 1950 में सर्वप्रथम मध्य प्रांत और बरार को छत्तीसगढ़ और मकराइ रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तब इसकी राजधानी नागपुर में थी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्यों को भी इसमें ही मिला दिया गया, जबकि दक्षिण के मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र को (राजधानी नागपुर समेत) बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, परन्तु अंतिम क्षणों में इस निर्णय को पलटकर भोपाल को राज्य की नवीन राजधानी घोषित कर दिया गया। जो कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता

था। 1 नवंबर 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बन गया।

मध्यभारत प्रांत का गठन 28 मई 1948 को किया गया था, जिसमें ग्वालियर और मालवा का क्षेत्र शामिल था। मध्यभारत प्रांत के पहले राजप्रमुख ग्वालियर रियासत के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया थे। प्रांत की दो राजधानियां थीं। ग्वालियर विंटर कैपिटल थी तो वहीं इंदौर को ग्रीष्म राजधानी का रूतबा हासिल था। मध्यप्रदेश का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। वहीं 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद देश में सन् 1952 में पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद एवं विधान मण्डल कार्यशील हुए।

प्रशासनिक दृष्टि से इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सन् 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्यप्रदेश अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्य मध्यप्रदेश, मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थीं। डॉ. पटटाभि सीतारामैया मध्यप्रदेश के पहले राज्यपाल हुए। जबकि पहले मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने शपथ ली थी। वहीं पंडित कुंजी लाल दुबे को मध्यप्रदेश का पहला अध्यक्ष बनाया गया।

भोपाल चुनी गई राजधानी- 1 नवंबर 1956 को प्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी और विधानसभा का चयन भी कर लिया गया। मध्यप्रदेश के राजधानी के रूप में भोपाल को चुना गया। इस राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्यप्रदेश, और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ। ऐसा कहा जाता है कि भोपाल को राजधानी बनाए जाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. शंकर दयाल शर्मा, भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान और पं. जवाहर लाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजधानी बनाए जाने के बाद 1972 में भोपाल जिला के रूप में घोषित हो गया। अपने गठन के वक्त मध्यप्रदेश में 43 जिले थे। आज मध्यप्रदेश में 51 जिले हैं। कई लोगों का यहां तक मानना है कि जवाहरलाल नेहरू इसे राजधानी बनाना चाहते थे।

ग्वालियर बनाई जानी थी राजधानी

राजधानी के लिए दावा ग्वालियर के साथ इंदौर का था। यही नहीं जबलपुर भी नए राज्य की राजधानी का दावा करने लगा। दूसरी ओर भोपाल के नबाब भारत के साथ संबंध ही नहीं रखना चाहते थे। वे हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध कर रहे थे। केन्द्र सरकार नहीं चाहती थी कि देश के हृदय स्थल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ें। इसके चलते सरदार पटेल ने भोपाल पर पूरी नजर रखने के लिए उसे ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का निर्णय लिया। ●

मध्यप्रदेश ने पिछले 63 वर्षों में हर मामले में जबर्दस्त विकास किया। शिक्षा हो या इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक विकास हो या खेती में नए प्रयोग, सिंचाई सुविधाएँ हों या शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधाएँ, हर मामले में एक नए मुकाम पर आकर खड़ा हुआ है। टाइगर स्टेट बनने के बाद अब विकास की रह पर्यटन के जरिए आगे बढ़ रही है तो औद्योगिकीकरण में भी मिसाल कायम की जा रही है।

टाइगर स्टेट का खोया दर्जा प्राप्त किया

बाघ एक बार फिर देश के दिल मध्यप्रदेश की धड़कन बन गया है। प्रदेश ने महज आठ सालों में टाइगर स्टेट का खोया रुतबा हासिल कर लिया और यह संभव हुआ है बाघों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कड़े कदमों से। अब यही तमगा सरकार के खाली खजाने को भरने में सहयोग करेगा। महज चार साल में 218 बाघ बढ़ना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 2014 की गणना के मुताबिक प्रदेश में 308 बाघ थे, जो 2018 की गणना में बढ़कर 526 हो गए हैं। सरकार वाइल्ड लाइफ पर्यटन को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। इससे प्रदेश की आर्थिक हालत सुधरने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के साधन भी तैयार किये जा सकेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया

बीते 64 सालों में प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबा सफर तय किया है। जहाँ म.प्र. की स्थापना के समय मात्र एक वि.वि. हुआ करता था, लेकिन अब तक 50 से ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। जबकि करीब 36 निजी वि.वि. प्रदेश में खुल चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय वन प्रबंध संस्थान जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी स्थापित हो चुके हैं। साइंस मैगजीन नेचर ने दुनिया के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की सूची में भोपाल की आईसर और आईआईटी इंदौर को शामिल किया है।

आईटी हब बनने की ओर अग्रसर

बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे के बाद इंदौर को आईटी इंडस्ट्री के लिहाज से सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला शहर कहा जा रहा है। प्रदेश का पहला और सफल क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में है। इस पार्क में 14 कंपनियाँ काम कर रही हैं जो पूरी तरह अपने उत्पाद और सेवाओं को विदेशों में निर्यात कर रही है। दूसरा आईटी पार्क 'अतुल्य' भी शुरू हो चुका है जिसमें 27 आईटी आधारित कंपनियाँ काम कर रही हैं। तीसरे आईटी पार्क का शुभारंभ गत दिनों मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने किया। इंदौर की पाँच आईटी कंपनियाँ अब ग्लोबल ब्रांड बन चुकी हैं। म.प्र. की 70 फीसदी आईटी कंपनियाँ इंदौर में काम कर रही हैं।

एक साल में 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

अब तक प्रदेश में सामाजिक विकास और खेती को लाभ का धंधा बनाने पर जोर रहा लेकिन अब इसके साथ एक और क्षेत्र जुड़ गया है उद्योग। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश का समग्र विकास औद्योगिक विकास के बगैर संभव नहीं है। यही वजह है कि मौजूदा सरकार देश-विदेश के उद्योगपतियों का भरोसा जीतने में जुट गई हैं। इसके लिए नीति बदल दी गई है। राहत की नई राहें खोल दी गई और शर्त सिर्फ स्थानीय रोजगार की रखी गई। हाल ही में हुए मेग्नीफिसेंट एमपी के जरिए सरकार ने यह दरशा दिया है कि सोलर एनर्जी के जरिए सस्ती बिजली उपलब्ध करवाएँगे। जमीन अधिग्रहण की कोई झंझट नहीं होगी। आर्थिक सहयोग भी भरपूर मिलेगा। बीते एक साल में प्रदेश में 1 लाख करोड़ रु. के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ
❊ कृषि उपकरण प्रदाय ❊ रासायनिक खाद विक्रय

श्री के.आर. अवासे (प्रशासक)

सौजन्य से : सनावद को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी भीकनगाँव, जि.खरगोन (म.प्र.)

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक बधाइयाँ

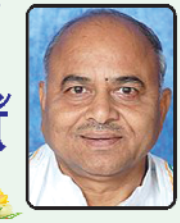

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ
❊ कृषि उपकरण प्रदाय ❊ रासायनिक खाद विक्रय

श्री बसंत यादव (प्रशासक)

सौजन्य से : देवश्री विपणन सहकारी संस्था मर्या. कसरावद, जि.खरगोन (म.प्र.)

जन-जन के लाड़ले मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

श्री विजय चौधरी
(प्रशासक)

श्री पी.के. सिद्धार्थ
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री जी.एस. डेहरिया
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)

श्री के.के. सोनी
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. छिंदवाड़ा

सहकारिता एक लोकतांत्रिक आंदोलन

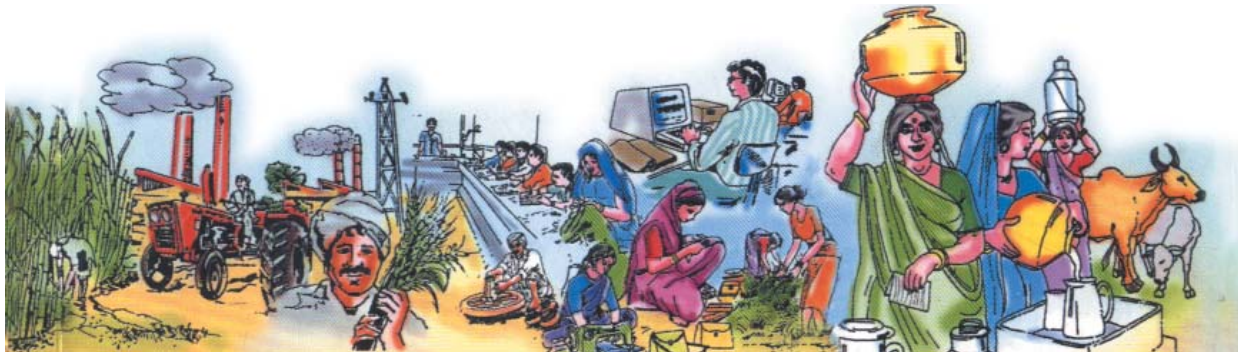

66वाँ अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 14 से 20 नवम्बर, 2019 तक मनाया जायेगा। इस वर्ष सहकारी सप्ताह का विषय होगा- 'नए भारत में सहकारिता की भूमिका'। इस अवसर पर सहकारी कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं सहकारी आन्दोलन के प्रति जागृति हेतु विचार गोष्ठियॉ, सामान्य निकाय की बैठक, सहकारिता से सम्बन्धित वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

- **14 नवंबर :** ग्रामीण सहकारिताओं के माध्यम से नवाचार
- **15 नवंबर :** सहकारिताओं के लिए समर्थ विधि विधान
- **16 नवंबर :** सफलता की कहानियों द्वारा शिक्षा प्रशिक्षण का पुनरोन्मुखीकरण
- **17 नवंबर :** सहकारिताओं के बीच सहकारिता का सुदृढ़ीकरण
- **18 नवंबर :** सहकारिताओं के माध्यम से नए शासकीय पहल
- **19 नवंबर :** युवाओं, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता
- **20 नवंबर :** सहकारिताओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन तकनीक का अभिग्रहण एवं डिजिटलीकरण।

सहकारिता का विचार हमारे देश में आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व अपनाया गया तथा महसूस किया गया था कि इसके द्वारा अनेक ग्रामीण तथा शहरी समस्याओं को हल किया जा सकेगा। देश को स्वतंत्र हुए 57 वर्ष हो चुके हैं, परन्तु सहकारिता के संबंध में हमारी उपलब्धियां केवल आलोचनाओं एवं बुराइयों तक ही सीमित रह गयी हैं, जबकि लक्ष्य इसके विपरीत था। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे हमें यह प्रतिफल दिखाई दे रहा है। सन 1904 में सर्वप्रथम यह विचार अपनाया गया। उस समय देश परतंत्र था। अत- विदेशी शासकों नए अपने हितों को ध्यान में रखकर इसे ज्यादा पनपने नहीं दिया। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद हमारे देशवासियों को ही यह कार्य-भार सौंपा गया। फिर भी अभी तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। अत- इस पर गम्भीरता से विचार करने कि आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो यह तय करना होगा कि सहकारिता को वास्तविक रूप से हम ग्रामीण जीवन में उतारना चाहते हैं या घोषणा पत्रों तथा सरकारी एवं सहकारी दिखावे के रूप में इसे कार्यालयों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वास्तव में सहकारिता कोई सैधांतिक बात नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध तो सामान्य व्यक्ति कि भावना से है जहां निश्चित रूप से यह अपने उद्देश्यों में सफल हो सकती है।

सहकारिता एक लोकतान्त्रिक आन्दोलन है जो मात्र अपने सदस्यों द्वारा प्रदर्शित गतिशीलता और निर्देश केवल एक सुयोग्य नेतृत्व में ही कारगर हो सकता है जिसके अभाव में आन्दोलन समस्त उपलब्धियों तथा असफलताओं पर उसके नेतृत्व के स्वरूप और किस्म की छाप होती है जो बदले में आन्दोलन के सामान्य जन का प्रतिबिम्ब होती है।

हमारे देश के सर्वांगीण विकास कि दो प्रमुख धाराएँ हैं :- (1) ग्रामीण विकास (2) शहरी विकास। ग्रामीण विकास का सम्बन्ध देश कि 70 प्रतिशत जनसंख्या से है, जबकि शहरी विकास ला सम्बन्ध देश की 30 प्रतिशत जनसंख्या से है। यातायात एवं संचार की सुविधाओं नए देश में शहरीकरण को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है। हर व्यक्ति किसी न किसी बड़े शहर में रहना चाहता है, भले ही वहां का जीवन कष्टपूर्ण हो। अत- हमें विकास की दिशा को पूर्णत- ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मोड़ना होगा, और इस कार्य के अंतर्गत हमें गाँवों में शहरीकरण को प्रोत्साहन देना होगा, अर्थात वे सब

सुविधाएँ जिनके कारण व्यक्ति गाँवो से शहर की ओर भाग रहा है, गाँवों में उपलब्ध करनी होगी। इस महत्वपूर्ण कार्य को सहकारिता के माध्यम से ही संपन्न किया जा सकता है। गाँधी जी भी कहा करते थे- 'बिना सहकार नहीं उद्धार'।

लेकिन सहकारिता आन्दोलन मुख्यतः सरकारी नीतियों तथा कारवाइयों का परिणाम है। एक लम्बे समय तक सरकार ने इस पर अपना नियन्त्रण रखा, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात केवल वही नेता समितियों पर अपना वर्चस्व कायम रख सके जिन्होनें सरकार पर कुछ प्रभाव डालने का प्रयास किया।

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था सहकारियों का कार्यक्षेत्र

सहकारिता और उसके उद्देश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो ढाँचा एवं क्षेत्र है; वह सम्पूर्ण विकास कि दृष्टि में सिर्फ सहकारिता का ही कार्यक्षेत्र हो सकता है।

आज भारत कि आर्थिक व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आधारित है। भारत कि लगभग 70 प्रतिशत आबादी भारत के लगभग 6 लाख ग्रामों में रहती है जो कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योगों पर आश्रित है। शेष 30 प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं। भारत भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 90त्न भूमि का उपयोग किया जाता है। वन 6.57 करोड़ हेक्टेयर में फैले हैं तथा बोई गई भूमि का क्षेत्रफल 13.94 करोड़ हेक्टेयर है और फसलें 16.40 करोड़ हेक्टेयर में उगाई जाती हैं, किन्तु सिंचित क्षेत्रफल केवल 23 प्रतिशत (फसली क्षेत्र का)है। आज भी सम्पूर्ण देश में 7.05 करोड़ कृषि जोते हैं और औसत जोत का क्षेत्रफल 2.06 प्रति हेक्टेयर आता है। खाद्यान फसलों का उत्पादन 80 प्रतिशत तथा अन्य फसलें 20 प्रतिशत उत्पादित कि जाती हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि उत्पादन से होने वाली आय लगभग 48 प्रतिशत है।

परम्परागत रूप से चली आ रही भारत कि भौगोलिक, सामाजिक व्यवस्था में यह बात निर्विवाद हो चली है कि आरम्भ से ही ह एक कृषि प्रधान देश है और भविष्य में भी यह आधार बना रहेगा; ऐसी धारणा सभी की है। इसलिए ग्रामों का देश भारत सहकारिता के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र है। जहाँ सहकारिता अपने सभी उद्देश्यों को ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सहज ही प्राप्त कर सकती है।

ग्रामीण विकास : श्रेष्ठतम आधार

देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या का विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना अनिवार्य ही नहीं वरन एकमात्र श्रेष्ठतम विकल्प है। रास्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने राजनीतिक आंदोलन के साथ ही ग्रामीण विकास का नारा दिया था; क्योंकि, ÷ भारत ग्रामों में निवास करता है÷। ग्राम उनके विकास कार्यक्रम का आधार है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को खाना, कपड़ा, रोजगार उपलब्ध कराना गाँधी का एकमात्र लक्ष्य था। गांधीजी के विचारानुसार आदर्श ग्राम पूर्णतया स्वावलम्बी होना चाहिए, घरों में प्रयाप्त प्रकाश एवं हवा की व्यवस्था होनी चाहिए, वे सभी स्थानीय साधन सामग्री से सम्पन्न होने चाहिए। उनमें पानी की उचित व्यवस्था के साथ-साथ आपसी भेद-भाव मिटाने के लिए सार्वजानिक मिलन-स्थल भी होनी चाहिए। सार्वजनिक चरागाह, दुग्धशाला, शिक्षा संस्थाएँ, जिनमें ओद्योगिक शिक्षा उपलब्ध हो तथा अपनी पंचायत प्रत्येक ग्राम में होनी चाहिए, रक्षा के लिए ग्रामरक्षक भी होना चाहिए- ऐसी थी गांधीजी की कल्पना जिसे हम व्यावहारिक स्वरूप में परिवर्तित करने का सतत प्रत्यन कर रहे हैं।

राष्ट्रीय सहकारी नीति संकल्प

राज्यों के सहकारिता मंत्रियों ने 1978 में हुए सम्मेलन में राष्ट्रीय आयोजन तथा विकास में सहकारी आन्दोलन की भूमिका और सहकारी आन्दोलन के लोकतंत्री स्वरूप तथा सहकारी संस्थाओं की व्यापार कुशलता को बढ़ावा देने व् बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास के लिए निम्न संकल्प किए–

1. सहकारी समितियों का निर्माण विकेन्द्रित, श्रम प्रधान ग्रामोन्मुख आर्थिक विकास के एक प्रमुख साधन के रूप में किया जायगा।

2. सहकारी आन्दोलन का विकास ÷निर्बलों की ढाल÷ के रूप में किया जाएगा। छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के

साधारण उपभोक्ताओं की सहकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ज्यादा मौका दिया जायगा।

3. सम्पूर्ण तथा व्यापक ग्रामीण विकास के लिए ऋण, कृषि निवेश की आपूर्ति, डेयरी, कुक्कुट पालन, मछली पालन, सूअर पालन सहित कृषि उत्पादों, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के विपणन और वितरण में सम्बन्ध बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत, जीवन तथा समन्वित सहकारी प्रणाली बनाई जायगी।

4. सहकारी कृषि संसाधनों और औद्योगिक इकाइयों का (प्रत्येक स्थान-ग्राम एवं शहर में) जल बिछाया जायेगा जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओ के बीच लाभकर आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सके।

5. उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन का निर्माण इस प्रकार किया जायेगा जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (शहर तथा ग्राम दोनों में) मजबूत हो और उपभोक्ता संरक्षण को सहारा मिले, तथा वह मूल्य स्थिरीकरण का साधन बन सके।

सहकारिता की परिधि के अन्तर्गत सभी प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम आते हैं, चाहे वे कृषि, विपणन,आपूर्ति, उद्योग, प्रक्रिया अथवा अन्य किसी भी सम्बन्धित क्रिया से जुड़े हों। कहने का तात्पर्य यह है कि सहकारिता के लिए 'जहाँ न आये रवि वहां जाये कवि÷ वाली कल्पना साकार होती है। इतना ही नहीं ग्राम से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, प्रत्येक स्तर पर सहकारी संगठन कार्यरत ही नहीं, निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। अतएव ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक प्रकार से सहकारिता का ही एक अंग माना जा सकता है क्योंकि सहकारिता के क्षेत्र ग्राम से भी आगे हैं।

वास्तविक रूप से सहकारिता आन्दोलन का प्रादुर्भाव ग्रामवासियों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ही हुआ। सहकारिता ने भारत में 90 प्रतिशत ग्रामों से अधिक की अपनी कार्य परिधि कार्यक्षेत्र में लिया है। औसतन प्रत्येक चार ग्रामों की बीच एक ग्रामीण सहकारी समिति कार्यरत है। सहकारी सिध्दान्तो के अनुसार कार्य करने से ग्राम जन-समुदाय अपने आप ही सहकारिता की प्रगति को ग्रामीण विकास मानने लगा है। सहकारिता की मुख्य रणनीति स्थानीय संसाधनों को विकसित कर उनका जनता के लिए उपभोग करना है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनुरूप है। नियोजकों तथा विशेषज्ञों के साथ एक कमी रही है कि उन्होंने सहकारिता सहकारी इकायों जो मात्र ÷इनपुट÷ प्रदान करने वाली संस्था समझा, जबकि वास्तविक रूप से ये संस्थाएं सभी प्रकार का कार्य करने में न केवल सक्ष्म है वरन कर भी रही है और इस प्रकार ये ग्रामीण विकास के ÷मुख्य केन्द्र÷ के रूप में काम कर रही हैं। इनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना वर्तमान स्तिथि में आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो गया है। सहकारिता का संगठनात्मक ढाँचा, कार्यप्रणाली, सिध्दान्त, जन-समुदाय कि साझेदारी, वित्तीय सुदृढता, विस्तार, आदि ऐसे आधार हैं जिनसे ग्रामीण विकास का मुख्य तथा एकमात्र साधन 'सहकारिता' ही सिद्ध किया जा सकता है। ●

ग्रामीण विकास में योगदान देती सहकारी समितियाँ

» स्वाति शर्मा

सहकारी समितियां समानता की भावना पर आधारित होती है। पूंजी, धर्म, राजनीति, जाति, सामाजिक स्तर आदि किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इन समितियों में संस्था के सदस्य अपने कार्यों का प्रबंधा व संचालन स्वयं करते हैं, यहाँ तक कि संगठन अपने सेवा कार्यों हेतु वित्तीय संसाधानों सहित सभी व्यवस्थाएं स्वयं करता है। आज की व्यक्ति वादी अर्थव्यवस्था में सहकारिता का महत्व अधिक बढ़ गया है।

आर्थिक विकास के विभिन्न साधानों में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साथ मिलकर काम करने की भावना ही सहकारिता होती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तो सहकारिता की भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। यह बात अलग है कि इस भावना में निरंतर कमी होती जा रही है जिसका कारण यह है कि समाज का ढांचा व्यक्तिवादिता की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान में समूह के स्थान पर व्यक्तिगत भावना का बोलबाला अधिक है, जिसका प्रभाव सहकारिता पर पड़ रहा है। सहकारी समितियों को महत्व विकास कार्यक्रमों के संचालन में अधिक है। साथ-साथ काम करने से जहाँ एक ओर काम बंट जाता है, तो इसका प्रभाव उत्पादन एवं उत्पादकता पर भी पड़ता है। सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग स्वेच्छा से मिलकर एवं संगठित होकर जनकल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है। किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुध्द इस संगठन का सदस्य बनने के लिए बाधय नहीं किया जा सकता। सहकारिता समिति का कार्य संचालन जनतांत्रिक आधाार पर होता है। इसमें सबको बराबर समझा जाता है। सभी को समान अवसर व समान अधिकार प्राप्त होते है। इन समितियों की एक विशिष्ट विशेषता यह होती है कि इसमें आर्थिक हितों के साथ-साथ सामाजिक एवं नैतिक हितों पर भी धयान दिया जाता है। अत- आर्थिक विकास के साथ-साथ इनमें नैतिक विकास पर भी बल दिया जाता है। सहकारी समितियों का उद्देश्य होता है कि वे न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुविधाएँ अपने समुदाय के लोगों को सुलभ कराएं।

सहकारी समितियां समानता की भावना पर आधारित होती है। पूंजी, धर्म, राजनीति, जाति, सामाजिक स्तर आदि किसी भी आधाार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इन समितियों में संस्था के सदस्य अपने कार्यों का प्रबंधा व संचालन स्वयं करते हैं, यहाँ तक कि संगठन अपने सेवा कार्यों हेतु वित्तीय संसाधानों सहित सभी व्यवस्थाएं स्वयं करता है। आज की व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था में सहकारिता का महत्व अधिक बढ़ गया है। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में इसका महत्व विशेष रूप से रहा है। विगत चार दशकों में सहकारिता ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जिन प्रमुख संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गई, उसमें सहकारी समिति प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की स्थापना का मतलब है कि ग्रामीण निर्बल व्यक्ति भी अपना विकास करने में समर्थ हो जाते हैं क्योंकि इन समितियों का सदस्य बनने में धानी व निर्धान के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को समान अवसर,अधिकार व उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं। सहकारी समितियों का समाज में इसीलिए अधिक महत्व है, क्योंकि यह संगठन शोषण रहित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने में सहायक है।

ग्रामीण समुदाय में सहकारिता का लाभ विशेष रूप से मिलता है क्योंकि देश का ग्रामीण क्षेत्र विकास की धारा में पीछे रह जाता है। अत- आर्थिक विकास को इन क्षेत्रोंमें तीव्र करने का यह मुख्य साधान है। इन समितियों के माधयम से ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत लाभ होते है,जैसे-सस्ती साख,ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास,कृषि का विकास, फिजूल खर्ची में कमी, संपत्ति का समान वितरण, सामाजिक कल्याण, श्रमिकों के साथ अच्छे संबंधा, आर्थिक सुरक्षा आदि। सहकारिता के विश्लेषण से ग्रामीण विकास में उसकी समर्पित भूमिका परिलक्षित होती है। सहकारी समितियों की सदस्य संख्यासे श्रमिक ऋण राशि तक में निरंतर वृध्दि हुई है।

लेकिन यदि हम सहकारिता के आर्थिक आंकड़ो को छोड़ कर वास्तविक रूप में उसकी समीक्षा करें तो पाएँगे कि देश के कई भागों में आज भी इसका विस्तार नहीं हो पाया है। लगभग 40 से 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अभी भी सहकारी समितियों के क्षेत्र से बाहर है। सहकारी समितियो में आपसी वाद-विवाद बढ़ते जा रहे है। राजनीतिक प्रभाव इनमें दृष्टिगत हो रहा है। यद्यपि समितियों ने देश के आर्थिक विकास में विशेष रूप से ग्रामीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अनेक क्षेत्रों में दोषपूर्ण रही हैं। सहकारी समितियों की असफलता का एक ये महत्वपूर्ण कारण यह रहा है कि इन समितियों में प्रशिक्षित व कुशल प्रबंधा का अभाव रहा है। फलस्वरूप इनकी आय, व्यय, ऋण आदि के हिसाब में अनियमितताएं एवं अन्य अनेक कमियां परिलक्षित होती हैं। सहकारी समितियों का उद्देश्य आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक व नैतिक विकास करना भी था, लेकिन देखने में यह आया है कि ये सहकारी समितियां मात्र वित्तीय समितियां बन कर रह गई है, इनके द्वारा सामाजिक व नैतिक विकास का लक्ष्य अधारा रह गया है। सहकारी साख समितियों के पास पर्याप्त संसाधानों की कमी है। कई जगह वित्तीय संसाधानों ग्रामीण किसानों एवं कारीगरों को उपलब्धा करायी गई, वह अपर्याप्त रूप में रहीं। उसमें कुछ राज्यों में ऋण राशि अधिक रही है, तो अनेक राज्यों में यह बहुत ही कम रही है। सहकारी समितियों की स्थापना भी देश में सभी जगह समान रूप से नहीं हो पाई है। पंजाब, महाराष्ट्र, राज्यों की 75 प्रतिशत, जनता के लिए सहकारी समितियां उपलब्धा हो पाई हैं जबकि उड़ीसा, बिहार तथा असम राज्योंमें 25 प्रतिशत ग्रामीण जनता को भी यह सुविधाा सुलभ नहीं हो पायी है। इनके द्वारा प्रदत्त कुल ऋणों का मात्र 15 प्रतिशत भाग सीमांत कृषकों एवं 5 प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को ऋण सुविधा देते समय इस बात का निरीक्षण व जांच पड़ताल नहीं की गई कि उस व्यक्ति में ऋण वापस करने की योग्यता व शक्ति है या नहीं अथवा ऋणी को ऋण की आवश्यकता है या नहीं। सहकारी समितियों की पूर्ण सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इन समितियों की नियमित जांच,सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण होना चाहिए। तभी ये ग्रामीण विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगी, जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई है। ●

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की

हार्दिक शुभकामनाएँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ

❊ कृषि उपकरण प्रदाय ❊ रासायनिक खाद विक्रय

श्री आर.एस. ठाकुर (प्रशासक)

सौजन्य से : दि. को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि., सनावद, जि.खरगोन (मप्र)

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की

हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ

❊ कृषि उपकरण प्रदाय ❊ रासायनिक खाद विक्रय

श्री आर.आर. भट्ट (प्रशासक)

सौजन्य से : मातेश्वरी विपणन सहकारी संस्था मर्या. सेगाँव, जि.खरगोन (मप्र)

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

श्रीमती उषा सक्सेना
(अध्यक्ष : सीसीबी सीहोर)

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

श्री आर.आर. सिंह
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री भूपेन्द्र सिंह
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री मुकेश श्रीवास्तव
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. सीहोर

सहकारिता में शिक्षा एवं प्रशिक्षण

» के.एल. राठौर
प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर

सहकारिता मनुष्य को सभ्य बनाने की एक प्रक्रिया है। सहकारी शिक्षा का उद्देश्य सदस्यों और ग्राहकों को केवल सहकार के रूप में ही नहीं वरन एक अच्छे और योग्य नागरिक के रूप में बदलना है, ताकि वे जीवन के प्रति सहचर्य भाव विकसित कर सामाजिक कल्याण के लिए सहकारिता के रूप में संगठित हो सकें। सहकारी शिक्षा सदस्यों और आम लोगों को सहकारिता के सिद्धांतों और व्यवहारिक पक्ष से अवगत कराती है। अधिकारों और दायित्वों का ज्ञान सहकारी शिक्षा से प्राप्त होता है। यह सदस्यों को सक्रिय बनाती है तथा उनमें संख्या के प्रति वफादारी एवं ईमानदारी की भावना जाग्रत करती है।

सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों को बनाए रखने, उसमें वृद्धि करने तथा सहकारी संस्थाओं के कुशल प्रबंधक व मार्गदर्शन के लिए सहकार प्रशिक्षण एक अनिवार्य शर्त है। उचित गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण से विकास और स्थायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उचित प्रशिक्षण से ही सहकारी कर्मियों में उपेक्षित योग्यता का विकास किया जा सकता है। सहकारी संस्थाओं को सफलता बैलेंस शीट में दर्शाए गए लाभ पर उतनी निर्भर नहीं है, जितनी कि सदस्यों की प्रबुद्धता, उत्तरदायित्व पदाधिकारियों और कुशल कर्मचारियों के संयोजन की क्षमता पर निर्भर करती है और यह आवश्यकता आधारित गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण से ही संभव है।

सहकारी शिक्षा एवं सहकारी प्रशिक्षण उद्देश्यों के आधार पर भिन्न-भिन्न प्रणालियां है। सहकारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों की विचारधारा को इस तरह से प्रभावित करना है कि उनमें विशेष नैतिक और सामाजिक मूल्य विकसित हो सकें, ताकि वे सामाजिक एवं व्यक्तिगत कल्याण के लिए सहकारिता के आधार पर संगठित होकर परस्पर सहयोग के साथ काम कर सके। इस प्रकार सहकारी शिक्षा ज्ञान का प्रसार कर लोगों को सहकारी कार्यप्रणाली के लाभों से परिचित कराती है। इसके विपरीत सहकारी प्रशिक्षण उद्देश्य ज्ञान के साथ सकारात्मक सोच का विकास करना तथा कार्यदक्षता में वृद्धि करना है। प्रशिक्षण प्रायोगिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। प्रशिक्षण गहन अभ्यास पर आधारित होता है, जबकि सहकारी शिक्षा का फैलाव विस्तृत होता है। सहकारी शिक्षा सदस्यों, ग्राहकों और आम लोगों के लिए उपयोगी है, जबकि संस्था के प्रबंधकों, संचालकों, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एक अनिवार्य शर्त है। सहकारी आंदोलन के तीव्र एवं संतुलित विकास के लिए सहकारी शिक्षा एवं सहकारी प्रशिक्षण दोनों ही जरूरी है।

सहकारी शिक्षा व्यवस्था

भारत में सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन तीन स्तरों पर हो रहा है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है : (1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (राष्ट्रीय स्तर पर) (2) राज्य सहकारी संघ (राज्य स्तर पर) (3) जिला सहकारी संघ (जिला स्तर पर)

1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ- यह भारतीय सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष सहकारी संगठन है। इसका उद्देश्य उद्भव सन 1929 में उस समय हुआ, जब सुप्रसिद्ध सहकारी नेता श्री लालूभाई सामल दास के सभापतित्व में 'अखिल भारतीय सहकारी संस्थान' का गठन हुआ। इसके 20 वर्ष पश्चात सन 1949 में 'भारतीय प्रांतीय बैंक संगठन' का विलय 'भारतीय सहकारी संस्थान' में हो गया। इस विलय के फलस्वरूप 'भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ' के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका प्रमुख उद्देश्य सहकारी कार्यप्रणाली को सहकारी सिद्धांतों के आधार पर प्रभावी बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारतीय सहकारी संघ सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की गतिविधियों का संचालन सहकारी आंदोलन के विकास के लिए कर रहा है। इसका मुख्यालय नई

दिल्ली में हैं।

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की सदस्य संख्या 194 है। इसमें 17 विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय सहकारी संघ, 141 राज्य स्तर के विभिन्न सहकारी संघ तथा 36 बहुराज्यीय सहकारी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिनमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संघों के अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हैं।

2. सहकारी शिक्षा में योगदान – भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सहकारी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए अत्यंत गंभीर प्रयास कर रहा है। इसके लिए 49 सदस्यों वाली 'सहकारी शिक्षा पर राष्ट्रीय कमेटी' का गठन किया गया है, जिसमें लगभग सभी राज्यों के सहकारी विशेषज्ञों और सहकारी नेतृत्व को शामिल किया गया है तथा मुख्यालय स्तर पर विभिन्न राज्यों में सहकारी शिक्षा परियोजनाओं के संचालन के लिए एक पृथक अनुभाग भी गठित किया गया है। मत्स्य, दुग्ध, श्रमिक, हथकरघा, बागवानी, आदिवासी विकास, उपभोक्ता से संबंधित सहकारी क्षेत्रों में, जो विपणन, साख, बैंकिंग क्षेत्रों की तुलना में कमजोर हैं में 54 शिक्षा परियोजना का संचालन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा विभिन्न राज्यों में विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में किया जा रहा है।

3. राज्य सहकारी संघ– भारत में कुल 29 राज्य सहकारी संघ विभिन्न राज्यों में राजधानी स्तर पर कार्यरत है। राज्यों में सहकारी शिक्षा के प्रचार-प्रसार का उत्तरदायित्व राज्य सहकारी संघों पर है। इसके लिए प्रत्येक जिले में सहकारी प्रशिक्षकों की नियुक्तियां की गई है। जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक, सहकारी समिति के स्तर पर तीन दिवसीय शिक्षा प्रशिक्षण समिति प्रबंधकों के लिए दो दिवसीय सत्र संचालक मंडल के सदस्यों के लिए एक दिवसीय सत्र समिति के सदस्यों के लिए तथा एक दिवसीय सत्र महिलाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन शिक्षा प्रशिक्षण सत्रों में बहुत ही सरल व स्थानीय भाषा में सहकारिता के सिद्धांत मूल्य, सहकारी विधान के प्रमुख प्रावधान, समिति प्रबंधकों के कर्तव्य, संचालक मंडल तथा वार्षिक आमसभा की संचालन प्रक्रिया बैठकों की विषय वस्तु का निर्धारण, सदस्यों की योग्यता-अयोग्यता कर्तव्य अधिकार नियमित लेखांकन का महत्व अंकेक्षण-निरीक्षण ही उपयोगिता, राष्ट्रीय फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, महत्वपूर्ण परिपत्र, वसूली, समिति के बेहतर संचालन के मुद्दे आदि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

4. मप्र राज्य सहकारी संघ : – मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ का 25 1958 को 'मध्य भारत के केंद्रीय संस्था इंदौर' व 'महाकौशल को-ऑपरेटिव फेडरेशन जबलपुर' का एकीकरण कर गठन किया गया। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जबलपुर में ही था, परंतु कार्य संचालन की दृष्टि से तथा सभी शीर्ष सहकारी संघ राजधानी स्तर पर रखने की नीति के कारण इसका मुख्यालय जुलाई 1975 में भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में मप्र राज्य सहकारी संघ का मुख्यालय भोपाल के शाहपुरा में स्थित अपने विशाल परिसर में स्थित है।

संघ की सदस्यता सभी प्रकार के शीर्ष सहकारी संघों, जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं तथा उन सहकारी संस्थाओं, जिनका कार्यक्षेत्र एक जिले से अधिक हो, को प्राप्त है। मप्र राज्य सहकारी संघ राज्य के सहकारी आंदोलन के विकास और हितों की रक्षा उद्देश्य से आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। सहकारी आंदोलन के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ तथा भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित तथा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सहकारी शिक्षा योजना का संचालन राज्य सहकारी संघ द्वारा किया जा रहा है। सहकारी शिक्षा कार्यक्रम में माध्यम से सुदूर ग्रामों में सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों, सदस्यों और संभावित सदस्यों को संघ के सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों द्वारा सहकारी आंदोलन के सैद्धांतिक पक्षों और सहकारी कार्यप्रणाली से सूक्ष्म रूप से अवगत कराया जा रहा है। संघ द्वारा संचालित सदस्य शिक्षा योना सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा आदिवासी पिछले ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग रूप से संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत पांच, तीन, दो और एक दिवसीय सहकारी शिक्षा सत्रों का आयोजन किया जाता है।

5. जिला सहकारी संघ – प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला सहकारी संघ की स्थापना की गई है। यह जिले के सहकारी आंदोलन का प्रवक्ता है। सभी जिला स्तरीय एंव प्राथमिक सहकारी समितियों को इसकी सदस्यता प्राप्त करने की पात्रता है। जिला सहकारी संघों का प्रमुख उद्देश्य जिले की सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करना है। इसके लिए शिक्षा के प्रसार-प्रसार के लिए राज्य सहकारी संघ के सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों की पदस्थापना जिला सहकारी संघों में की गई है, जो जिला सहकारी संघ के मार्गदर्शन में सहकारी शिक्षा सत्रों का आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनी, सेमीनार, सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, सदस्यों के लिए व्यवहारिक अध्ययन भ्रमण आदि प्रसार-प्रचार कार्य भी जिला सहकारी संघों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सहकारी शिक्षा योजना का क्रियान्वयन राष्ट्र, राज्य एवं जिला स्तर पर सुचारु रूप से किया जा रहा है।

(स) सहकारी प्रशिक्षण व्यवस्था : सहकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करने तथा उन्नत मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्नानुसार की गई है -

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली
वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पुणे
क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान (5)
सहकारी प्रबंध संस्थान (14)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अनुभाग राष्ट्रीय सहकारी परिषद द्वारा सहकारिता विभाग तथा विभिन्न स्तर के सहकारी संस्थानों के उच्च एवं मध्यम स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। ●

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन) | मत्स्य पालन हेतु ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक)

श्रीमती भारती शेखावत
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री आर.एस. वसुनिया
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से : श्री गिरीश देवासकर (शा.प्र. महिला शाखा) । श्री बद्रीलाल मारू (शा.प्र. राजोद) । श्री सुरेश पाटीदार (शा.प्र. सागौर)

आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. राजोद, जि. धार श्री भागीरथ धनोतिया (प्रबंधक)	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. तीसगाँव, जि. धार श्री सुरेश ठाकुर (प्रबंधक)	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. उमारिया वाड़ा, जि. धार श्री श्याम परमार (प्रबंधक)
आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. चदरपुरा, जि. धार श्री राजेन्द्र दुबे (प्रबंधक)	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. लाभरिया, जि. धार श्री गोवर्धन पटेल (प्रबंधक)	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. सागौर, जि. धार श्री महेन्द्रसिंह शेखावत (प्रबंधक)
आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. वालछा, जि. धार श्री यशवंतसिंह चौहान (प्रबंधक)	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. बाहनपुर, जि. धार श्री अरुण शर्मा (प्रबंधक)	आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्या. बरमंडल, जि. धार श्री बद्रीलाल गोयल (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

जन-जन के लाड़ले नेता और मध्यप्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथ को जन्मदिवस की लख-लख बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर
हार्दिक बधाइयाँ

कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज

आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण

श्री बी.एस. शुक्ला
(बैंक प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री बी.एस. परते
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री आर.के. दुबे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

श्री राजीव रिछारिया
(वित्त प्रबंधक)

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. होशंगाबाद

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण • खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड • कृषि यंत्र के लिए ऋण • दुग्ध डेयरी योजना

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

श्री आर.आर. सिंह
(बैक प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्रीमती मीना डाबर
(उपायुक्त सहकारिता)

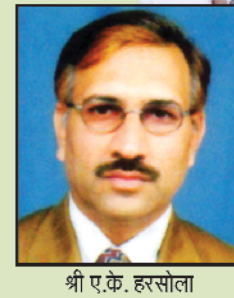

श्री ए.के. हरसोला
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

सौजन्य से : श्री राजेश साहू (शा.प्र. बाड़ी), श्री वीरपाल सिंह (शा.प्र. सुल्तानपुर)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बाड़ी, जि.रायसेन
श्री प्रदीप शर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. देहरीकला, जि.रायसेन
श्री राघवसिंह ठाकुर (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. भैसाया, जि.रायसेन
श्री शंकरसिंह चौहान (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. गुगुलबाग, जि.रायसेन
श्री चौहानसिंह चौहान (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. भारकच्छ, जि.रायसेन
श्री शालिगराम ठाकुर (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. सुल्तानपुर, जि.रायसेन
श्री संतोष रघुवंशी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बर्धा बम्हौरी, जि.रायसेन
श्री मुरलीधर सराठे (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. भीमपुर, जि.रायसेन
श्री त्रिलोचनसिंह (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. सिमरिया, जि.रायसेन
श्री रमेश सक्सेना (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. खमरिया मोहनपुर, जि.रायसेन
श्री रामभुवन द्विवेदी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. कुड़ाली, जि.रायसेन
श्री देवेन्द्र लोधी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. चंपानेर, जि.रायसेन
श्री जितेन्द्र विश्वकर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. मनवार, जि.रायसेन
श्री देवीसिंह धाकड़ (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

सहकारिता के पितृ-पुरुष

मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन को ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए अनेक लोगों का योगदान रहा है। छोटी-छोटी संस्थाओं की इकाई खड़ी करना और उसे दिन रात की मेहनत से दहाई में बदलकर सहकारिता क्षेत्र के कुछ आधार स्तंभों ने मप्र में दूर-दराज के क्षेत्रों तक विकास को ले जाने का काम किया है। हम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए काम करने वाले ऐसे ही कुछ कर्मवीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कतार के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने का सपना देखा और उसे साकार भी किया।

स्व.काशीप्रसादजी पांडे

स्व. पं. काशी प्रसादजी पांडे का जन्म 1887 में जानसन गंज (इलाहाबाद) में स्व. जयराम पांडे के घर में हुआ। आपने एम.ए. एल.एल.बी. तक शिक्षा प्राप्त की। पं. काशीप्रसादजी अनेक सहकारी संस्थाओं से संबद्ध रहे। 1922 से 1972 तक आप निरंतर विष्णुदत्त को-ऑपरेटिव बैंक, जबलपुर से जुड़े रहे। स्व. काशीप्रसादजी विष्णुदत्त को- ऑपरेटिव बैंक और राज्य सहकारी बैंक के संस्थापक सदस्य भी रहे। विष्णुदत्त को-ऑपरेटिव बैंक सिहोरा जो बाद में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के रूप में प्रसिद्ध देश की प्रथम सहकारी बैंक के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आपका स्वर्गवास 1 मार्च 1984 को हुआ।

पं. रामगोपाल तिवारी

स्व. श्री पं. रामगोपाल तिवारी का जन्म 31 अगस्त 1917 को गणेश चतुर्थी के दिन बिलासपुर जिले में हुआ। आपकी शिक्षा और सहकारिता में गहरी रूचि रही है। 1951 में इन्होंने सहकारी बैंक के उपसचिव निर्वाचित हो सहकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। 1956-73 के बीच के बिलासपुर जिला सहकारी संघ, उपभोक्ता भंडार एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष एवं संचालक आदि पदों पर भी रहे। मध्यप्रदेश राज्य

सहकारी संघ के 10 वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं। प्रदेश के सभी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सहकारिता का प्रदेश व्यापी विस्तार प्रसार हुआ। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल के भी 10 वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन.सी.सी.एफ.), नई दिल्ली के निदेशक मंडल एवं कार्यकारिणी समिति के 1973 के सदस्य रहे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्वितीय सहकारी नेतृत्व के रूप में स्थापित रहे। राष्ट्रीय-उपभोक्ता सहकारी संघ दिल्ली के 1983 में 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा उसके गुणात्मक विकास में राष्ट्रव्यापी योगदान दिया। म.प्र. में इसका प्रथम कार्यालय खुलवाया। आपने सहकारिता के क्षेत्र में विश्व का व्यापक रूप से भ्रमण किया है।

स्व. लक्ष्मण प्रसाद भार्गव

उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कौन नही जानता बहुमुखी प्रतिमा के धनी सुप्रसिद्ध व लब्ध प्रतिष्ठित भार्गव

परिवार में जन्मे स्वर्गी पं. राम प्रसादजी भार्गव के पुत्र स्व. श्री लक्ष्मणप्रसाद भार्गव को। प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश के सहकारी जगत में श्री लक्ष्मणप्रसाद भार्गव का नाम एक कर्मठ व सुयोग्य कार्यकर्ता के रूप में प्रख्यात रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर श्री भार्गव के सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री देवगोड़ा ने उन्हें 'बेस्ट को-ऑपरेटर' के सम्मान से नवाजा था। इसी प्रकार विधि जगत में श्री लक्ष्मणप्रसाद भार्गव की सेवाओं की मान्यता प्रदान कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के प्रारंभ से ही वे सदस्य रहे तथा वर्षों तक उसके उपाध्यक्ष व अध्यक्ष रहे।

दाऊ सरदारसिंहजी

स्व. श्री सरदारसिंह बुंदेला (दाऊ साब) का जन्म 9 मार्च 1927 को टीकमगढ़ जिले के ग्राम देवरदा में भुजबलसिंह बुंदेला के घर हुआ। इंटर पास दाऊ साब टीकमगढ़ जिले में सहकारिता आंदोलन के प्रवर्तकों में से थे। रचनाकार प्रथम पुरुष थे। टीकमगढ़ जिले में 1963 में सहकारी बैंक ने कार्य प्रारंभ किया था। हालाँकि 1956 में विंध्य सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. रीवा की एक शाखा की स्थापना की गई थी। बाद

में 1959 में अपेक्स बैंक की एक शाखा बुंदेलखंड के नाम से स्थापित की गई थी। जब 1 जुलाई 1963 को बैंक ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया तो प्रथम सहकारी बैंक का प्रथम अध्यक्ष स्व.दाऊ साहब को निर्वाचित किया गया था तथा आप वर्ष 1967 से 1977 तक भी बैंक के अध्यक्ष रहे। आप 16 दिसंबर 1982 को असीम में विलीन हो गए।

स्व. श्री ताराचंद अग्रवाल

स्व. श्री ताराचंद अग्रवाल का जन्म 1 जुलाई 1932 को अम्बिकापुर में हुआ। आपने हिन्दी व राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर तक शिक्षा ली तथा एल.एल.बी. की डिग्री हासिल की।

स्व. श्री ताराचंद अग्रवाल म.प्र. की सहकारिता की अमूल्य धरोहर रहे हैं। आपने प्रदेश की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आप म.प्र. राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में 1966 से 1970 तक उपाध्यक्ष रहे तथा बाद में अध्यक्ष बने। आप राज्य सहकारी बैंक व राज्य सहकारी संघ में भी विभिन्न पदों पर आसीन रहे। सरगुजा जिला सहकारी भूमि विकास बैंक, जिला सहकारी संघ तथा विपणन सहकारी संस्था में भी पदाधिकारी रहे हैं।

आनंद नारायण मुशरान

श्री मुशरान सन् 1935 में नरसिंहपुर म्युनिसिपल कमेटी के सचिव, 1936 में लोकल बोर्ड के अध्यक्ष, 1937 में केंद्रीय सहकारी बैंक के संयुक्त मानसेवी सचिव, 1939 से 1942 तक जिला कौंसिल के अध्यक्ष, 1947 से 1952 तक नरसिंहपुर जनपद सभा के अध्यक्ष, 1957 से 63 तक केंद्रीय सहकारी बैंक के सचिव, 1965 से 66 तथा 74 में पुनः केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष, 1975 से 77 तक नरसिंहपुर जिला भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1972 से 75 तक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक भोपाल के उपाध्यक्ष रहें। आपने अंतरराष्ट्रीय सहकारी महासंघ के आमंत्रण पर वर्ष 1974 में लंदन में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया था।

डॉ. नारायणप्रसाद सोनी

माँ नर्मदा नदी के पावन भूमि मंडला मुख्यालय से 20 कि.मी. दूरी पर स्थित ग्राम बम्हनी बंजर में दिनांक 19.3.1923 को डॉ. नारायण प्रसाद सोनी का जन्म हुआ। आप प्रारंभ से ही समाज सेवा एवं जनकल्याण के कार्यों में जुड़े रहे। डॉ. सोनी विपणन सहकारी समिति मर्यादित, मंडला से बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए 11.7.72 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मंडला के अध्यक्ष पद पर पदासीन हुए तथा 5 वर्षों तक सराहनीय योगदान दिया। श्री सोनी 21.9.77 तक अध्यक्ष पद पर पदासीन रहे। इसी दरम्यान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, भोपाल के संचालक मंडल में संचालक पद पर बैंक का प्रतिनिधित्व किया। 14.8.85 को उनका देहावसान हुआ।

स्व. ठाकुर शिवकुमार सिंह

सहकारिता के विकास को नए आयाम देने वाले स्व. ठा.शिवकुमार सिंह का जन्म 26 जनवरी 1944 को श्री नवलसिंह के घर हुआ। एम.कॉम., एल.एल.बी करने के बाद आपको साहित्य रत्न की उपाधि दी गई। आप 1981से नवलसिंह सहकारी शक्कर करखाना खलकोद के अध्यक्ष रहे तथा 1984 में नवलसिंह सूत मिल खरकौद की स्थापना की तथा संस्थापक अध्यक्ष भी बने तथा 1993 में किसान सहकारी अपारंपरिक विद्युत उत्पादन समिति खदकौल की स्थापना की व संस्थापक अध्यक्ष रहे। आपने बुरहानपुर नगर व जिले की अनेक सामाजिक सांस्कृतिक रहे। आप कृषि की उन्नति के लिए कृत संकल्प थे। ●

सहकारिता गरीब व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों का प्रतीक है। प्रगति एवं आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए उपयोगी एवं विश्वसनीय मित्र है।
- हेनरी डब्ल्यू बोल्फ

ग्रामीण विकास की सर्वश्रेष्ठ आशा सहकारी विकास में निहित है।
- डॉ. एल ईमारसुली

सहकारिता मानव की खुशी की अर्थशास्त्र है।
-बैकुंठभाई मेहता

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक बधाइयाँ

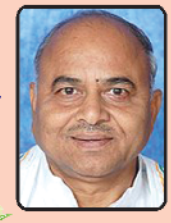

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ
* कृषि उपकरण प्रदाय * रासायनिक खाद विक्रय
श्री महेशचंद पालीवाल (प्रशासक)
श्री राजेश पाठक (प्रबंधक)
सौजन्य से : किसान सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया समिति मर्या. मनावर, जि. धार

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ
* कृषि उपकरण प्रदाय * रासायनिक खाद विक्रय
श्री राकेश विक्टर (प्रशासक)
श्री प्रदीप पंडित (प्रबंधक)
सौजन्य से : जनता को-ऑपरेटिव मिल्स लि. धामनोद, जि.धार

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

सुश्री निधि निवेदिता
(कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक)

श्री आर.आर. सिंह
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री ए.के. जैन
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. राजगढ़

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के
कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन

म.प्र . सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-54 के प्रावधान के अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारी सेवा नियम में संशोधन करते हुए आदेश दिया गया है कि प्रदेश की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के समिति प्रबंधक का केडर संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा संधारित किया जाएगा तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा संधारित संवर्ग से ही अपने-अपने जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में समिति प्रबंधक के पद पर पदस्थी की जाएगी। विस्तृत संशोधन इस प्रकार है :-

सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
अध्याय-1 कंडिका 2(iii)	'प्रबंधक' से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो प्रबंधक के कर्तव्य निष्पादन हेतु संस्था की उपविधियों के अधीन नियुक्त किया गया हो।	'प्रबंधक' से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो संस्था की उपविधियों के अधीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा संधारित केडर से नियुक्त किया गया हो, जो संस्था के संचालक मंडल के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हुए प्रबंधक के कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।	अधिनियम की धारा 54 में किये गये संशोधन अनुसार समिति प्रबंधक की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति से किये जाने के कारण।
अध्याय-1 कंडिका 2(xvi)	नवीन प्रावधान	'बैंक' से तात्पर्य संबंधित जिले की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित से है।	बैंक शब्द की परिभाषा हेतु।
अध्याय-1 कंडिका 2(xvii)	नवीन प्रावधान	'केडर समिति' समिति प्रबंधक की पदस्थापना एवं स्तानांतरण हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कर्मचारी सेवा नियम में प्रावधानित केडर समिति से है, जो बैंक की स्टाफ उपसमिति को ही केडर समिति मान्य किया जाएगा।	अधिनियम की धारा 54 में किये गये संशोधन अनुसार समिति प्रबंधक की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति से किये जाने के कारण।
अध्याय-2 कंडिका-4	संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का पदवार वर्गीकरण : वर्ग-1 : समिति प्रबंधक वर्ग-2 : सहायक प्रबंधक/लेखापाल वर्ग-3 : लिपिक/कैशियर वर्ग-4 : विक्रेता वर्ग-5 : भृत्य/चौकीदार उपरोक्त वर्ग के पदों में संस्था द्वारा अपनी आवश्यकता का आकलन कर तथा लागू वित्तीय मानदण्ड के अधीन भुगतान क्षमता, प्रबंधकीय लागत एवं स्थापना लागत का विश्लेषण कर संस्था की पात्रता के अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी तथा संविधा आधार पर कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण कर नियुक्ति की जा सकेगी।	संस्था में कार्यरत कर्मचारियों का पदवार वर्गीकरण : वर्ग-1 : समिति प्रबंधक वर्ग-2 : सहायक प्रबंधक/लेखापाल वर्ग-3 : लिपिक/कैशियर/कम्प्यूटर ऑपरेटर वर्ग-4 : विक्रेता वर्ग-5 : भृत्य/चौकीदार उपरोक्त वर्ग के पदों में संस्था द्वारा अपनी आवश्यकता का आकलन कर तथा लागू वित्तीय मानदण्ड के अधीन भुगतान क्षमता, प्रबंधकीय लागत एवं स्थापना लागत का विश्लेषण कर संस्था की पात्रता के अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी तथा संविधा आधार पर कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण कर नियुक्ति की जा सकेगी।	संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा उपार्जन आदि में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर की वैधता हेतु।

सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
	सेवा नियम लागू होने के पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को उपरोक्त वर्गीकरण में उल्लेखित पदों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही समायोजित किया जाएगा।	सेवा नियम लागू होने के पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को उपरोक्त वर्गीकरण में उल्लेखित पदों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही समायोजित किया जाएगा।	
अध्याय-3 कंडिका-7 (ए) (ii)	संस्था का विगत 3 वर्षों में पूँजी व जोखिम पूर्ण संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 7 प्रतिशत या समय-समय पर नाबार्ड द्वारा संशोधित दर के अधीन हो।	संस्था का विगत 3 वर्षों में पूँजी व जोखिम पूर्ण संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत या समय-समय पर नाबार्ड द्वारा संशोधित दर के अधीन हो।	नाबार्ड द्वारा सीआरएआर मापदण्ड परिवर्तन के कारण
अध्याय-3 कंडिका-11.1	समिति प्रबंधक निर्धारित योग्यता : स्नातक एवं डिप्लोमा/डिग्री इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (वाणिज्य स्नातक एवं सहकारी प्रबंधन में डिप्लोमा/डिग्रीधारी को प्राथमिकता)	समिति प्रबंधक निर्धारित योग्यता : 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा/सर्टिफिकेट प्रबन्धन में स्नातक को प्राथमिकता। 2. पूर्व से कार्यरत समिति प्रबंधकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के सहायक प्रबंधकों से चयनित समिति प्रबंधकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी उत्तीर्ण होना पर्याप्त होगा तथा कम्प्यूटर संबंधी उपरोक्त निर्धारित योग्यता धारित नहीं होने पर, 1 वर्ष की समयावधि में योग्यता हासिल करना अनिवार्य होगा। किसी विशेष परिस्थिति में इस अवधि में एक वर्ष की वृद्धि केडर समिति द्वारा की जा सकेगी। 4. समिति प्रबंधक पद हेतु म.प्र. का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक पद पर चयन हेतु अर्हता : 1. सहायक समिति प्रबंधक जो समिति प्रबंधक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हो, तथा उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवानियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध ढंग से की गई हो, जिनको कम से कम 5 वर्ष संतोषजनक सेवा संस्था में रही हो, तथा जिनके विरुद्ध गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर अनियमितताओं के प्रकरण सेवाकाल में न रहे हों, के नाम चयन हेतु सूची में शामिल किये जाएँगे। इस तरह के संस्था के सहायक प्रबंधकों की सूची प्रतिवर्ष 31 मार्च पर प्रकाशित	अधिनियम की धारा 54 में किये गये संशोधन अनुसार समिति प्रबंधक की व्यवस्था प्रतिनियुक्ति से किये जाने के कारण।

सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
		की जाएगी। इस सूची का विधिवत प्रकाशन कर, जिनके नाम पर कोई आपत्ति है, उन्हें सूचित किया जाएगा तथा सूची पर कोई आपत्ति प्राप्त होने पर, इस आपत्ति पर सुनवाई का अवसर देकर बैंक द्वारा निर्णय लिया जाकर, अंतिम सूची जारी की जाएगी। 2. किसी आवेदनकर्ता को अनियमितता/लेनदारी राशि आदि से संबंधित आपत्ति होने पर आवश्यक प्रमाण/दस्तावेज सहित अभ्यावेदन केडर समिति के समक्ष दिया जा सकता है। 3. पैनल में नाम शामिल करने हेतु संबंधित आवेदनकर्ता को बगैर शर्त समिति प्रबंधक के केडर/संवर्ग में शामिल होने का सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा। 4. समिति प्रबंधक पद पर प्रथम नियुक्ति परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष पर रहेगी, आवश्यकता होने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष बढ़ाई जा सकेगी, परंतु कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर उन्हें उनके मूल पद पर संबंधित संस्था में वापस भेज दिया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाएगी।	
	भर्ती का प्रकार : पदोन्नति से भर्ती होगी परन्तु जहाँ योग्यताधारी कर्मचारी नहीं है, वहाँ सीधी भर्ती से पूर्ति की जाएगी।	**भर्ती का प्रकार :** बैंक के समिति प्रबंधक के पदों की कुल संख्या का 40 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से तथा 60 प्रतिशत पद प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों के चयन कर पूर्ति की जाएगी।	
अध्याय-3 कंडिका-11.3	**लिपिक :** **निर्धारित योग्यता : (10+2) हायर सेकंडरी परीक्षा उत्तीर्ण मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में सर्टिफिकेट आवश्यक स्नातक को प्राथमिकता।**	**लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर :** **निर्धारित योग्यता : (10+2) हायर सेकंडरी परीक्षा उत्तीर्ण मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर में सर्टिफिकेट आवश्यकता स्नातक को प्राथमिकता।**	**कम्प्यूटर ऑपरेटर पद की योग्यता के कारण।**
अध्याय-3 कंडिका-15	**आरक्षण :** म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधान अनुसार पदों का आरक्षण किया जाएगा।	**आरक्षण :** म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधान अनुसार पदों का आरक्षण किया जाएगा **तथा म.प्र. शासन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा तथा महिला वर्ग हेतु लागू आरक्षण भी शासन के समान प्रभावी होंगे।**	

सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
कंडिका-16 (ए)	**चयन प्रक्रिया** (ए) प्रबंधक पर चयन की प्रक्रिया : प्रबंधक पद पर चयन हेतु केवल 250 अंक निर्धारित किये जाते हैं जो आवेदक की योग्यता के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किये जाएँगे। (1) 10+2 हायर सेकंडरी परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों को अधिकतम 100 अंक दिये जाएँगे। अर्थात् प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जाएँगे। (उदाहरणार्थ- यदि किसी आवेदक को हायर सेकंडरी परीक्षा में 75.25 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 75.5 अंक दिये जाएँगे) (2) स्नातक परीक्षा में से प्राप्त अंकों को अधिकतम 100 अंक दिये जाएँगे अर्थात् प्राप्त प्रतिशत के बराबर अंक प्रदान किये जाएँगे। (उदाहरणार्थ- यदि किसी आवेदक को स्नातक परीक्षा में 66.3 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं तो 66.3 अंक दिये जाएँगे।) (3) वाणिज्य स्नातक अभ्यर्थियों को 10 अंक अधिकतम दिये जाएँगे। परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर 1/10 अंक दिये जाएँगे। अर्थात् 63 प्रतिशत प्राप्तांकों को 6.3 अतिरिक्त दिये जाएँगे। (4) म.प्र. राज्य सहकारी संघ/ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्राप्त डिप्लोमा/डिग्री हेतु अधिकतम 20 अंक दिये जाएँगे। डिप्लोमा/डिग्री परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 1/5 अंक प्रदाय किये जाएँगे। उदाहरणार्थ- 65 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी को 13 अंक दिये जाएँगे। (5) सहकारी प्रबंधन संस्थान/ म।प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल/ किसी मान्यता प्रापत विश्वविद्यालय से सहकारी प्रबंध में डिग्री/डिप्लोमा हेतु 20 अंक प्रदाय किये जाएँगे। (6) उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर आवंटित अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी एवं चयनित उम्मीदवार का व्यक्तिगत साक्षात्कार चयन समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसमें ग्रामीण/दूरस्थ परिवेश के कार्यस्तल तथा अनुबंध पत्र की जानकारी प्रदान कर अभ्यर्थी को सहमति प्राप्त की जाएगी। इस साक्षात्कार हेतु कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों के अतिरिक्त इन पदों के 25 प्रतिशत तक प्रतीक्षा सूची भी रखी जाएगी। यह एक वर्ष तक मान्य होगी। संस्थाओं में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति इस प्रतीक्षा से की जा सकेगी।	समिति प्रबंधक की पदस्थापना/स्थानांतरण बैंक की केडर समिति द्वारा किया जाएगा। समिति प्रबंधक पद पर चयन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की केडर समिति द्वारा बैंक सेवानियम के अनुसार किया जाएगा।	

सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
अध्याय-3 कंडिका-17 (i)	**नियुक्ति प्रक्रिया** चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर की जाएगी- (1) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश संस्था के प्रबंधक द्वारा जारी किया जाएगा, परंतु प्रबंधक का नियुक्ति पत्र अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।	**नियुक्ति प्रक्रिया** चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाकर की जाएगी- (1-अ) प्रबंधक पद बैंक संवर्ग का होने से प्रबंधक पद पर चयन प्रक्रिया बैंक सेवा नियम अनुसार होगी तथा संस्था में पदस्थापना/स्थानांतरण बैंक द्वारा किया जाएगा, जिसका पालन बंधनकारी होगा। परंतु यह भी कि बैंक केडर का कोई प्रबंधक यदि संबंधित संस्था का पूर्व कर्मचारी है तो उसकी पदस्थापना कभी भी उस प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में नहीं की जाएगी, जिसका वह पूर्व कर्मचारी रहा है। (1-ब) परन्तु यह भी कि किसी विशेष स्थिति में उपरोक्त दोनों प्रावधानों से पंजीयक शिथिलता प्रदान कर सकेंगे। अन्य पदों पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश संस्था के प्रबंधक द्वारा जारी किया जाएगा। नियुक्ति के पूर्व नियुक्तिकर्ता अधिकारी सभी संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट आदि का सत्यापन करेंगे तथा इसकी प्रमाणित छायाप्रति संस्था रिकॉर्ड में रखेंगे।	
कंडिका-18	**कार्य का मूल्यांकन प्रशिक्षण और क्षमता विकास :** 1. प्रत्येक कर्मचारी की एक सेवा पुस्तिका संस्था स्तर पर संधारित रहेगी। संस्था के संचालक मंडल द्वारा पदवार कर्तव्य सूची तैयार की जाएगी तथा तदनुसार कर्मचारियों से कार्य निष्पादन कराया जाएगा। 2. प्रत्येक कर्मचारी के कार्य के मूल्यांकन हेतु वार्षिक चरित्रावली रखी जाएगी। कार्य के मूल्यांकन हेतु मापदंड एवं गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	**कार्य का मूल्यांकन प्रशिक्षण और क्षमता विकास :** **1. समिति प्रबंधक की सेवा पुस्तिका का संधारण जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा किया जाएगा।** शेष कर्मचारियों की एक सेवा पुस्तिका संस्था स्तर पर संधारित रहेगी। संस्था के संचालक मंडल द्वारा पदवार कर्तव्य सूची तैयार की जाएगी तथा तदनुसार कर्मचारियों से कार्य निष्पादन कराया जाएगा। **2. समिति प्रबंधक की गोपनीय चरित्रावली संबंधित समिति के अध्यक्ष द्वारा लिखी जाएगी एवं गोपनीय चरित्रावली में द्वितीय मतांकन जिला बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अंतिम मतांकन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।** संस्था के शेष कर्मचारियों के कार्य के मूल्यांकन हेतु वार्षिक चरित्रावली रखी जाएगी।	

<table>
<tr><th>सेवा नियम क्र.</th><th>वर्तमान प्रावधान</th><th>प्रस्तावित संशोधित प्रावधान</th><th>कारण</th></tr>
<tr><td></td><td>3. कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु उन्हें पंजीयक/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना बंधनकारी होगा।</td><td>कार्य के मूल्यांकन हेतु मापदंड एवं गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप पंजीयक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

3. कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु उन्हें पंजीयक/ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना बंधनकारी होगा।</td><td></td></tr>
<tr><td>अध्याय-4
कंडिका-19
(अ)</td><td>अ. पदोन्नति :
निर्धारित अर्हता धारण करने पर कर्मचारियों को विभिन्न वर्गों के पदों पर निम्नानुसार क्रम में पदोन्नति प्रदान की जाएगी।
वर्ग 5 से वर्ग 4 : चौकीदार/भृत्य से विक्रेता पद पर।
वर्ग 4 से वर्ग 3 : विक्रेता से लिपिक/कैशियर पद पर।
वर्ग 3 से वर्ग 2 : लिपिक/कैशियर से सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल पद पर।
वर्ग 2 से वर्ग 1 : सहायक समिति प्रबंधक/ लेखापाल से समिति प्रबंधक पद पर।
शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। पदोन्नति का मापदंड वरिष्ठता सह-योग्यता होगा।</td><td>अ. पदोन्नति :
निर्धारित अर्हता धारण करने पर कर्मचारियों को विभिन्न वर्गों के पदों पर निम्नानुसार क्रम में पदोन्नति प्रदान की जाएगी।
वर्ग 5 से वर्ग 4 : चौकीदार/भृत्य से विक्रेता पद पर।
वर्ग 4 से वर्ग 3 : विक्रेता से लिपिक/कैशियर पद पर।
वर्ग 3 से वर्ग 2 : लिपिक/कैशियर से सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल पद पर।
पदोन्नति हेतु पदोन्नत पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। पदोन्नति का मापदंड वरिष्ठता सह-योग्यता होगा।</td><td></td></tr>
<tr><td>अध्याय-6
कंडिका-27</td><td>दण्ड हेतु सक्षम अधिकारी :
(1) किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा नियम 23 एवं 24 में वर्णित कार्यों, त्रुटियों तथा कृत्यों के लिए सेवा नियम 25 एवं 26 के अधीन उल्लेखित दण्ड देने के लिए सक्षम अधिकारी निम्नानुसार होंगे :-
<table>
<tr><th>कर्मचारी का पद</th><th>गंभीर दुराचरण के तहत दंड हेतु सक्षम अधिकारी</th><th>साधारण दुराचरण के तहत दंड हेतु सक्षम अधिकारी</th></tr>
<tr><td>प्रबंधक</td><td>संचालक मंडल</td><td>संचालक मंडल</td></tr>
<tr><td>लेखापाल</td><td>संचालक मंडल</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>सहायक प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>कैशियर</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>लिपिक</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>विक्रेता</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>भृत्य/चौकीदार</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
</table></td><td>दण्ड हेतु सक्षम अधिकारी :
(1) किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध सेवा नियम 23 एवं 24 में वर्णित कार्यों, त्रुटियों तथा कृत्यों के लिए सेवा नियम 25 एवं 26 के अधीन उल्लेखित दण्ड देने के लिए सक्षम अधिकारी निम्नानुसार होंगे :-
<table>
<tr><th>कर्मचारी का पद</th><th>गंभीर दुराचरण के तहत दंड हेतु सक्षम अधिकारी</th><th>साधारण दुराचरण के तहत दंड हेतु सक्षम अधिकारी</th></tr>
<tr><td>प्रबंधक</td><td>विलोपित</td><td>विलोपित</td></tr>
<tr><td>लेखापाल</td><td>संचालक मंडल</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>सहायक प्रबंधक</td><td>संचालक मंडल</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>कैशियर</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>लिपिक</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>विक्रेता</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
<tr><td>भृत्य/चौकीदार</td><td>प्रबंधक</td><td>प्रबंधक</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
	परन्तु यह भी कि प्रबंधक के संबंध में कोई निर्णय सहकारिता विभाग के जिला प्रमुख उप/सहायक आयुक्त के अनुमोदनोपरांत ही लागू किया जाएगा। (2) प्रबंधक को दंडित किये जाने के प्रकरण में संचालक मंडल (सक्षम प्राधिकारी) के निर्णय का क्रियान्वयन संचालक मंडल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कारण बताओ सूचना पत्र, आरोप पत्र एवं दंडादेश जारी करने हेतु प्राधिकृत होगा। (3) प्रबंधक के विरुद्ध विभागीय जाँच संस्थित होने का निर्णय होने पर सहकारिता विभाग/वित्तदायी बैंक के जिला प्रमुख से उपयुक्त नाम प्राप्त कर जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति प्राधिकृत अधिकारी करेगा।	**(2) संस्था का संचालक मंडल, समिति प्रबंधक के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आवश्यक प्रस्ताव बैंक की केडर समिति को प्रेषित कर सकेगा।**	
अध्याय-8 कंडिका-34	**वेतन, भत्ते एवं पारिश्रमिक/मानदेय :** कर्मचारी को वेतन एवं भत्ते संस्था के संचालक मंडल द्वारा संस्था की देय भुगतान क्षमता एवं अन्य निर्धारित मानदंडों के अनुसार संस्था की पात्रता के अंतर्गत दिया जाएगा। अनुबंध के आधार पर संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। कर्मचारियों को निम्नानुसार प्रतिमाह पारिश्रमिक/मानदेय दिया जा सकेगा : 1. **समिति प्रबंधक :** उच्च कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 2. सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल- कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 3. लिपिक/कैशियर अर्धकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 4. विक्रेता- अर्धकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 4(अ) संविदा आधार पर अनुबंध पर नियुक्त कनिष्ठ विक्रेता संविदा आधार पर नियुक्त कनिष्ठ विक्रेता को खाद्य विभाग द्वारा वर्तमान प्रावधान अनुसार प्रति दुकान रु. 8400/- प्रतिमाह	**वेतन, भत्ते एवं पारिश्रमिक/मानदेय :** कर्मचारी को वेतन एवं भत्ते संस्था के संचालक मंडल द्वारा संस्था की देय भुगतान क्षमता एवं अन्य निर्धारित मानदंडों के अनुसार संस्था की पात्रता के अंतर्गत दिया जाएगा। अनुबंध के आधार पर संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा। कर्मचारियों को निम्नानुसार प्रतिमाह पारिश्रमिक/मानदेय दिया जा सकेगा : 1. **समिति प्रबंधक :** समिति प्रबंधकों के वेतन भत्ते आदि का भुगतान जिला बैंक कर्मचारी सेवानियम के प्रावधान अंतर्गत संबंधित जिला बैंक द्वारा किया जाएगा। इस हेतु जिला बैंक में संवर्ग वेतन मद का पृथक खाता रखा जाएगा। प्रबंधक पद पर वर्ष में कुल व्यय की 50 प्रतिशत राशि संबंधित पैक्स संस्थाओं से वसूल कर इस खाते में जमा की जाएगी। 2. सहायक समिति प्रबंधक/लेखापाल- कुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 3. लिपिक/कैशियर अर्धकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 4. विक्रेता- अर्धकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। 4(अ) संविदा आधार पर अनुबंध पर नियुक्त कनिष्ठ विक्रेता संविदा आधार पर नियुक्त कनिष्ठ विक्रेता को खाद्य विभाग द्वारा वर्तमान प्रावधान अनुसार प्रति दुकान रु. 8400/- प्रतिमाह	

सेवा नियम क्र.	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	कारण
	देय कमीशन में से राशि रु. 6000/- (छः हजार) प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा भविष्य में खाद्य विभाग द्वारा मानदेय मद में राशि बढ़ाए या घटाए जाने पर मानदेय का तदनुसार भुगतान किया जाएगा। 5. भृत्य/चौकीदार- अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। (उक्त निर्धारित राशि से अधिक पारिश्रमिक दिये जाने हेतु पंजीयक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा) परन्तु संस्था भुगतान क्षमता धारित करने के योग्य होती है, तो संस्था के कर्मचारियों को भुगतान क्षमता धारित करने की योग्यता का परीक्षण संभागीय संयुक्त पंजीयक की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति जिसमें जिले के उप/सहायक आयुक्त एवं बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा कर्मचारी सेवानियम के अध्याय 3 की कंडिका-7 के अनुसार किया जाकर निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति दी जा सकेगी।	देय कमीशन में से राशि रु. 6000/- (छः हजार) प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा भविष्य में खाद्य विभाग द्वारा मानदेय मद में राशि बढ़ाए या घटाए जाने पर मानदेय का तदनुसार भुगतान किया जाएगा। 5. भृत्य/चौकीदार- अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित कलेक्टर दर। (उक्त निर्धारित राशि से अधिक पारिश्रमिक दिये जाने हेतु पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म.प्र. से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा) परन्तु संस्था भुगतान क्षमता धारित करने के योग्य होती है, तो संस्था के कर्मचारियों को भुगतान क्षमता धारित करने की योग्यता का परीक्षण संभागीय संयुक्त पंजीयक की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति जिसमें जिले के उप/सहायक आयुक्त एवं बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा कर्मचारी सेवानियम के अध्याय 3 की कंडिका-7 के अनुसार किया जाकर निम्नानुसार वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति दी जा सकेगी।	

समिति प्रबंधक	5200-20200+1900 ग्रेड पे
सहायक प्रबंधक/ लेखापाल	4400-7440+1500 ग्रेड पे
लिपिक/कैशियर	4400-7440+1400 ग्रेड पे
विक्रेता	4400-7440+1400 ग्रेड पे
संविदा आधार पर नियुक्त कनिष्ठ विक्रेता	खाद्य विभाग द्वारा नियत मानदेय
भृत्य/चौकीदार	अकुशल श्रमिक हेतु कलेक्टर दर

समिति प्रबंधक	विलोपित
सहायक प्रबंधक/ लेखापाल	4400-7440+1500 ग्रेड पे
लिपिक/कैशियर	4400-7440+1400 ग्रेड पे
विक्रेता	4400-7440+1400 ग्रेड पे
संविदा आधार पर नियुक्त कनिष्ठ विक्रेता	खाद्य विभाग द्वारा नियत मानदेय
भृत्य/चौकीदार	अकुशल श्रमिक हेतु कलेक्टर दर

मुख्यमंत्री की अपील : नरवाई नहीं जलाएं किसान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किसानों से अपील की है कि प्रदूषण की रोकथाम, प्रदेश की आबोहवा को सुरक्षित रखने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिये पराली (नरवाई) नहीं जलाएं। उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने में सहायक कृषि-सहयोगी सूक्ष्म जीवाणु तथा जीव भी नष्ट हो जाते हैं। श्री कमल नाथ ने किसानों से कहा है कि आप हरियाली के जनक हैं, आबोहवा के पहरेदार हैं। इसलिये नरवाई को जलाने की बजाए उसका अन्य उपयोग करें, जिससे उन्नत खेती, पशु-चारे की उपलब्धता और सभी को स्वच्छ प्राण वायु मिल सके। साथ ही, अन्य प्रदेशों में हवा में फैल रहे जहर से हम अपने प्रदेश को समय रहते बचाये रख सकें। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने किसानों से कहा है कि अति-वृष्टि से उनकी फसलों को हुए नुकसान से राज्य सरकार चिंतित है तथा इसकी भरपाई के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने केन्द्र सरकार से इसके लिये मदद भी माँगी है। श्री कमल नाथ ने कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई के लिये राज्य सरकार वचनबद्ध है।

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

डॉ. श्रीकांत पाण्डेय
(कलेक्टर एवं डैथ प्रशासक)

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री मनोज गुप्ता
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री मुकेश बार्चे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण

सौजन्य से

श्री राजाराम बारवाल (शा.प्र. सोनकच्छ)
श्री राजेन्द्र जायसवाल (पर्यवेक्षक सोनकच्छ)
श्री गिरिराजसिंह चौहान (पर्यवेक्षक सोनकच्छ)

श्री कमलसिंह झोरड़ (शा.प्र. बरोठा)
श्री मदनलाल चौधरी (पर्यवेक्षक बरोठा)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोनकच्छ, जि.देवास
श्री संतोष शुक्ला (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. गढ़ खजुरिया, जि.देवास
श्री महेन्द्र सिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. दौलतपुर, जि.देवास
श्री लोकेन्द्र सिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. जामगोद, जि.देवास
श्री हरेन्द्र सिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. फावड़ा, जि.देवास
श्री गोकलदास (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बरोठा, जि.देवास
श्री राजेन्द्रसिंह चावड़ा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बीसाखेड़ी, जि.देवास
श्री कालू सिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. तिरोल्या, जि.देवास
श्री मदनलाल गुप्ता (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कु. राव, जि.देवास
श्री खुमानसिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. खोकरिया, जि.देवास
श्री राजेन्द्रसिंह चावड़ा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. दो. जागीर, जि.देवास
श्री धर्मेन्द्र सिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कैलोद, जि.देवास
श्री रामगोपाल वर्मा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पि. बक्क्षु, जि.देवास
श्री प्रहलाद सिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पटाड़ी, जि.देवास
श्री मदनलाल चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. डबलाई, जि.देवास
श्री भाबरसिंह (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. सन्नौड़, जि.देवास
श्री विष्णुप्रसाद मुकाती (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. गंधर्वपुरी, जि.देवास
श्री शिवनारायणजी (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

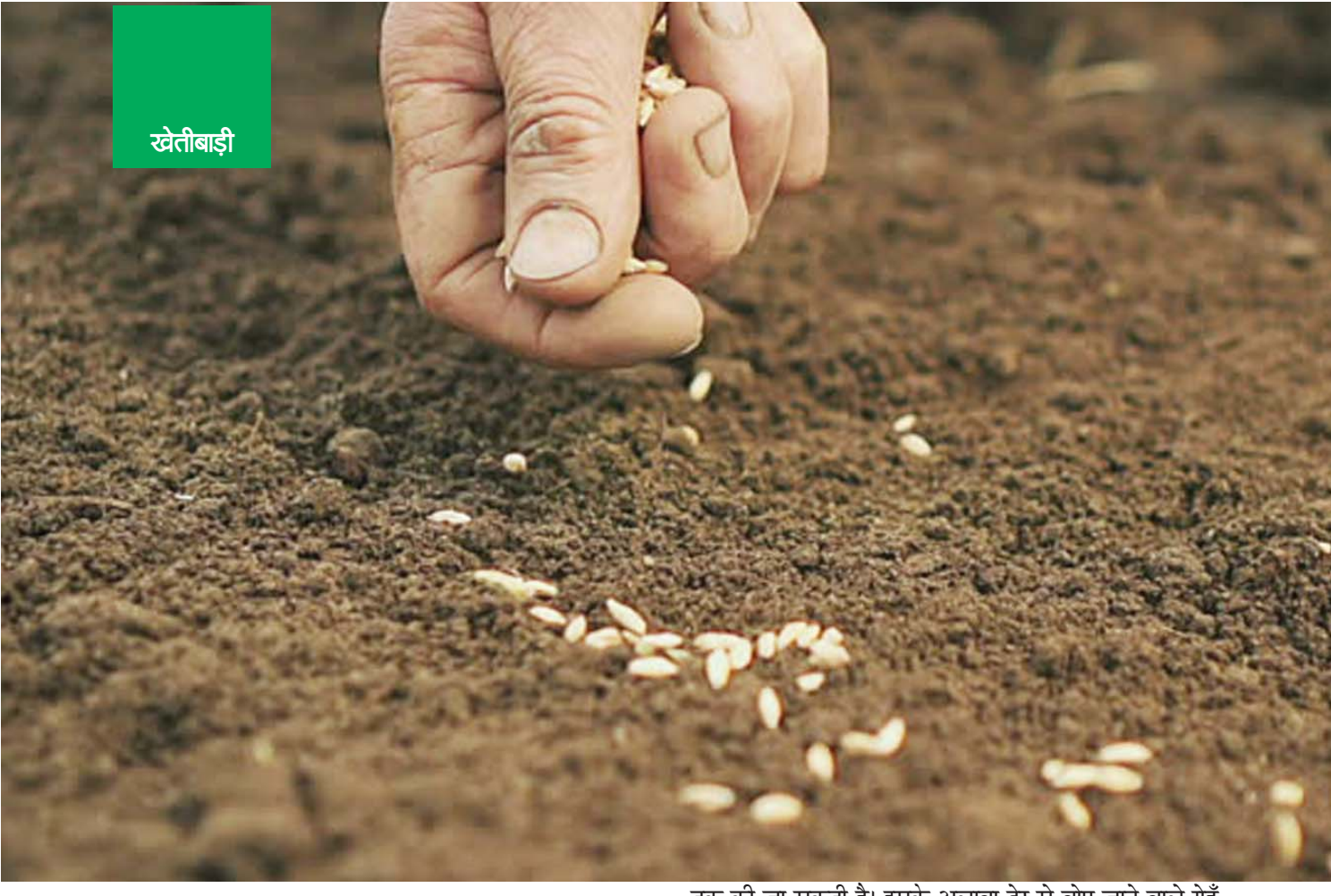

गेहूँ की नवीन उत्पादन तकनीक

गेहूँ की खेती के लिए काली, गुमट एवं हल्की जमीन जिसमें पानी की उपलब्धता होना आवश्यक है। अक्टूबर, नवंबर माह में दो-तीन जुताई कर खेत तैयार करें। पर्याप्त नमी के अभाव में आवश्यकतानुसार पलेवा कर खेत की तैयारी करें। यदि प्रति वर्ष संभव न हो तो हर दूसरे तीसरे वर्ष 10-15 टन प्रति हैक्टेयर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद या कम्पोस्ट अवश्य प्रयोग में लाएँ।

बीज जनित रोगों के बचाव के लिए दो से तीन ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को थायरस/ कार्बेंडाजिम से बीज उपचारित करें। पीएसबी कल्चर 5 ग्राम/किलो बीज से उपचारित करने पर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है।

बोनी का समय

असिंचित तथा अर्द्धसिंचित गेहूँ की बोवनी 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक एवं सिंचित क्षेत्र में 10 नवंबर से 25 नवंबर तक की जा सकती है। इसके अलावा देर से बोए जाने वाले गेहूँ की दिसंबर तक बोवाई की जा सकती है। गेहूँ की बोवाई में तापमान 20 डिग्री के आसपास हो तो अंकुरण अच्छा होता है।

बीज दर/बोने की विधि

100 किलो प्रति हैक्टेयर। देर से बोए जाने पर बीज दर में 20 से 25 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। गेहूँ में 1000 दानों में वजन के आधार पर बीज की दर निर्धारित करें। सामान्यतः 1000 दानों का वजन जितने ग्राम आए उतने कि.ग्रा. बीज प्रति एकड़ उपयोग में लाएँ। बोनी किस्मों में 4 से 5 से.मी. गहराई तथा असिंचित किस्मों में 5 से 6 से.मी. गहराई पर बीज की बोवाई करें। कतार से कतार की दूरी 20 से 22 से.मी. रखें।

लागत में कमी (नई तकनीक)

*बीज एवं उर्वरक में महँगे आदान की मात्रा कम करने के लिए मेड़-नाली पद्धति अपनाने से बीज दर 30-35 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। *उर्वरक की खपत में कमी। *नींदा नियंत्रण आसान। *सिंचाई में पानी की कम मात्रा।

जीरो टिलेट तकनीक

धान की पछेती फसल की कटाई के उपरांत खेत में समय पर गेहूँ की बोवनी के लिए समय नहीं बचता और खेत, खाली छोड़ने

के अलावा किसान के पास विकल्प नहीं बचता ऐसी दशा में एक विशेष प्रकार से बनाई गई बीज एवं खाद ड्रिल मशीन से गेहूँ की बुवाई की जा सकती है।

जिसमें खेत में जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती। धान की कटाई के उपरांत बिना जुताई किए मशीन द्वारा गेहूँ की सीधी बुवाई करने की विधि को जैसे टिलेज कहा जाता है। इस विधि को अपनाकर गेहूँ की बुवाई देर से होने पर होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है एवं खेत को तैयारी पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। इस तकनीक को चिकनी मिट्टी के अलावा सभी प्रकार की भूमियों में किया जा सकता है। जीरो टिलेज मशीन साधारण ड्रिल की तरह ही है। इसमें टाइन चाकू की तरह है। यह टाइंस मिट्टी में नाली जैसी आकार की दरार बनाता है जिससे खाद एवं बीज उचित मात्रा एवं गहराई पर पहुँचता है।

जीरो टिलेज तकनीक के लाभ

1. इस मशीन द्वारा बुवाई करने से 85-90 प्रतिशत ईंधन, ऊर्जा एवं समय की बचत की जा सकती है।
2. इस विधि को अपनाने से खरपतवारों का जमाव कम होता है।
3. इस मशीन के द्वारा 1-1.5 एकड़ भूमि की बुवाई 1 घंटे में की जा सकती है। यह कम ऊर्जा की खपत तकनीक है अतः समय से बुवाई की दशा में इससे खेत तैयार करने की लागत 2000-2500 रु. प्रति हैक्टेयर की बचत होती है।
4. समय से बुवाई एवं 10-15 दिन खेत की तैयारी के समय को बचाकर बुवाई करने से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
5. बुवाई शुरू करने से पहले मशीन का अंशशोधन कर ले जिससे खाद एवं बीज की उचित मात्रा डाली जा सके।
6. इस मशीन से सिर्फ दानेदार खाद का ही प्रयोग करें जिससे खाद एवं बीज की उचित मात्रा डाली जा सके।
7. इस मशीन में सिर्फ दानेदार खाद का ही प्रयोग करें, जिससे पाइपों में अवरोध उत्पन्न न हो।
8. मशीन के पीछे पाटा कभी न लगाएँ।

फरो इरीगेशन रेज्ड बेड (फर्व) मेड़ पर बुवाई तकनीक

मेड़ पर बुवाई तकनीक किसानों में प्रचलित कतार में बोवनी या छिड़ककर बोवनी से सर्वथा भिन्न है। इस तकनीक में गेहूँ को ट्रैक्टर चलित रोजर कम ड्रिल से मेड़ों पर दो या तीन कतारों में बीज बोते हैं। इस तकनीक से खाद एवं बीज की बचत होती है एवं उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है।

खाद-उर्वरक

गेहूँ के लिए सामान्यतः नत्रजन स्फुर एवं पोटाश 4:2:1 के अनुपात में देना चाहिए। मिट्टी परीक्षण अवश्य कराएँ। परीक्षण के आधार पर नत्रजन, फास्फेट एवं पोटाश की मात्रा का निर्धारण करें। जिंक सल्फेट का प्रयोग 3 फसल के उपरांत 25 कि.ग्रा./हैक्टे. की दर से करें।

(अ) बोवाई के समय स्फुर एवं पोटाश की पूरी तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा बोवाई के समय उपयोग करें।

(ब) नत्रजन की शेष मात्रा दो बराबर हिस्सों में बाँटकर पहली तथा दूसरी सिंचाई के साथ दें।

(स) असिंचित खेती में पूरी उर्वरक की मात्रा बोवाई के समय दें तथा असिंचित खेती में नत्रजन की आधी मात्रा प्रथम सिंचाई कर दें।

मेड़ पर फसल बोने से लाभ

1. बीज, खाद एवं पानी की मात्रा में कमी एवं बचत, मेड़ों में संरक्षित नमी लंबे समय तक फसल को उपलब्ध रहती है एवं पौधों का विकास अच्छा होता है।
2. गेहूँ, उत्पादन लागत में कमी।
3. गेहूँ की खेती नालियों एवं मेड़ पर की जाती इससे फसल गिरने की समस्या नहीं होती। मेड़ पर फसल होने से जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है एवं जड़ें गहराई से नमी एवं पोषक तत्व अवशोषित करते हैं।
4. इस विधि से गेहूँ उत्पादन में नालियों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यही नालियाँ अतिरिक्त पानी की निकासी की भी सहायक होती है।
5. दलहनी-तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है।
6. मशीनों द्वारा निंदाई गुड़ाई भी की जा सकती है।
7. अवांछित पौधों को निकालने में आसानी रहती है।

सिंचाई

पहली सिंचाई 25 दिनों के अंतराल में अवश्य करें क्योंकि इस समय काऊन रूप बनती हैं जिससे कल्ले ज्यादा होंगे। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में, तीसरी सिंचाई 60 से 70 दिन में, चौथी सिंचाई 80 से 90 दिन में, पाँचवीं सिंचाई 90 से 100 दिन में दुग्धावस्था में देने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। नई विकसित किस्मों में 5-6 सिंचाई की आवश्यकता नहीं 3-4 सिंचाई पर्याप्त (55-60 क्विंटल उपज) हैं। जहाँ तक संभव हो स्प्रिंकलर का उपयोग करें। एक सिंचाई अवस्था, पूरे कल्ले निकलने पर, दाना बनने के समय, चार सिंचाई : किरीट अवस्था, पूरे कल्ले निकलने पर, फूल आने पर, दुधिया अवस्था।

सिंचाई		नत्रजन	स्फुर	पोटाश
असिंचित खेती		40	20	10
अर्द्धसिंचित	एक सिंचाई	40	30	15
	दो सिंचाई	80	40	20
पूर्ण सिंचित	समय पर बोवाई	120	60	40
	देर से बोवाई	80	40	30

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

श्री अरुण गोठी
(प्रशासक)

श्री बी.एस. शुक्ला
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री के.बी. सोरते
(उपायुक्त सहकारिता)

श्रीमती लता कृष्णन
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री राजेश वर्मा (शा.प्र. बैतूल)
श्री पी.एस. चंदोल (शा.प्र. मुलताई)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बैतूल, जि.बैतूल
श्री अशोक सोनारे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बोरगाँव, जि.बैतूल
श्री मदनलाल मालवीय (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. खेड़ीसावलीगढ़, जि.बैतूल
श्री चुन्नीलाल पंवार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मंडई बुजुर्ग, जि.बैतूल
श्री कमलेश सरले (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. जामठी, जि.बैतूल
श्री अशोक देशमुख (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मुलताई, जि.बैतूल
श्री मोहनलाल नरवरे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बरखेड़, जि.बैतूल
श्री मोहन अवस्थी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. दुनावा, जि.बैतूल
श्री सुरेश पंवार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. डहुआ, जि.बैतूल
श्री रामराव बारंगे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. परमण्डल, जि.बैतूल
श्री देवीदास नरवरे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. काठी, जि.बैतूल
श्री गोपाल कौशिक (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मालेगाँव, जि.बैतूल
श्री प्रकाश घाड़से (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. चिखलीकला, जि.बैतूल
श्री राजेश नगरे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. खतेड़ाकला, जि.बैतूल
श्री श्यामकुमार साहू (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. जौलखेड़ा, जि.बैतूल
श्री नारायण बोरबन (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. महतपुर, जि.बैतूल
श्री दिनेश रघुवंशी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मोरखा, जि.बैतूल
श्री रामेश्वरसिंह रघुवंशी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. खेड़ली बाजार, जि.बैतूल
श्री जशपालसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. सांडिया, जि.बैतूल
श्री लखनलाल सरोदे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. सेमझिरा, जि.बैतूल
श्री राजेश गायकवाड़ (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. सोनेगाँव, जि.बैतूल
श्री सुरेश सोलंकी (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

उपयुक्त किस्मों का चयन : क्षेत्रवार बोवनी के समय एवं सिंचाई जल उपलब्धता के आधार पर

1. **मालवा अंचल : रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, धार, देवास, गुना**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित :** जे.डब्ल्यू. 17, जे.डब्ल्यू. 3269, जे.डब्ल्यू. 3288, एच.आई. 1500, एच.आई. 1531, एच.डी. 4672 (कठिया)
- **सिंचित (समय से) :** जे.डब्ल्यू. 1201, जे.डब्ल्यू. 322, जे.डब्ल्यू. 273, एच.आई. 1544, एच.आई. 8498 (कठिया), एम.पी.ओ. 1215
- **सिंचित (देरी से) :** जे.डब्ल्यू. 1203, एम.पी. 4010, एच.डी.2864, एच.आई. 1454

2. **निमाड़ अंचल : खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित:** जे.डब्ल्यू.3020,जे.डब्ल्यू. 3173, एच.आई. 1500, जे.डब्ल्यू. 3269
- **सिंचित (समय से) :** जे.डब्ल्यू. 1142, जे.डब्ल्यू. 1201, जी.डब्ल्यू. 366, एच.आई. 1418
- **सिंचित (देरी से) :** इस क्षेत्र में देरी से बुवाई से बचें। समय से बुआई को प्राथमिकता क्योंकि पकने के समय पानी की कमी। किस्में: जे.डब्ल्यू.1202, एच.आई. 1454

3. **विंध्य पठार : रायसेन, विदिशा, सागर, गुना का भाग**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित :** जे.डब्ल्यू. 17, जे.डब्ल्यू. 3173, जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 3288, एच.आई. 1531, एच.आई. 8627 (कठिया)
- **सिंचित (समय से) :** जे.डब्ल्यू. 1142, जे.डब्ल्यू. 1201, एच.आई. 1544, जी.डब्ल्यू. 273, जे.डब्ल्यू. 1106 (कठिया), एच.आई. 8498 (कठिया), एम.पी.ओ. 1215 (कठिया)
- **सिंचित (देरी से) :** जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203, एम.पी. 4010, एच.डी. 2864, डी.एल. 788-2

4. **नर्मदा घाटी : जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित :** जे.डब्ल्यू. 17, जे.डब्ल्यू. 3288, एच.आई. 1531, जे.डब्ल्यू. 3211, एच.डी. 4672 (कठिया)
- **सिंचित (समय से) :** जे.डब्ल्यू. 1142, जी.डब्ल्यू. 322, जे.डब्ल्यू. 1201, एच.आई. 1544, जे.डब्ल्यू. 1106, एच.आई. 8498, जे.डब्ल्यू. 1215
- **सिंचित (देरी से) :** जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203, एम.पी. 4010, एच.डी. 2932

5. **बैनगंगा घाटी : बालाघाट एवं सिवनी क्षेत्र**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित :** जे.डब्ल्यू. 3269, जे.डब्ल्यू. 3211,जे.डब्ल्यू.3288, एच.आई. 1544
- **सिंचित (समय से) :** जे.डब्ल्यू. 1201, जी.डब्ल्यू. 366, एच.आई. 1544, राज 3067
- **सिंचित (देरी से) :** जे.डब्ल्यू. 1202, एच.डी. 2932, डी.एल. 788-2

6. **हवेली क्षेत्र : रीवा, जबलपुर, नरसिंहपुर का भाग**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित :** जे.डब्ल्यू. 3020, जे.डब्ल्यू. 3173, जे.डब्ल्यू. 3269, जे.डब्ल्यू. 17, एच.आई. 1500
- **सिंचित (समय से) :** जे.डब्ल्यू. 1142, जे.डब्ल्यू. 1201, जे.डब्ल्यू. 1106, जी.डब्ल्यू. 322, एच.आई. 1544
- **सिंचित (देरी से) :** जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203, एच.डी. 2864, एच.डी. 2932

7. **सतपुड़ा पठार : छिंदवाड़ा एवं बैतूल**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित :** जे.डब्ल्यू. 17, जे.डब्ल्यू. 3173, जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 3288, एच.आई. 1531
- **सिंचित (समय से) :** एच.आई. 1418, जे.डब्ल्यू. 1201, जे.डब्ल्यू. 1215, जी.डब्ल्यू. 366
- **सिंचित (देरी से) :** एच.डी. 2864, एम.पी. 4010, जे.डब्ल्यू. 1202, जे.डब्ल्यू. 1203

8. **गिर्द क्षेत्र : ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया का भाग**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित :** जे.डब्ल्यू. 3288, जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 17, एच.आई. 1531, जे.डब्ल्यू. 3269, एच.डी. 4672
- **सिंचित (समय से) :** एच.आई. 1544, जी.डब्ल्यू. 273, जी.डब्ल्यू. 322, जे.डब्ल्यू. 1201, जे.डब्ल्यू. 1106, जे.डब्ल्यू. 1215, एच.आई. 8498
- **सिंचित (देरी से) :** एम.पी. 4010, जे.डब्ल्यू. 1203, एच.डी. 2932, एच.डी. 2864

9. **बुंदेलखंड क्षेत्र : दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं पन्ना का भाग**
- **असिंचित/अर्द्धसिंचित :** जे.डब्ल्यू. 3288, जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू.17, एच.आई.1500, एच.आई. 1531
- **सिंचित (समय से) :** जे.डब्ल्यू. 1201, जी.डब्ल्यू. 366, राज 3067, एम.पी.ओ. 1215, एच.आई. 8498
- **सिंचित (देरी से) :** एम.पी. 4010, एच.डी. 2864
- **विशेष :** सभी क्षेत्रों में अत्यंत देरी से बुवाई की स्थिति में **किस्में :** एच.डी. 2404, एम.पी. 1202
- **उन्नत कठिया किस्म :** एच.डी. 8713 (पूसा मंगल), एच.आई. 8381 (मालवश्री), एच.आई. 8498 (मालवा शक्ति), एच.आई. 8663 (पोषण), एम.पी.ओ. 1106 (सुधा), एम.पी.ओ. 1215, एच.डी. 4672 (मालव रत्न), एच.आई. 8627 (मालव कीर्ति)
- **सिंचित देर से बुवाई के लिए उपयुक्त किस्में :** जे.डब्ल्यू. 3211, जे.डब्ल्यू. 3173

मानानीय मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ
समस्त
किसानों को
0%
ब्याज पर ऋण
सुश्री निधि निवेदिता
(कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक)
श्री आर.आर. सिंह
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री आर.एस. गौर
(उपायुक्त सहकारिता)
श्री ए.के. जैन
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से : श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (शा.प्र. कुरावर)
रामबाबू व्यास (पर्यवेक्षक कुरावर)
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. गीलाखेड़ी, जि. राजगढ़ श्री लाड़सिंह सोलंकी (प्रबंधक)
मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. माना, जि. राजगढ़ श्री रामबाबू व्यास (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. लश्करपुर, जि. राजगढ़ श्री घासीराम जायसवाल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. जा.गो. चौहान, जि. राजगढ़ श्री माँगीलाल वर्मा (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. बिजोरी, जि. राजगढ़ श्री लक्ष्मीनारायण मीणा (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. नि. चेतन, जि. राजगढ़ श्री घासीराम जायसवाल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. झाडला, जि. राजगढ़ श्री रामबाबू व्यास (प्रबंधक)
सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. कुरावर, जि. राजगढ़ श्री रामबाबू व्यास (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. कोटरीकलां, जि. राजगढ़ श्री घासीराम जायसवाल (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या. जा. गणेश, जि. राजगढ़ श्री कैलाश वर्मा (प्रबंधक)
समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

जन-जन के लाड़ले नेता श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ
अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट
मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ
समस्त
किसानों को
0%
ब्याज पर ऋण
सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ
श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री एस.के. सिंह
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)
श्री एस.के. भारद्वाज
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से : इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लि., मंदसौर

नींदानाशक रसायनों की मात्रा एवं प्रयोग समय			
नींदानाशक	**खरपतवार**	**दर/हे.**	**प्रयोग का समय**
पेंडीमिथेलीन	संकरी एवं चौड़ी	1.0 कि.ग्रा.	बुवाई के तुरंत बाद
सल्फोसल्फूरान	संकरी एवं चौड़ी	33.5 ग्रा.	बुवाई के 35 दिन तक
मेट्रीब्यूजिन	संकरी एवं चौड़ी	250 ग्रा.	बुवाई के 35 दिन तक
2, 4-डी	चौड़ी पत्ती	.4-.5 किग्रा	बुवाई के 35 दिन तक
आइसोप्रोट्यूरान	संकरी पत्ती	750 ग्रा.	बुवाई के 20 दिन तक
आइसोप्रोट्यूरान + 2, 4-डी	चौड़ी एवं संकरी पत्ती	750 ग्रा.+ 750 ग्रा.	बुवाई के 35 दिन तक

खरपतवार नियंत्रण

खरपतवारों द्वारा 25-35 प्रतिशत तक उपज में कमी आने की संभावना बनी रहती है। यह कमी फसल में खरपतवारों की सघनता पर निर्भर करती है। गेहूँ की फसल में होने वाले खरपतवार मुख्यतः दो भागों में बाँटे जाते हैं।

1. चौड़ी पत्ती : बथुआ, सेंजी, दूधी, कासनी, जंगली पालक, अकरी, जंगली मटर, कृष्णनील, सत्यानाशी, हिरनखुरी आदि।

2. सँकरी पत्ती : मोथा, कांस, जंगली जई, चिरैया बाजरा एवं अन्य घासें।

रासायनिक विधि से नींदा नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इससे समय की बचत होती है एवं आर्थिक रूप से भी लाभप्रद रहता है। इस विधि से नींदा नियंत्रण तालिका में देखें।

पौध संरक्षण

प्रमुख कीटों में निम्नलिखित कीट ज्यादा नुकसान करते हैं :

1. तना छेदक : फसल के फूटान के समय इसका प्रयोग होता है। इसके नियंत्रण हेतु क्वीनालफास 25 ईसी एक लीटर दवा को 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टयर छिड़काव करें।

2. मकड़ी एवं तेला : यदि फसल पर लाल मकड़ी दिखाई दे तो डायमेथोएट 30 ईसी या फास्फोमिडान 85 डब्ल्यू.सी. का 300 मि.ली. 300 से 400 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

3. झुलसा रोग : फसल पर झुलसा रोग के लक्षण दिखाई दे तो कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 किलो प्रति हैक्टेयर की दर से 3 बार छिड़काव करें।

4. करनॉलबंट/कंडवा (लूस स्मट) : प्रायः यह रोग म.प्र. में नहीं पाया जाता है। फिर भी यदि लक्षण दिखाई दें तो रोगग्रस्त बालियाँ उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए।

5. गेरुआ रोग : यह लाल भूरा आदि रंग का होता है। सबसे अधिक हानि काले रस्ट से होती है। ज्यादा रोग फैलने पर दाने राई की तरह हो जाते हैं। पौधा लोहे की जंग के रंग का हो जाता है। नियंत्रण के लिए गंधक चूर्ण 25 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से भुरकाव करें या डायथेन एम-45 (0.2 प्रतिशत) का भुरकाव करें। इस रोग पर घुलनशील गंधक (0.2 प्रतिशत) घोल का प्रयोग करें।

कटाई एवं गहाई

फसल के पूरी तरह पकने पर कटे हुए गेहूँ के बंडल सावधानीपूर्वक बनाएँ। ज्यादा सूखने पर दाने झड़ने का अंदेशा रहता है तथा कटाई के तुरंत बाद थ्रेसिंग कार्य करना चाहिए। ●

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

बचत बैंक, ब्याज दर में कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, उन्नत बीज।
अल्पावधि-मध्यावधि कृषि उपकरण ऋण।

श्री बी.एस. शुक्ला
(बैंक प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री आर.के. दुबे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

श्री राजीव रिछारिया
(वित्त प्रबंधक)

सौजन्य से

श्री राजेन्द्र शर्मा (शा.प्र. हरदा)	श्री के.सी. सारन (नोडल अधिकारी)	श्री चतुर्भुज भाटी (पर्यवेक्षक हरदा)	श्री विष्णु प्रसाद मागुले (पर्यवेक्षक हरदा)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. अबगाँवकला, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बालागाँव, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. अबगाँव खुर्द, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. महाल, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. धनगाँव, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मोहनपुर, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. भुवनखेड़ी, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नीमगाँव, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हंडिया, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पलासनेर, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. नांदरा, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कडोला, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खेड़ा, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मसनगाँव, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मांगरूल, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पीपलघटा, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रूपी पटेरिया, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद मागुले (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सोनतलाई, जि.हरदा
श्री (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

श्री पी.के. सिद्धार्थ
(प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री अशोक शुक्ला
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री डी.के. राय
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से
श्री शैलेन्द्र शर्मा
(शाखा प्रबंधक राहतगढ़)

प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. राहतगढ़, जिला सागर श्री दिलीप गोस्वामी (प्रबंधक)		प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सीहोरा, जिला सागर श्री अशोक कुमार दुबे (प्रबंधक)
प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. बेरखेड़ी सड़क, जि.सागर श्री अशोक दुबे (प्रबंधक)	प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सेमराझिला, जिला सागर श्री सीताराम पटेल (प्रबंधक)	प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. हिरनखेड़ा, जिला सागर श्री नाथूराम आठिया (प्रबंधक)
प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. मानकी सलैया, जि.सागर श्री जगदीश कुशवाह (प्रबंधक)	प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. झिला, जिला सागर श्री महेश चौबे (प्रबंधक)	प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. मसुरमाई, जिला सागर श्री गोविंदप्रसाद उपाध्याय (प्रबंधक)
प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. ऐरनमिर्जापुर, जि.सागर श्री किशोरसिंह यादव (प्रबंधक)	प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. भैंसा, जिला सागर श्री गजराजसिंह ठाकुर (प्रबंधक)	प्रा.कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. ठकरई, जिला सागर श्री बलरामसिंह (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

नवंबर माह के कृषि कार्य

गेहूँ फसल

● कण्डूआ रोग की रोकथाम के लिए कार्बेन्डाजिम अथवा थीरम 2.5 ग्रा./ किग्रा. बीज की दर से बीजोपचार करें। गेहूँ की समय से बुआई के लिए नवम्बर माह उपयुक्त समय है।

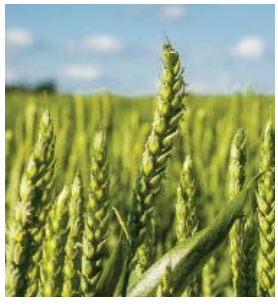

● पूसा 3038 (पूसा गौतमी) एचडी 3059 (पूसा पछेती), एचडी 3042 (पूसा चैतन्य) एचडी 2967 (पूसा सिंधू गंगा), एचडी 2851 (पूसा विशेष) गेहूँ की समय पर बुआई के लिए उपयुक्त किस्में है।

● गेहूँ बुआई के 21 दिन बाद पहली सिंचाई करें।

● गेहूँ में 120:50:40 एनपीके की दर से उर्वरक डालें। बुवाई के समय नाईट्रोजन की आधी तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा आधार खुराक के रूप में डालें।

सब्जियाँ

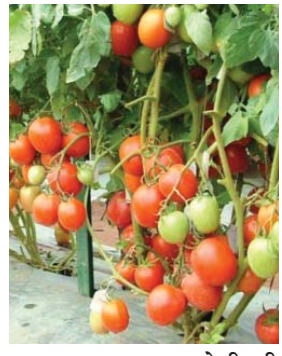

● टमाटर तथा फूलगोभी की पछेती किस्मों की रोपाई करें।

● रोपाई से पहले खेत में 20-25 टन प्रति हैक्टेअर की दर से गोबर की खाद व 120:100:60 किग्रा नाईट्रोजन फास्फोरस पोटाश प्रति हैक्टेयर भूमि में डालें।

● गाजर, शलजम व मूली की बुवाई करें।

● प्याज की नर्सरी तैयार करें। प्याज की उन्नत किस्में पूसा रेड, पूसा माधवी, पूसा रिद्धी किस्मों की नर्सरी में बुआई करे।

● पालक में यदि सफेद रतुआ के लक्षण दिखाई दें तों मैकोजेब या रिडोमिल एमजैड 72 दव का 2.5 ग्रा./लिटर पानी में घोल बनाकर छिडाव करें।

फल फसलें

● आम के पौधों मे जहां गोंद निकलने के लक्षण दिखें उन्हे खूरच कर साफ करे तथा घाव पर वबोरडेक्स दवा का लेप कर दें।

● फलों के पेड पर यदि शाखाओं पर शीर्षरंभी क्षय बीमारी के लक्ष्ण दिखाई दें तो उन शाखाओं को काटकर 0.3 प्रतिशत कॉपर ऑक्सीक्लोराईड के घोल का 15 दिन के अन्तराल पर छिड़काव करें।

● पपीते, मौसम्बी, ग्रेप तथा चकोतरे की तुडाई करें।

दलहनी फसलें

● मध्य अक्टूबर से नवम्बर के पहले सप्ताह तक चने की बुवाई कर दें। छोटे दाने वाली किस्मों के लिए बीज दर 80 किग्राम/है. तथा मोटे दानों वाली किस्मों के लिए 100 किग्रा/ हैक्टेयर की दर से बुआई करे।

● दलहन की बुवाई के 45 तथा 75 दिन बाद 2 सिंचाई करें।

● बुआई के समय नाईट्रोजन फास्फोरस गंधक जिंक की 20:50:20:25 किग्रा /है. की मात्रा आधार खुराक के रूप में डाले।

● नवम्बर के दूसरे सप्ताह तक मटर की बुआई कर दें। मटर की किस्मे पूसा प्रभात, पूसा प्रगति व पूसा पन्ना की बुआई करें। ●

गाँव, गरीब और किसानों के विकास के लिए प्रयत्नशील

नई दिल्ली। विभिन्न मापदंडों के आधार पर उर्वरक पोषकों का आदर्श उपयोग करके कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए किसानों के बीच ज्ञान का प्रसार करने और उन्हें उर्वरक का उपयोग और प्रबंधन के क्षेत्र में नई उन्नतियों से अवगत कराने के लिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने पूसा में संयुक्त रूप से वर्ष में दो बार होने वाले उर्वरक अनुप्रयोग जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि 2014 में जब प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है, तब से उनका प्रयास गांव, गरीब और किसान के विकास और उनकी बेहतरी के लिए समर्पित रहा है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी सिर्फ इस बारे में नहीं सोचते हैं कि उनकी बेहतरी के लिए कैसे नीतियां बनाई जा सकती हैं बल्कि वे यह भी सोचते हैं कि गांव, गरीब और किसान की उत्पादकता, उत्पादन और पशुधन में सुधार कैसे किया जा सकता है।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि कृषि, ग्रामीण भारत की आजीविका का मुख्य आधार बनी हुई है और देश में खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि के लिए उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। श्री गौड़ा ने मिट्टी के समुचित संरक्षण पर जोर दिया क्योंकि यह भोजन, पोषण, पर्यावरण और आजीविका सुरक्षा के लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

श्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किसानों के बीच उर्वरकों के सही उपयोग करने की जागरूकता फैलाने के लिए एक मंच प्रदान करने वाली पहल की सराहना की। मंत्री ने पूरे देश में किसानों के फायदे के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि-केंद्रित वृत्तचित्रों और फिल्मों को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में डब/ अनुवाद करने का आग्रह किया।

केन्द्र सरकार शीघ्र जारी करे 6621.28 करोड़ की राहत

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। श्री कमल नाथ ने केन्द्रीय गृह मंत्री को प्रदेश में पिछले दिनों अति-वृष्टि के कारण कई जिलों में आई बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और अन्य प्रभावितों को तत्काल मदद दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से शीघ्र ही 6621.28 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी करे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गृह मंत्री को सौंपे ज्ञापन में बताया कि बाढ़ के कारण 55 लाख से अधिक किसान और आम आदमी प्रभावित हुए हैं। अधोसंरचना को भी भारी नुकसान पहुँचा है। श्री कमल नाथ ने बताया कि राज्य में सामान्य से 46 प्रतिशत से अधिक वर्षा हुई है। प्रदेश के 52 में से 20 जिलों में सामान्य से 60 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। किसानों की सभी फसलों को भारी नुकसान पहुँचा है। मुख्यमंत्री ने केन्द्र से प्रदेश में भारी वर्षा के कारण आई त्रासदी को गंभीर आपदा की श्रेणी में रखने की माँग की।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में 4 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी अति-वृष्टि और बाढ़ के कारण हुए नुकसान का ब्यौरा दिया था। श्री कमल नाथ के आग्रह पर प्रधानमंत्री ने अति-वृष्टि से हुए नुकसान का केन्द्रीय अध्ययन दल से फिर से आकलन करवाया। अध्ययन दल ने 14 से 16 अक्टूबर के बीच प्रदेश के 16 जिलों में हुए नुकसान का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आकलन होने के बाद अब केन्द्र सरकार तत्काल राज्य सरकार को राहत राशि दे ताकि सभी प्रभावितों, विशेषकर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण ○ खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड ○ कृषि यंत्र के लिए ऋण ○ दुग्ध डेयरी योजना

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

सुश्री निधि निवेदिता
(कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक)

श्री आर.आर. सिंह
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

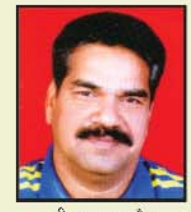

श्री आर.एस. गौर
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री ए.के. जैन
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से : श्री आर.के. पाण्डेय (शाखा प्रबंधक सारंगपुर), श्री सूरजसिंह सोलंकी (पर्यवेक्षक सारंगपुर)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. तलैनी, जि.राजगढ़ श्री सजनसिंह पुष्पद (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. गोपालपुरा, जि.राजगढ़ श्री कुमेरसिंह सोलंकी (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. सारंगपुर, जि.राजगढ़ श्री देवीलाल पुष्पद (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. ब्यावरा माण्डू, जि.राजगढ़ श्री सूरजसिंह सोलंकी (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. मऊ, जि.राजगढ़ श्री सुरेशसिंह सोलंकी (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. पा. माता, जि.राजगढ़ श्री रामप्रसाद पाटीदार (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. धनोरा, जि.राजगढ़ श्री कैलाश नारायण राजपूत (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. भैसवामाता, जि.राजगढ़ श्री सुरेशचंद्र चंद्रवंशी (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. मगराना, जि.राजगढ़ श्री जुझारसिंह परमार (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. हराना, जि.राजगढ़ श्री सुरेशचंद्र खत्री (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. पढ़ाना, जि.राजगढ़ श्री सुरेशसिंह सोलंकी (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. खजूरिया, जि.राजगढ़ श्री मोहनलाल नागर (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. आसारेटा, जि.राजगढ़ श्री कल्याणसिंह काड़ोदिया (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. ढांकनी, जि.राजगढ़ श्री त्रिलोकचंद्र नाहर (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. गुलावता, जि.राजगढ़ श्री सुरेशसिंह सोलंकी (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. दुग्या, जि.राजगढ़ श्री बद्रीप्रसाद चौहान (प्रबंधक)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बालौड़ी, जि.राजगढ़ श्री गजराजसिंह उमठ (प्रबंधक)	प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. पीपल्यापाल, जि.राजगढ़ श्री शिवचरण कलमोदिया (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

माननीय मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं प्रशासक)

श्रीमती भारती शेखावत
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री आर.एस. वसुनिया
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

मासिक पत्रिका
'हरियाली के रास्ते'
की 9वीं वर्षगाँठ
पर हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. धार

माननीय मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

मासिक पत्रिका
'हरियाली के रास्ते'
के 10वें वर्ष में
प्रवेश पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

डॉ. श्रीकांत पाण्डेय
(कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक)

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री मनोज गुप्ता
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री मुकेश बार्चे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. देवास

अनेकता में एकता का प्रतीक है मध्यप्रदेश : श्री कमलनाथ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश पूरे देश में अनेकता में एकता का प्रतीक राज्य है। यहाँ सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं के लोग निवास करते हैं, जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि मध्यप्रदेशवासियों के साथ मिलकर विकास का एक ऐसा नक्शा बनाएं, जो आने वाले दस वर्ष में पूरे देश में हमारे प्रदेश को अव्वल राज्य के रूप में स्थापित करे। श्री कमल नाथ मध्यप्रदेश के 64वें स्थापना दिवस पर लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित राज्योत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि 64 साल पहले की और आज से दस साल पहले की चुनौतियाँ कुछ और थीं तथा आज की चुनौतियाँ कुछ और हैं। उन्होंने कहा कि हमें नए संदर्भों में और परिवर्तनों के साथ एक सुदृढ़, खुशहाल और समृद्ध मध्यप्रदेश का निर्माण करना है। कृषि के क्षेत्र में हुई उन्नति का लाभ किसानों को मिले, नौजवानों को उनकी नई सोच के अनुरूप रोजगार मिले, इसके लिए नए सिरे से प्रयास करने की आवश्यकता है।

संस्कृति मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय स्थल है। यहाँ सभी संस्कृतियों का वास है, जो एक गुलदस्ते के रूप में अपने विविध रंगों और खुशबुओं से प्रदेश को आलोकित करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के पास अकूत संपदा है, जो इस प्रदेश के विकास का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर मिलजुलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आने वाले वर्ष को गोंड कला वर्ष घोषित किया और इसके प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया। प्रारंभ में गोंड कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। उत्सव में सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक एवं गायक श्री अमित त्रिवेदी ने आकर्षक प्रस्तुति दी। उस्ताद गुलाम साबिर निजामी बन्धु ने सूफी कव्वाली प्रस्तुत की। इस मौके पर जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, विधायक श्री विश्वास सारंग, श्री रामेश्वर शर्मा, मुख्य सचिव श्री एस.आर. मोहन्ती एवं वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

श्री यादव ने रतलाम में किया ध्वजारोहण

रतलाम। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने आज मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रभार के जिले रतलाम में ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। मंत्री श्री यादव ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की तथा बस्ती विकास के 15 कार्यों और पंप कनेक्शन के 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके बाद उन्होंने रतलाम तथा नामली कृषि उपज मण्डियों में मुर्हूत सौदे की पूजा कर खरीदी कार्य का शुभारंभ किया।

कृषि मंत्री श्री यादव ने रतलाम शहर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत 15 करोड़ 72 लाख रूपये की लागत के 6 विकास कार्यों तथा 72 लाख 68 हजार रूपये की लागत से निर्मित होने वाले वुमन स्पोर्टस् काम्प्लेक्स का भूमि-पूजन किया।

मंत्री श्री यादव ने ग्राम पलदूना में 25 लाख रूपये लागत की सीसी रोड तथा ग्राम अंबोदिया में 10 लाख रूपये का सामुदायिक भवन, तीन लाख रूपये का श्मशान शेड, दो लाख रूपये की स्कूल तार फेंसिंग तथा पाँच लाख रूपये लागत की सीसी रोड का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर विधायक आलोट श्री मनोज चावला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रमेश मेड़ा, कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान, एसपी श्री गौरव तिवारी, विधायक रतलाम शहर श्री चैतन्य कश्यप सहित जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीयजन उपस्थित थे।

सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने की जिला सहकारी बैंकों के काम-काज की समीक्षा

जो बैंकों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उन्हें नौकरी से बाहर करें

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने कहा है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के जो अधिकारी- कर्मचारी बैंकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें नौकरी से बाहर करें तथा जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नत करें। साथ ही खाली पड़े पदों पर आयुक्त सहकारिता से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। वित्तीय गड़बड़ी करने वालों से राशि की वसूली जाए, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए। डॉ गोविन्द सिंह अपैक्स बैंक के सभागार में भोपाल एवं हौशंगाबाद संभागों के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः आवश्यक है कि इनकी वित्तीय स्थिति को सुधारा जाए। गत वर्षों में इनकी वित्तीय स्थिति काफी बिगड़ी है। सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी निरंतर संभागीय बैठकें आयोजित कर इनके कार्य की समीक्षा करें। आयुक्त सहकारिता श्री एम के अग्रवाल ने बताया कि सागर एवं जबलपुर संभाग को छोड़कर सभी बैठकें की जा चुकी हैं तथा भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा।

प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी ने बताया कि सहकारी बैंक मुख्य रूप से किसानों को अल्प अवधि कृषि ऋण देने का कार्य करते हैं। उन्होंने दिए गए ऋणों की समय से वसूली किए जाने की आवश्यकता बताई। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि सभी बैंकों द्वारा दिए गए कालातीत ऋणों (एनपीए) की राशि अत्यधिक है। बैंकों के स्तर पर ऋणों की वसूली के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि आगामी एक वर्ष में अधिक से अधिक कालातीत ऋणों की वसूली सुनिश्चित की जाए।

सहकारी बैंकों की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि भोपाल में संस्थागत जमा तो हैं, परन्तु व्यक्तिगत जमा नहीं के बराबर हैं। इसके लिए प्रयास किया जाए। साथ ही कालातीत ऋणों की वसूली की जाए। बैतूल जिले में कालातीत ऋण की राशि रूपये 143 करोड़ है। आगामी 30 जून तक 100 करोड़ रूपये की वसूली कर ली जाए। रायसेन जिले में कालातीत ऋण राशि 148 करोड़ है, वहां के अधिकारी ने बताया कि आगामी जून तक 45 करोड़ की वसूली कर ली जाएगी।

राजगढ़ जिले की समीक्षा में पाया गया कि ऋण असंतुलन तथा वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों के चलते सहकारी बैंक की हालत खराब है। वहां 183 करोड़ रूपये का कालातीत ऋण है। वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों वसूली तथा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश मंत्री डॉ गोविन्द सिंह द्वारा दिए गए। आगामी जून तक कम से कम 75 करोड़ ऋण राशि की वसूली कर ली जाए। विदिशा जिले में 45 करोड़ कालातीत ऋण शेष है, आगामी जून तक वसूली की जाए।

समीक्षा में होशंगाबाद जिले की स्थिति भी काफी खराब पाई गई, वहां 292 करोड़ का कालातीत ऋण शेष है, जिसमें अधिकांश गैर कृषि ऋण है। कई कर्मचारियों के खिलाफ मामले भी चल रहे हैं। कई प्रकरणों में संबंधित सहायक/उप पंजीयक द्वारा स्टे भी दे दिया गया है। इसे मंत्री श्री सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए गए कि ऐसे सहायक/उप पंजीयकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी वेतन वृद्धियां रोकी जाएं। सीहोर जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां जिला सहकारी बैंक का वर्ष 2016-17 में कालातीत ऋण 38 करोड़ था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 280 करोड़ रूपये हो गया। ऋण वसूली को लेकर बैंक द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। इस पर सहकारिता मंत्री द्वारा नाराजी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधारी गई तो बोर्ड भंग करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ऋण वसूली की मासिक योजना बनाकर सघन कार्रवाई की जाए। जो लोग कार्य करना नहीं चाहते वे बैंकों से बाहर जाने की तैयारी कर लें।

बैठक में अपैक्स बैंक के प्रशासक श्री अशोक सिंह, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजीत केसरी, सहकारिता आयुक्त श्री एम के अग्रवाल, एमडी अपैक्स बैंक श्री प्रदीप नीखरा, अपर आयुक्त सहकारिता श्री आर.सी. घिया सहित दोनों संभागों के जिला सहकारी बैंकों के प्रशासक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी तथा सभी संबंधित उपस्थित थे।

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ
अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ
श्री उदयसिंह नगपुरे (प्रशासक)
श्री पी.के. सिद्धार्थ (संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री आलोक दुबे (प्रभारी उपायुक्त सहकारिता)
श्री व्ही.एस. कुर्मी (वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. बालाघाट

जन-जन के लाड़ले नेता श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट
मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ
समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण
सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ
श्री बी.एल. मकवाना (संयुक्त आयुक्त सहकारिता)
श्री पी.एन. गोडरिया (प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)
श्री आलोक कुमार जैन (वरिष्ठ महाप्रबंधक)
सौजन्य से : इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक लि., रतलाम

दोष-सिद्ध प्रकरणों में पूरी पेंशन रोकी जाए : गोविंदसिंह

भोपाल। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति की मंत्रालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि दोष-सिद्ध सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संपूर्ण पेंशन स्थाई रूप से रोकी जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवक दोषी नहीं पाए जाते हैं, उनमें पेंशन न रोकी जाए तथा जिनमें वे आंशिक दोषी पाए जाते हैं, उनमें उनकी आंशिक पेंशन एक नियत अवधि के लिए रोकी जाए। बैठक में कुल 12 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें लोक निर्माण विभाग के 4, पंचायत विभाग के 2, ग्रामीण विकास विभाग के 4 तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के 2 प्रकरण थे। इनमें से 5 दोष-सिद्ध सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संपूर्ण पेंशन स्थाई रूप से रोके जाने का निर्णय लिया गया। दो प्रकरणों में विभागीय जांच की अनुमति प्रदान की गई तथा एक प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। शेष 4 प्रकरणों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पेंशन आंशिक रूप से एक नियत अवधि के लिए रोके जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्त मंत्री श्री तरूण भनोट, लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा, गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री के.के. सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

दस हजार सहकारी संस्थाओं के पंजीयन निरस्त होंगे

भोपाल। सहकारिता आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल ने निर्देश दिये है कि परिसमापन में लाई गई जिला सहकारी कृषि विकास बैंकों सहित प्रदेश की लगभग 10 हजार सहकारी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की जाए। श्री अग्रवाल ने सहकारिता अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में कहा कि आगामी तीन महीनों में इनमें से कम से कम 25 प्रतिशत संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन से इन संस्थाओं को प्राप्त ऋण के विरूद्ध इनकी विभिन्न परिसम्पत्तियों को शासन को हस्तांतरित करने आदि की कार्रवाई तय मापदण्डों के अनुरूप की जाएगी। इन संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के शासन के दूसरे विभागों में संविलियन की कार्रवाई 31 दिसम्बर 2019 तक पूरी कर ली जाए।

बैठक में 11 सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों शहडोल, सिवनी, भिंड, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, रायसेन, मंदसौर, खरगोन, देवास, बालाघाट एवं उज्जैन द्वारा बकाया ऋणों को एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत शून्य ब्याज दर पर जिला सहकारी बैंकों को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। शेष 27 बैंकों को कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत परिसमापकों द्वारा बैंकों की अस्तियों एवं दायित्वों की स्थिति के प्रकाशन की कार्रवाई के अंतर्गत केवल 4 बैंकों छिंदवाड़ा, मंदसौर, राजगढ़ एवं उज्जैन द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई। शेष 34 बैंकों को इस संबंध में जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के पास जो अचल संपत्तियाँ हैं, उन्हें शासन द्वारा बैंकों को दिए गए ऋणों के विरूद्ध शासन को हस्तांतरित करने संबंधी प्रस्ताव शीघ्र राज्य स्तर पर भिजवाए जाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर आयुक्त सहकारिता श्री आर. सी. घिया सहित प्रदेश के सभी जिलों के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक, परिसमापक अधिकारी आदि उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण	स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण	दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

सुश्री निधि निवेदिता
(कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक)

श्री आर.आर. सिंह
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री आर.एस. गौर
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री ए.के. जैन
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

समस्त किसान भाइयों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण

सौजन्य से : श्री माँगीलाल शर्मा (शाखा प्रबंधक जीरापुर) । श्री रायसिंह दांगी (पर्यवेक्षक जीरापुर)
श्री सुरेन्द्रसिंह चौहान (शाखा प्रबंधक राजगढ़) । श्री मोहनलाल शर्मा (पर्यवेक्षक राजगढ़)

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. जीरापुर, जिला राजगढ़ श्री भगवानसिंह पंवार (प्रबंधक)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. भानपुरा, जिला राजगढ़ श्री कालूसिंह मालवीय (प्रबंधक)
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कोडक्या, जिला राजगढ़ श्री वीरेन्द्र सुमन (प्रबंधक)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. करेड़ी, जिला राजगढ़ श्री मोहनलाल शर्मा (प्रबंधक)
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. झाड़मऊ, जिला राजगढ़ श्री कालूसिंह दांगी (प्रबंधक)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. चाटूखेड़ा, जिला राजगढ़ श्री रामबाबू सिसोदिया (प्रबंधक)
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सादलपुर, जिला राजगढ़ श्री वीरेन्द्र सुमन (प्रबंधक)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. फूलखेड़ी, जिला राजगढ़ श्री यादवप्रसाद शर्मा (प्रबंधक)
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. परोलिया, जिला राजगढ़ श्री रायसिंह दांगी (प्रबंधक)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कालीपीठ, जिला राजगढ़ श्री रामबाबू सिसोदिया (प्रबंधक)
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. धत्रावदा, जिला राजगढ़ श्री कालूसिंह मालवीय (प्रबंधक)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. पिपलबेह, जिला राजगढ़ श्री मोहनलाल शर्मा (प्रबंधक)
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. गागरोनी, जिला राजगढ़ श्री कालूसिंह मालवीय (प्रबंधक)	प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. माचलपुर, जिला राजगढ़ श्री रघुवीर खींची (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की

हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ

❊ कृषि उपकरण प्रदाय ❊ रासायनिक खाद विक्रय

श्री राजेन्द्र रोकड़े (प्रशासक)

सौजन्य से : जनहित विपणन सहकारी संस्था मर्या. करही, जि.खरगोन (मप्र)

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की

हार्दिक शुभकामनाएँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ

❊ कृषि उपकरण प्रदाय ❊ रासायनिक खाद विक्रय

श्री राधेश्याम चौहान (प्रशासक)

सौजन्य से : विवेकानंद विपणन सहकार संस्था मर्या. झिरन्या, जि.खरगोन (मप्र)

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ

कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

श्री आर.आर. सिंह
(प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्रीमती मीना डाबर
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री ए.के. हरसोला
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज

आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. रायसेन

इंदौर संभाग में इस वर्ष रबी का रकबा बढ़ेगा

इंदौर। इंदौर संभाग में इस वर्ष के मानसून सत्र में सामान्य और गत वर्ष की तुलना में हुई अधिक वर्षा को देखते हुए रबी में गेंहू तथा अन्य रबी फसलों का रकबा बढ़ाया जायेगा। संभाग में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये रबी के दौरान अंतरवर्तिय फसलों तथा फसलों की विविधता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जैविक खेती तथा उद्यानिकी की फसलों को प्रोत्साहित किया जायेगा। इंदौर संभाग में रबी के दौरान किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज सहित अन्य कृषि आदानों उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। इसके लिये जिला स्तर पर सुक्ष्म कार्य योजना बनाकर उसका प्रभावी क्रियांवयन किया जायेगा।

यह जानकारी आज यहाँ कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल की अध्यक्षता में संपन्न हुई उच्च स्तरीय संभागीय समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी, कमिश्नर सहकारिता श्री एम.के. अग्रवाल, एम.डी. मार्कफेड श्रीमती स्वाति मीना, संचालक कृषि श्री मुकेश शुक्ला, संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजू चौधरी, सुश्री सोफिया फारूकी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और संभाग के जिलों के कलेक्टर तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने गत खरीफ के दौरान इंदौर संभाग के कुल रकबा, उसमें बोई गई फसल, उत्पादन और उत्पादकता आदि की जिलेवार समीक्षा की। इसी तरह उन्होने इस वर्ष के रबी मौसम के कुल रकबे, बोनी के लक्ष्य, बीज-खाद एवं कीटनाशक दवाईयों की मांग, उपलब्धता, वितरण आदि व्यवस्थाओं की जिलेवार समीक्षा की। उन्होने निर्देश दिये कि संभाग में किसानों को उनकी मांग के अनुसार समय पर खाद-बीज सहित अन्य कृषि आदान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाये। बीजों की उपलब्धता, सहकारिता और शासकीय क्षेत्र की संस्थाओं के माध्यम से अधिक से अधिक की जाये। खाद की मांग का वास्तविक आंकलन कर भण्डारन सुनिश्चित कर किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाये। संभाग में खरीफ के दौरान फसलों की विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाये। अंतरवर्तिय फसलों को प्रोत्साहित किया जाये। मौसम की अनुकूलता एवं मिट्टी की उर्वरकता को देखते हुए फसलों का चयन कर बुआई कराई जाये। कीट व्याधियों का समय पर निदान कर उसका उपचार कराया जाये। कृषि यंत्रों का अनुदान समय पर वितरित हो यह ध्यान रखा जाये।

इंदौर संभाग जैसा अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा

संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने बैठक में इंदौर संभाग में चल रहें कृषि कार्यो की जानकारी दी। उन्होने बताया कि संभाग में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक नवाचार किये जा रहें है। इसके साथ ही संभाग में किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज सहित अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाये। बैठक में संभागायुक्त श्री त्रिपाठी ने बताया कि गत खरीफ के दौरान गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज सहित अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अभियान चलाये जा रहें है। इस अभियान के अंतर्गत बीज, खाद एवं कीटनाशक औषधियों के 3 हजार 312 नमूने लिये गये। इनमें से 144 नमूने अमानक पाये गये। फलस्वरूप 114 लाइसेंस निरस्त किये गये, 11 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई तथा 06 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किये गये। इस तरह का अभियान रबी मौसम में भी चलाया जायेगा।

किसानों को योजनाओं का लाभ तय समय में देने के निर्देश

भोपाल। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप उद्यानिकी फसलों का भोपाल और नर्मदापुरम सम्भाग में रकबा बढ़ाया जाए। उन्होंने कृषि यंत्रीकरण के लाभ किसानों तक सुनिश्चित करने के साथ ही किसानों को फसल चक्र बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए है। वे आज समन्वय भवन, भोपाल में खरीफ सीजन की समीक्षा और रबी की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन श्री मनोज श्रीवास्तव, कृषि विभाग के श्री अजीत केसरी, मत्स्य पालन विभाग के श्री अश्विनी राय, कमिश्नर भोपाल श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, नर्मदापुरम कमिश्नर श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा के अलावा दोनों संभाग के कलेक्टर तथा उत्पादन गतिविधियों से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता की समीक्षा बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने कहा कि भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के समस्त कलेक्टर्स एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कृषि क्षेत्र के विकास और खेती को अधिक उत्पादक बनाने के प्रयास करें। समीक्षा के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि जैविक खेती के लिये पर्याप्त भंडारण संरचनायें तैयार की जाए। भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के जिलों में बीज की कमी नहीं हो पाये इसके लिये जिला कलेक्टर्स मार्क फेड और बीज निगम से सतत सम्पर्क बनाये रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही रबी की फसलों का रकबा बढ़ाये जाने पर नर्मदापुरम संभाग की सराहना भी की गई। बैठक में उत्पादन बढ़ाने के लिए माइक्रोप्लानिंग तैयार किये जाने पर जोर दिया गया। इस वर्ष अत्यधिक वर्षा से सोयाबीन की उत्पादकता कम होने पर चिंता व्यक्त की गई तथा कलेक्टर्स से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि रबी के सीजन में किसानों को बीज खाद और उर्वरक की कमी नहीं हो। कृषि में नवाचार के लिये वैज्ञानिकों का पूरा सहयोग लेने की बात कही है।

बैठक में अमानक खाद बीज नहीं बिकने देने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये। इस दौरान किसान ऋण माफी योजना की समीक्षा की गई तथा विभिन्न तरह की अनुदान योजनाओं का तय समय सीमा में किसानों लाभ देने के निर्देश दिए गए। अंत में कलेक्टर और कमिश्नर से भी उनके विचार जाने गये। कलेक्टर्स ने विभिन्न योजनाओं में तेजी से काम करने का भरोसा दिलाया।

भोपाल संभागायुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव और नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री आर.के.शर्मा ने कहा कि संभाग के सभी कलेक्टर्स जिलों में कोल्ड स्टोरेज, चारागाह, फिशरीज तथा जी आई मेपिंग के माध्यम से मानीटरिंग करें और हर प्रकार से प्रत्येक जिंस की उत्पादकता बढ़े इसके लिए मानीटरिंग की जायेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने समीक्षा के दौरान संभागायुक्त एवं समस्त कलेक्टर्स की अब तक के लिए कार्यों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि हमें और कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में विस्तार करना है।

अमानक खाद बिक्री पर कृषि विभाग सख्त

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव के निर्देश पर विभागीय अमले ने अमानक खाद बिक्री पर सख्त रवैया अख्तियार किया है। तीन उर्वरक कम्पनियों के प्रमुखों पर केस दर्ज किया गया है और 5 अन्य कम्पनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। एडवांस क्रॉप केयर के एमडी श्री आशीष तिवारी, धनलक्ष्मी बायोकेन अहमदाबाद के एमडी श्री मुकेश जटानिया तथा आर.एम. फॉस्फेट एण्ड केमिकल महाराष्ट्र के मार्केटिंग मैनेजर श्री मुकुन्द धजेकर पर अमानक उर्वरक पाये जाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त बालाजी एग्रो ऑग्रेनिक्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, मोनी मिनरल्स एण्ड ग्राइंडर्स, रायल एग्रीटेक, त्र्यम्बकेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज और एग्रोफॉस इंडिया लिमिटेड में अनियमितताएँ पाये जाने पर इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। प्रदेश में एक अप्रैल से 30 सितम्बर 2019 तक अमानक खाद बिक्री के प्रदेश में 5751 नमूने प्रयोगशाला में भेजे गये, जिनमें से 5619 नमूनों की जांच हुई। इनमें से 5220 नमूने मानक तथा 399 नमूने अमानक सिद्व हुए। अमानक नमूनों का विक्रय प्रतिबंधित कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में बनेंगे नये हार्टिकल्चर हब

भोपाल। होशंगाबाद तथा छिन्दवाड़ा जिले में नये हार्टिकल्चर हब की स्थापना की जाएगी। इसके लिये उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग द्वारा होशंगाबाद जिले के बाबई में 114 एकड़ भूमि तथा छिन्दवाड़ा में 100 एकड़ भूमि विकसित औद्योगिक क्षेत्र में चिन्हित की गयी है।

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण	स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री सुनील सिंह
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)

श्री एस.के. भारद्वाज
(परिष्ट महाप्रबंधक)

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

सौजन्य से

श्री प्रीतम शर्मा (शा.प्र. मल्हारगढ़)	श्री ओमप्रकाश धाकड़ (शा.प्र. भेसोदा)	श्री अश्विनी शर्मा (शा.प्र. नीमच सिटी)	श्री कुँवर लाल मारू (शा.प्र. जीरन नीमच)
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. मल्हारगढ़, जि.मंदसौर श्री यदुनंदन बड़वाल (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. पिपलोन, जि.नीमच श्री केशरसिंह परिहार (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बरखेड़ापंथ, जि.मंदसौर श्री अशोक रावल (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. कनावटी, जि.नीमच श्री मदन पाटीदार (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. पहेड़ा, जि.मंदसौर श्री राधेश्याम जोशी (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. जावी, जि.नीमच श्री हिम्मतसिया जैन (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बरखेड़ादेव डुंगरी, जि.मंदसौर श्री राधेश्याम जोशी (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. नेवड़, जि.नीमच श्री हरिसिंह चन्द्रावत (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. भैसोदा, जि.मंदसौर श्री गुलाबचंद्र गुप्ता (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. कानाखेड़ा, जि.नीमच श्री सुरेश नागदा (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. थुआखेड़ी, जि.मंदसौर श्री रामेश्वर रावत (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. जीरन, जि.नीमच श्री गौतमलाल अहीर (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. बोरदा, जि.मंदसौर श्री रामेश्वर रावत (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. कोट इश्तमुरार, जि.नीमच श्री तखतसिंह शक्तावत (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. नीमच सिटी, जि.नीमच श्री प्रकाशचंद्र जैन (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. हरवार, जि.नीमच श्री विक्रमसिंह सोनगरा (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. गिरदौड़ा, जि.नीमच श्री विष्णु नागदा (प्रबंधक)		प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. चल्दू, जि.नीमच श्री मांगूसिंह शक्तावत (प्रबंधक)	
प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या. पालसोड़ा, जि.नीमच श्री गोविन्द व्यास (प्रबंधक)			

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

मध्यप्रदेश के लाड़ले मुख्यमंत्री
माननीय श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

श्री विजय चौधरी
(प्रशासक)

श्री पी.के. सिद्धार्थ
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री जी.एस. डेहरिया
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)

श्री के.के. सोनी
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री रत्नाट पाटकर (शा.प्र. अमरवाड़ा)
श्री पी.एस. चौरे (शा.प्र. हर्रई)
श्री शिवराम चौरे (शा.प्र. चाँद)
श्री अनिल माहोरे (शा.प्र. उमेगाँव)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. अमरवाड़ा, जि.छिंदवाड़ा
श्री मदन वर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सिंगोड़ी, जि.छिंदवाड़ा
श्री शेख सलाम अंसारी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बड़ेगाँव, जि.छिंदवाड़ा
श्री प्रकाश वर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सेजा, जि.छिंदवाड़ा
श्री लक्ष्मीप्रसाद बोपचे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खिरेटी, जि.छिंदवाड़ा
श्री प्रकाश वर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. छुई, जि.छिंदवाड़ा
श्री जगदीश वर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. घोघरी, जि.छिंदवाड़ा
श्री शम्भू शुक्ला (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हर्रई, जि.छिंदवाड़ा
श्री सुधीर चौकसे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बटकाखापा, जि.छिंदवाड़ा
श्री जयकुमार रघुवंशी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. परतापुर, जि.छिंदवाड़ा
श्री अखलेश सूर्यवंशी (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पाला चौराई, जि.छिंदवाड़ा
श्री राकेश चौकसे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सुरलाखापा, जि.छिंदवाड़ा
श्री जावेद खान (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चुर्री साजवा, जि.छिंदवाड़ा
श्री विद्याभूषण पांडे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. धनोरा, जि.छिंदवाड़ा
श्री कैलाश साहू (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चाँद, जि.छिंदवाड़ा
श्री जयकेश भारद्वाज (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मेघदोन, जि.छिंदवाड़ा
श्री रामसिंह साहू (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. डुंगरिया, जि.छिंदवाड़ा
श्री रहीम खान (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खापाकलां, जि.छिंदवाड़ा
श्री जगदीश प्रसाद चौरे (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कुहिया, जि.छिंदवाड़ा
श्री सुनील यादव (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पंचगाँव, जि.छिंदवाड़ा
श्री श्रीराम चौरसिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बांका नागपुर, जि.छिंदवाड़ा
श्री अनिल चौरसिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जुन्नारदेव, जि.छिंदवाड़ा
श्री अरुण सोनी (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

7 माह में साढ़े ग्यारह करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. (मनरेगा) ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने में वरदान सिद्ध हुई है। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में गत अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2019 तक साढ़े ग्यारह करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है, जो लक्ष्य की 57 प्रतिशत उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण अंचल में स्थानीय लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराई जा रही है तथा मशीनों के उपयोग को कड़ाई से रोका गया है।

कमलेश्वर पटेल

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्य तेजी से संचालित कराये जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 3 लाख 10 हजार 176 निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं। इनमें 71.54 प्रतिशत कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की गतिविधियों पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष मात्र 48.16 प्रतिशत कार्य कराये गये।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि मनरेगा की मंशानुरूप रोजगार की गतिविधियों में महिला श्रमिकों की 33 प्रतिशत भागीदारी का प्रावधान है। मध्यप्रदेश ने इस प्रावधान से अधिक 38 प्रतिशत महिला श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 हजार से अधिक परिवारों को 100 दिवस रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश में कुल आवंटित बजट का 69 प्रतिशत मजदूरी पर तथा मात्र 31 प्रतिशत मटेरियल पर खर्च किया गया है, जो एक रिकार्ड है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार ने मशीनों के उपयोग के लिये किसी भी तरह की छूट नहीं चाही है।

भाप्रसे के 9 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

भोपाल। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार श्री पी. नरहरि सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव नगरीय विकास एवं आवास को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव नगरीय विकास एवं आवास और अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त जनसम्पर्क का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। श्री अनय द्विवेदी अपर आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर को प्रबंध संचालक कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक मण्डी पदस्थ किया गया है।

पी. नरहरि

श्री विकास नरवाल प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इंदौर को संचालक जनसम्पर्क तथा कार्यपालक संचालक म.प्र. माध्यम पदस्थ किया गया है। श्री चन्द्रमौलि शुक्ला उप सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तथा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सह विशेष परियोजनाओं को प्रबंध संचालक औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर पदस्थ किया गया है। श्री कुमार पुरूषोत्तम औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर को प्रबंध संचालक म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इंदौर, श्री डी.पी. आहूजा आयुक्त वाणिज्यिक कर इंदौर को आयुक्त तथा पदेन सचिव उच्च शिक्षा, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह आयुक्त एवं पदेन सचिव उच्च शिक्षा को आयुक्त वाणिज्यिक कर, इंदौर, श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव सचिव मंत्रालय को आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त ग्वालियर, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड भोपाल तथा आयुक्त सह-संचालक नगर एवं ग्राम निवेश (अतिरिक्त प्रभार) को संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास और अतिरिक्त प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया गया है।

इस वर्ष 119.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होंगी रबी फसलें

भोपाल। प्रदेश में इस वर्ष रबी सीजन की प्रमुख फसलों की 119.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी संभावित है। कृषि विभाग के आकलन के आधार पर इस वर्ष अनाज और दलहन सहित कुल खाद्यान्न की 109 लाख हेक्टेयर में बोनी संभावित है। इसमें गेहूँ 64 लाख हेक्टेयर तथा जौ और अन्य अनाज की 1.35 लाख हेक्टेयर में बोनी संभावित है। इसी प्रकार, दलहन में चना 34.15 लाख हेक्टेयर, मटर 3.50 लाख हेक्टेयर, मसूर 5.50 लाख हेक्टेयर तथा अन्य दालों की 50 हजार हेक्टेयर में बोनी होगी। रबी 2019-20 में तिलहन में प्रमुख रूप से रेपसीड/सरसों 7.50 लाख हेक्टेयर और अलसी तथा अन्य तिलहन की बोनी 1.68 लाख हेक्टेयर में आकलित है।

1858 हजार हेक्टेयर में क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य निर्धारित

उज्जैन। उज्जैन संभाग के सभी जिलों में रबी 2019-20 में 1858 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विगत वर्ष 2018-19 में 1698 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल बोई गई थी। इस बार वर्षा अच्छी होने से रकबा बढ़ाया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री प्रभांशु कमल की अध्यक्षता में आज सिंहस्थ मेला कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागायुक्त श्री अजीत कुमार, सहकारिता आयुक्त श्री एमके अग्रवाल, मप्र विपणन बोर्ड की प्रबंध संचालक श्रीमती स्वाति मीणा, बीज विकास निगम की प्रबंध संचालक श्रीमती सुफिया फारूकी वली, कृषि विभाग के सचिव श्री मुकेश शुक्ला, उज्जैन संभाग के सभी जिलो के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रभांशु कमल ने निर्देश दिये कि संभाग में विभिन्न जिलों में रबी फसल के लिये आवश्यक बीज के क्रय के आदेश देते समय सभी जिलों के कृषि विभाग के उप संचालक यह ध्यान रखें कि मप्र बीज विकास निगम एवं राष्ट्रीय बीज विकास निगम से ही अधिकांश बीज खरीदे जायें। जब इन दोनों संस्थाओं के पास बीज की उपलब्धता न हो, तभी निजी संस्थाओं से बीज क्रय किया जाये। उन्होंने जिलों से की गई बीज की मांग के बारे में जिला कलेक्टर्स से पूछा कि जब जिलों में गेहूं का रकबा बढ़ रहा है तो उर्वरक की मांग गत वर्ष से कम क्यों है। उन्होंने इस बात का परीक्षण कर मांग का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिये हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त ने अमानक बीज, अमानक खाद एवं कीटनाशक दवाईयों की बिक्री पर नजर रखने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा है। बैठक में बताया गया कि बारिश अधिक होने से संभाग में किसानों ने गेहूं का रकबा बढ़ाया है और चने का घटाया गया है।

बैठक में संभाग के विभिन्न जिलों में खाद की उपलब्धता की समीक्षा की गई तथा बताया गया कि सभी जिलों में उर्वरक का पर्याप्त भण्डारण है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने निर्देश दिये कि सभी जिलों के कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि निजी क्षेत्र में युरिया का अनावश्यक भण्डारण न हो एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न न किया जाये। उन्होंने कहा है कि सभी कलेक्टर्स उप संचालक के माध्यम से निजी क्षेत्र में आने वाले युरिया के भण्डारण की जानकारी प्राप्त करें तथा डीलर से सब-डीलर के बीच जिले में युरिया का मूवमेंट किस तरह हो रहा है, इस पर भी नजर रखें।

प्रस्तावित रबी कार्यक्रम के अनुसार उज्जैन जिले में 320 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 130 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चना, मंदसौर जिले में 190 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चना, नीमच जिले में 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चना, रतलाम जिले में 174 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 74.50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चना, देवास जिले में 190 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 150 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चना, शाजापुर जिले में 176 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चना, आगर-मालवा जिले में 69 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 56 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में चने की बोवाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि किसानों को केवल एक ही फसल पर आधारित नहीं रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में कृषि विभाग को जागरूकता लाकर किसानों को समझाईश देना होगी।

बैठक में खरीफ 2019 की समीक्षा भी की गई तथा बताया गया कि अतिवृष्टि के कारण इस बार सोयाबीन का उत्पादन संभाग में आधे से भी कम रह गया है। इसी तरह मक्का की पैदावार भी कम हुई है। रतलाम कलेक्टर ने बताया कि नीलगाय के कारण मक्का को अत्यधिक नुकसान होता है। इस कारण किसान मक्का नहीं बो रहे हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त ने समीक्षा के दौरान पाया कि आगर एवं मंदसौर जिले में किसानों को अनुदान पर दिये जाने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान की राशि सत्यापन के उपरान्त भी उनके खाते में जमा नहीं की गई है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम पर जिले के कलेक्टर सीधे नजर रखें एवं किसानों को आगामी दो-तीन दिनों में उक्त अनुदान की राशि दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण • खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड • कृषि यंत्र के लिए ऋण • दुग्ध डेयरी योजना

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

डॉ. श्रीकांत पाण्डेय
(कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक)

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री मनोज गुप्ता
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री मुकेश बार्चे
(वरिष्ठ सहायक)

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

सौजन्य से

श्री सत्यनारायण अग्रवाल (शा.प्र. कन्नौद), श्री छगनसिंह वर्मा/श्री मनोज कुमार तोमर (पर्यवेक्षक कन्नौद)
श्री प्रकाश शर्मा (शा.प्र. खातेगाँव), श्री राजेन्द्रसिंह राजावत/श्री लखनलाल यादव (पर्यवेक्षक खातेगाँव)

आ.जा. सेवा सह.संस्था मर्या. कन्नौद, जि.देवास
श्री सुभाष तिवारी (प्रबंधक)

आ.जा. सेवा सह.संस्था मर्या. कुसमानिया, जि.देवास
श्री दिलीप भारतीय (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. डोकाकुई, जि.देवास
श्री हरेन्द्र सिंह सेंधव (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. डोंगराखेड़ा, जि.देवास
श्री जगदीश शर्मा (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. ननासा, जि.देवास
श्री संतोष व्यास (प्रबंधक)

आ.जा. सेवा सह.संस्था मर्या. थूरिया, जि.देवास
श्री पुरुषोत्तम चौबे (प्रबंधक)

आ.जा. सेवा सह.संस्था मर्या. बावड़ीखेड़ा, जि.देवास
श्री मोतीलाल मीणा (प्रबंधक)

आ.जा. सेवा सह.संस्था मर्या. पानीगाँव, जि.देवास
श्री मनोज जाट (प्रबंधक)

आ.जा. सेवा सह.संस्था मर्या. बिजवाड़, जि.देवास
श्री सतीश जोशी (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. कलवार, जि.देवास
श्री ओमप्रकाश जोनवाल (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. खारपा, जि.देवास
श्री संतोष शर्मा (प्रबंधक)

वृह.सेवा सह.संस्था मर्या. खातेगाँव, जि.देवास
श्री दिनेश चौहान (प्रबंधक)

वृह.सेवा सह.संस्था मर्या. अजनास, जि.देवास
श्री सुरेशचंद्र जोशी (प्रबंधक)

वृह.सेवा सह.संस्था मर्या. इकलेरा, जि.देवास
श्री महेन्द्रसिंह राजावत (प्रबंधक)

वृह.सेवा सह.संस्था मर्या. जियागाँव, जि.देवास
श्री रामकृष्ण पटेल (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. सोमगाँव, जि.देवास
श्री बलराम यादव (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. पीपल्या नानकर, जि.देवास
श्री कैलाश मीणा (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. हरणगाँव, जि.देवास
श्री गजानंद शुक्ला (प्रबंधक)

आ.जा. सेवा सह.संस्था मर्या. विक्रमपुर, जि.देवास
श्री दिनेशचंद्र शर्मा (प्रबंधक)

आ.जा. सेवा सह.संस्था मर्या. पटरानी, जि.देवास
श्री कमलसिंह अरोरा (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. खल, जि.देवास
श्री महेन्द्र शर्मा (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. कांकरिया, जि.देवास
श्री संतोष जायसवाल (प्रबंधक)

सेवा सह.संस्था मर्या. मुरझाल, जि.देवास
श्री मनोहर पँवार (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण • खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड • कृषि यंत्र के लिए ऋण • दुग्ध डेयरी योजना

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री राजेश क्षत्री
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)

श्री एस.के. खरे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

सौजन्य से

श्री कमल किशोर मालवीय (शा.प्र. साँवेर) श्री सदाशिव बौरासी (शा.प्र. क्षिप्रा, इंदौर) श्री ओमप्रकाश चौहान (शा.प्र. मांगल्या)
श्री माँगीलाल पटेल (पर्य. साँवेर) श्री हरीश पाण्डेय (पर्यवेक्षक क्षिप्रा, इंदौर) श्री धर्मेन्द्र चौहान (पर्य. मांगल्या)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पाचोला, जिला इंदौर
श्री तेजराम मालवीय (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पुर्वार्डा हप्पा, जिला इंदौर
श्री विजयसिंह ठाकुर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. राजोदा, जिला इंदौर
श्री सुभाष चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. डकाच्या, जिला इंदौर
श्री माखनलाल पटेल (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कुडाना, जिला इंदौर
श्री सुभाष चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या.गुराण, जिला इंदौर
श्री विजयसिंह ठाकुर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. दर्जी कराड़िया, जिला इंदौर
श्री जितेन्द्र राठौर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या.बरलाई, जिला इंदौर
श्री हरीश पाण्डेय (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. सांवेर, जिला इंदौर
श्री माँगीलाल पटेल (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पलासिया, जिला इंदौर
श्री श्यामलाल पटेल (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. बड़ोदिया खान, जिला इंदौर
श्री जगदीश सोलंकी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. मांगल्या सड़क, जिला इंदौर
श्री धर्मेन्द्र चौहान (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. जामोदी, जिला इंदौर
श्री सुरेशचंद्र पिड़लाया (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. टोड़ी, जिला इंदौर
श्री अजबसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. सोलसिन्दा, जिला इंदौर
श्री रामलाल वर्मा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कदवालीखुर्द, जिला इंदौर
श्री कल्याणसिंह बारोड (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

सोयाबीन का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

इंदौर। लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर में सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तीसरी इंटरनेशनल कॉनक्लेव में कहा कि सोयाबीन की खेती तथा सोया इंडस्ट्रीज को संरक्षित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन की खेती से किसानों के जीवन में तेजी से सुधार आया और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। श्री वर्मा ने कहा कि आज सोयाबीन की खेती चुनौतियों का सामना कर रही है। इसे संरक्षित करने के लिये जरूरी है कि सोयाबीन इण्डस्ट्रीज के लोग किसानों से सीधे सोयाबीन खरीदें, जिससे उन्हें उपज का पूरा भाव समय पर मिल सके।

कार्यक्रम में सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. वेविस जैन, भारत सरकार के सीएसीपी चेयरमैन प्रो. विजय पॉल शर्मा और एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री सिलावट ने मंडला में अस्पताल का निरीक्षण किया

मंडला। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मण्डला में जिला अस्पताल पहुँचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने ब्लड बैंक और अन्य वार्डों में जाकर मरीजों से बातचीत की। श्री सिलावट निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर स्थल पर भी पहुँचे और व्यवस्थाएँ देखीं। श्री सिलावट ने शिविर में नेत्र उपचार के लिये की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने शिविर में मरीजों से भोजन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। शिविर में विधानसभा अध्यक्ष श्री एन.पी. प्रजापति, सांसद श्री विवेक तन्खा, वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी श्री तरूण भनोत, विधायक श्री नारायण पट्टा और डॉ. अशोक मर्सकोले भी शामिल हुए, व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा मरीजों मिले। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्रायसिकल, श्रवण यंत्र और वैसाखी प्रदान की गई। विधानसभा अध्यक्ष श्री एन.पी. प्रजापति ने शिविर में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिये रेफर किये गये मरीजों को बस द्वारा रवाना किया। 7 नवम्बर से 14 नवम्बर तक आयोजित इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में अन्य जिलों के मरीजों का भी स्वास्थ्य परीक्षण और सर्जरी की जा रही है।

श्री पटवारी फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से अलंकृत

नई दिल्ली। प्रदेश के उच्च शिक्षा तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी को केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ मंत्री अवार्ड से अलंकृत किया। श्री पटवारी को युवाओं में खासे लोकप्रिय होने तथा शराबबंदी, तालाब संरक्षण और किसानों के हितों की रक्षा के लिये सदैव सक्रिय रहने के कारण

सर्वश्रेष्ठ मंत्री का अवार्ड प्रदान किया गया है। फेम इंडिया सर्वश्रेष्ठ सम्मान एशिया पोस्ट और फेम इंडिया पत्रिका द्वारा देश में सर्वे के आधार पर चुने गये उत्कृष्ट मंत्रियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। सर्वे में व्यक्तित्व, छवि, कार्य क्षमता, जनमानस में प्रभाव, विकास की समझ, लोकप्रियता, दूरदर्शिता, कार्यशैली और ऑउटपुट को आधार बनाया गया है। मंत्री श्री जीतू पटवारी सर्वे में शामिल सभी मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ रहे।

पंजीयन क्र. 190/1985

PARASPAR SAHAYAK CO-OP. BANK LTD.

आरबीआई लायसेंस नं. 1388पी

परस्पर सहायक को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि.

म.प्र. सहकारी सोसायटी अधि. 1960 के अधीन पंजीकृत

39, काछी मोहल्ला, इंदौर (म.प्र.) फोन : 2536762

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

श्री छोटू शुक्ला
(अध्यक्ष)

वर्तमान वित्तीय स्थिति

अंश पूँजी	198.64 लाख
अमानतें	3126.52 लाख
ऋण अग्रिम	1688.83 लाख
कार्यशील पूँजी	4247.88 लाख

✲ सुविधाजनक व्यवहार समय ✲ लॉकर सुविधा
✲ भारत के सभी शहरों पर ड्राफ्ट सुविधा
✲ बैंक की किसी भी ब्रांच में व्यवहार की सुविधा
✲ सम्पूर्ण कम्प्यूटराइज्ड बैंक ✲ RTGS एवं CTS क्लियरिंग
✲ जीवन बीमा तथा जनरल इंश्युरेन्स की सुविधा+टू व्हीलर लोन

छोटू शुक्ला एवं परस्पर सहायक को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि.

मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ

✲ कृषि उपकरण प्रदाय ✲ रासायनिक खाद विक्रय

श्री आर.आर. बघेल (प्रशासक)

श्री शोभाराम पाटीदार (प्रबंधक)

सौजन्य से : विपणन सहकारी समिति मर्या. मनावर, जि.धार

म.प्र. सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ, भोपाल

प्रा. कृषि साख सहकारी समितियों की कार्यरत कर्मचारियों का प्रांतीय संगठन

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएँ

जन-जन के लाड़ले नेता एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई

अशोक मिश्रा (प्रांताध्यक्ष)

ओ.पी. गोस्वामी (प्रदेश उपाध्यक्ष)

अशोक राय (प्रदेश उपाध्यक्ष)

धनलाल बचले (प्रदेश महासचिव विधि)

राकेश चौबे (प्रदेश महासचिव वित्त)

शफी खान (प्रदेश प्रवक्ता)

सुभाष पंवार
मोहन पांडे
राजेश पटेरिया
(प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य)

बी.एस. चौहान (प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष)

के.पी. झाला (प्रदेश उपाध्यक्ष)

शेख सलाम अंसारी (प्रदेश कोषाध्यक्ष)

रामचन्द्र शर्मा (प्रदेश प्रवक्ता)

नैसर्गिक खेती प्रारंभ करे किसान : श्रीश्री रविशंकर

खरगोन। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने बोरांवा में खेती, अध्यात्म और तकनीकी शिक्षा पर किसानों और छात्रों के महा समागम अवसर पर कहा कि किसान ही जीवनाड़ी है। हमारे देश की परंपरा में लिखा है कि अन्नदाता सुखी भवः। किसान नैसर्गिक खेती को अब प्रारंभ कर दें। यह सबसे उपयुक्त समय है, जब हमे नैसर्गिक खेती प्रारंभ करना होगी। यह गलत धारणा है कि इससे लाभ नहीं है। हां इसमें मेहनत तो लगती है, जो अन्य कामों में भी जरूरी है। किसानों के नौजवान बच्चे भी नैसर्गिक खेती को अपना व्यापार बनाकर आत्मनिर्भर बनें। यहां के किसान मेहनतकश हैं। इस इलाके में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदेश्वर शिवलिंग घड़े जाते हैं, जो समूचे देश के तीर्थ स्थलों में स्थापित हैं। यहां के आदिवासी किसान भी आधुनिक और उत्तम खेती करते है।

जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जनसिंह वर्मा ने कहा कि अध्यात्म का पर्यायवाची है, तो वह श्रीश्री रविशंकर है। विश्व में अध्यात्म व देश का नाम रोशन करने में श्रीश्री रविशंकर सबसे पहले जाने जाते है। परिवार कल्याण व स्वास्थ्य मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कहा कि किसान प्रदेश के विकास और प्रगति का सूचक है। यह कार्यक्रम किसानों में जैविकता के नए रूप को सामने लाने के लिए आयोजित किया गया है। देश में सबसे अधिक अन्न प्रदान करने में हमारे प्रदेश का भी नाम आता है। कृषि, उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री सचिन यादव ने कहा कि किसान और नौजवान वर्तमान में सरकार के मुख्य बिंदु है। नौजवानो को नैसर्गिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जो युवा खेती से दूर हो रहे है, उन्हें नैसर्गिक खेती से जोड़कर उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

पूर्व केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री अरूण यादव ने कहा कि नैसर्गिक और जैविक खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए वे समूचे देश में भ्रमण करते रहते हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्व. सुभाष यादव को प्रभारी मंत्री श्री वर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट ने नमन करते हुए अदरांजलि दी। वहीं हजारों की संख्या में मौजूद किसानों ने अपने नेता को फोटो के आगे शीश नवाया और उन्हें अदरांजलि अर्पित की। श्रीश्री रविशंकर को कृषि मंत्री श्री यादव ने बकावां गांव में बने शिवलिंग और चांदी की शालंका भी भेंट की। वहीं पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री श्री यादव श्रीश्री रविशंकर को शॉल ओढ़ाकर चांदी का श्रीफल भेंट कर महोत्सव में आए किसानों की ओर से एक हल भी भेंट किया।

कार्यक्रम में स्व. सुभाष यादव की धर्मपत्नी श्रीमती दमयंती यादव, मप्र विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना लिखिराम कांवरे, विधायकों में बड़वाह के सचिन बिरला, भगवानपुरा केदारसिंह डाबर, मांधाता के नारायण पटेल, नेपानगर की श्रीमती सुमित्रा कास्डेकर, धरमपुरी पाचीलाल मेढ़ा, देपालपुर के विशाल पटेल, घटिया के रामलाल मालवीय, इंदौर के संजय शुक्ला, हाट पिपल्या के मनोज चौधरी, तराना के महेश परमार व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सिलदार पटेल, अपेक्स बैंक के प्रशासक अशोकसिंह, कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक सुनील पांडेय, कृषि संयुक्त संचालक श्री रेवासिंह सिसोदिया, खरगोन कृषि उपसंचालक एमएल चौहान, खरगोन उद्यानिकी उप संचालक केके गिरवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने श्री श्री रविशंकर जी का स्वागत किया। देश प्रदेश के विख्यात कृषि वैज्ञानिकों ने भी किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर विभिन्न जानकारियां दी। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने किसानों के लिए नैसर्गिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी और स्टॉल भी लगाएं। महोत्सव का संचालन सुप्रसिद्ध आरजे, एंकर और आवाज के जादूगर आशीष दवे ने किया।

कृषि क्षेत्र में भी रोजगारमूलक शिक्षा की आवश्यकता

भोपाल। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने राजभवन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि, जबलपुर और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि, ग्वालियर के कुलपतियों के साथ कृषि विकास एवं विस्तार और कृषि से होने वाली आमदनी को बढ़ाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय संचालन में आने वाली समस्याओं से अवगत होते हुए उसके समाधान के लिए कुलपतियों को आश्वस्त किया। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी, राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे और विधि अधिकारी श्री भरत पी. महेश्वरी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विभिन्न फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। राज्यपाल ने कहा अब हमें मल्टी क्रॉप पद्धति को अपनाते हुए खेती करनी चाहिए क्योंकि लगातार एक ही फसल बोये जाने से उत्पादन और मूल्यों में गिरावट आती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न फसलों के उत्पादन से एक उपज में हानि होने से अन्य उपज से भरपाई संभव है। राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय को अध्ययन और शोध के द्वारा निर्धारित करना चाहिए कि कितने प्रतिशत स्थान में कौन-सी फसल बोई जाए। उन्होंने जैविक खेती, जीरो बजट खेती और बागवानी के द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने और कृषि विश्वविद्यालय में नवाचार करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने किसानों को गोबर, गोमूत्र, बेसन और गुड़ से बनने वाली जीवामृत खाद का उपयोग करने की सलाह देने की जरूरत बताई। बैठक में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के कुलपति डॉ. प्रदीप कुमार बिसेन एवं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के कुलपति डॉ. एस.के. राव ने उपलब्धियों और समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया। राज्यपाल ने उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को यथाशीघ्र इन समस्याओं का निराकरण कर उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए।

श्री पटवारी से मिले एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के विजेता

भोपाल। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी से राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में मध्यप्रदेश का परचम फहराकर भोपाल लौटे एथलेटिक्स अकादमी के पदक विजेताओं ने टी.टी. नगर स्टेडियम में मुलाकात की। श्री पटवारी ने खिलाड़ियों को शाबाशी और बधाई देकर उनका उत्साहवर्धन किया।

मंत्री श्री पटवारी ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने दस पदक दिलाकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने चैम्पियनशिप में राष्ट्रीय रिकार्ड बनाने वाले खिलाड़ियों सहित सभी पदक विजेता खिलाड़ियों से प्रदर्शन संबंधी चर्चा की। इस अवसर पर एथलेटिक्स अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक श्री एस.के. प्रसाद, सहायक प्रशिक्षक श्री अमित गौतम, वीरेन्दर कुमार, श्री घनश्याम यादव और सुश्री अनुपमा श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। संचालक खेल और युवा कल्याण डॉ. एस.एल. थाउसेन ने बताया कि यह पहला अवसर है, जब मध्यप्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने पांच स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में तीन रिकार्ड भी स्थापित किए।

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ
❊ कृषि उपकरण प्रदाय ❊ रासायनिक खाद विक्रय

श्री नवीन मुहावरे (प्रशासक)

सौजन्य से : गणेश विपणन सहकारी संस्था मर्या. खरगोन (म.प्र.)

माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को
जन्मदिवस की
हार्दिक बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' के 10वें वर्ष में प्रवेश पर बधाइयाँ

खाद तो खाद, बीमा भी साथ
❊ कृषि उपकरण प्रदाय ❊ रासायनिक खाद विक्रय

श्री बसंत यादव (प्रशासक)

सौजन्य से : शक्ति विपणन सहकारी संस्था मर्या. गोगांवा, जि.खरगोन (म.प्र.)

मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

अमानतों पर अन्य वाणिज्यिक बैंकों से अधिक ब्याज
मुख्यमंत्री कृषक ऋण सहायता योजना का लाभ उठाएँ
आवास ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता उपकरण ऋण
कालातीत ऋण जमा पर 75 प्रश ब्याज की छूट

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन पर हार्दिक बधाइयाँ

श्री जगदीश कन्नौज
(प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री अम्बरीश वैद्य
(उपायुक्त सहकारिता झाबुआ)

श्री बी.एस. कोठारी
(उपायुक्त सहकारिता अलीराजपुर)

श्री गणेश यादव
(सांभागीय शाखा प्रबंधक अपेक्स बैंक इंदौर)

श्री पी.एन. यादव
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते' की 9वीं वर्षगाँठ पर हार्दिक बधाइयाँ

सौजन्य से : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. झाबुआ

फसल ऋणमाफी में को-ऑपरेटिव बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कृषि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों को खुशहाल करके ही हम देश की समृद्धि कर सकते हैं। सहकारिता आन्दोलन जहां-जहां सफल हुआ है, वहां सम्पन्नता आयी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों की आय को दोगुना करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां छोटी-छोटी जोत है, वहां सहकारिता के माध्यम से ही उन्नति हो सकती है। किसानों को फसल ऋणमाफी में कोऑपरेटिव बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

मुख्यमंत्री ने यह विचार उप्र कोऑपरेटिव बैंक लि के अपने आईएफएस कोड के माध्यम से आरटीजीएस-एनईएफटी सुविधा के शुभारम्भ अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रकृति है। तकनीक से जुड़कर ही सहकारिता को गति दी जा सकती है। उप्र कोऑपरेटिव बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय भुगतान प्रणाली की सीधी सदस्यता प्राप्त करने के पश्चात यह सुविधा प्रारम्भ की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उप्र कोऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों की कुल 1,287 शाखाओं में आरटीजीएस एवं एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वयं का प्लेटफॉर्म विकसित करना एक जनोपयोगी प्रयास है। इससे खाताधारकों को गुणवत्तापरक सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कोऑपरेटिव तंत्र को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री एमवीएस रामी रेड्डी ने कहा कि तकनीक के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं शुचिता का विकास होगा। उप्र कोऑपरेटिव बैंक लि. के सभापति श्री तेजवीर सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान पाठशाला का शुभारंभ

लखनऊ। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से बीज से लेकर बाजार तक पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए आवश्यक है कि किसानों को तकनीक से जोड़ा जाए, जिससे किसान को उत्पादक से उद्यमी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 (किसान पाठशाला)' के पंचम संस्करण का शुभारम्भ करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 (किसान पाठशाला)' की पुस्तिका का विमोचन तथा 'एप' भी लांच किया। उन्होंने फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर के 5 लाभार्थियों को ट्रैक्टर की चाभियां वितरित की। मुख्यमंत्री जी ने 'ऑर्गेनिक मैटर मिशन-2025' का भी शुभारम्भ किया। कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में 'द् मिलियन फार्मर्स स्कूल' एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से किसानों को उपज का सही मूल्य दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 'द् मिलियन फार्मर्स स्कूल' कार्यक्रम एक मॉडल के रूप में देश और विदेश में पहचान बना रहा है।

● **आचार्य पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक'**
अध्यक्ष : म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद
376, म.गाँ. मार्ग (बड़े गणपति के पास), इंदौर
फोन : 0731-2414181, मो. 9755014181

मेष

यह माह अत्यधिक खर्च और व्यर्थ की भागदौड़ के साबित होगा। आपकी परिवार के लोगों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। कार्यक्षेत्र में उन्नति और धनलाभ के योग बनेंगे। अधिकारियों से संभल कर व्यवहार करें।

वृषभ

विपरीत समय में परिजन का भरपूर सहयोग मिलेगा। मेहनत व परिश्रम की अधिकता रहेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। किसी अप्रिय घटना की आशंका है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। यात्रा का जोखिम न लें।

मिथुन

कार्यस्थल पर स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। मित्रों का कार्य में सहयोग मिलेगा। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। शुभ प्रवास होगा।

कर्क

घर परिवार में सुख शांति रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा। साझेदारी में लाभ मिल सकता है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। नवीन वस्त्र क्रय करने का मन बनेगा। सेहत से समझौता न करें।

सिंह

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा।

कन्या

दैनिक कार्य आसानी से हो जाएंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात मन को प्रसन्नता देगी। वाहन सुख प्राप्त होगा। भूमि, भवन क्रय करने की योजना बनेगी। प्रतिस्पर्धी निराश होंगे। वित्तीय पक्ष उत्तम।

तुला

सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। आवक बढ़ेगी। तय किए गए लक्ष्य प्राप्त होंगे। सरकारी कर्मचारी लाभ प्राप्त करेंगे। कामकाज के नए अवसर मिलेंगे। यात्रा लाभदायक रहेगी। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा।

वृश्चिक

राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। दांपत्य संबंध मधुर बनेंगे। मित्रों के सहयोग से योजना सफल होगी। व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन में विशेष ध्यान देना होगा। दुर्घटना का भय है।

धनु

बनते काम रुक सकते हैं। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शत्रु हावी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय उपयुक्त है। सरकारी कामकाज बनेंगे। भूमि, भवन क्रय करने की योजना बनेगी। प्रवास शुभ।

मकर

नौकरी के कार्य से यात्रा हो सकती है। आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ेगा। युवा वर्ग समय का सदुपयोग करेंगे। पुराने मित्र से मिलने पर मन प्रसन्न होगा। ईश्वर में आस्था बढ़ेगी। वाहन चलाने में सावधानी रखें।

कुम्भ

विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। प्रतिभा के बल पर सफलता के नित नए आयाम को स्पर्श करेंगे। धन की आवक खुलेगी। वाणी माधुर्य का लाभ मिलेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। खानपान में रुचि बढ़ेगी।

मीन

आलस्य का अनुभव करेंगे। नकारात्मकता को हावी न होने दें। कार्यों में अवरोध पैदा होंगे। पिता के स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पत्नी का सहयोग मिलेगा।

'जीरो' के सदमे से उबरी अनुष्का

अनुष्का अब फिल्में चुनने को लेकर बहुत गुणा-भाग लगा रही हैं। पिछली फिल्म 'जीरो' की असफलता से उन्हें जोर का धक्का लगा था। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि वह बहुत सोच-समझकर फिल्में साइन करेंगी। खबर है कि अब अनुष्का पर्दे पर रोमांस का छौंक लगाने वाली हैं। अनुष्का ने धमाकेदार वापसी करने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अनुष्का शर्मा यूं तो इन दिनों अपने पति विराट कोहली के साथ भूटान में छुट्टी मना रही हैं पर उनके करीबी सूत्रों से यह खबर मिली है कि उन्होंने एक रोमांटिक फिल्म साइन कर ली है। अनुष्का 'जीरो' के बाद से किसी ऐसी कहानी का इंतजार कर रही थीं, जो कि दिलचस्प होने के साथ-साथ सबसे हटकर हो। अब जाकर उनकी यह तलाश पूरी हुई है। 'जीरो' की रिलीज के बाद दर्शकों ने शाहरुख खान के साथ उन्हें भी खूब खरी-खोटी सुनाई थी। यही वजह है कि इसके बाद अनुष्का ने अपनी किसी फिल्म की घोषणा नहीं की। वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती थीं। कहा जा रहा है कि अब अनुष्का जिस फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हैं, उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह उनकी पिछली फिल्म की असफलता को धो देगी। फिल्म की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट होगा,वहीं, इसमें अनुष्का एक बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाली हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से फिल्म में अपने किरदार की तैयारी भी शुरू कर दी है। अनुष्का अपने प्रशंसकों को एक तगड़ा सरप्राइज देने वाली हैं।

आलिया को पसंद घर का खाना

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट का मानना है कि घर में पकाए गए भोजन की बात ही कुछ और होती है, ये सबसे स्वादिष्ट होते हैं, इतना ही नहीं आलिया को हमेशा से ही 'दाल-चावल' खाना बेहद पसंद है। आलिया ने बताया, घर का खाना सबसे अच्छा है। मुझे याद है कि जब भी मेरी मां मेरे लिए पास्ता बनाती थीं, मैं उनसे दाल-चावल मांगा करती थी। एक व्यंजन के तौर पर मैं हमेशा से ही दाल-चावल के काफी करीब रही हूं और मुझे यह काफी पसंद है। आलिया ने अपने कम्फर्ट फूड के तौर पर खिचड़ी को चुना। उन्होंने कहा, मेरा कम्फर्ट फूड खिचड़ी, फ्रेंच फाइज और दाल-चावल है। एक हेल्थ फूड के तौर पर मुझे सब्जियों और कार्बोहाइड्रेट्स की एक संतुलित मात्रा लेनी होती है। इनके अलावा, मुझे फल भी पसंद है। खुद को फिट कैसे रखती हैं? इस सवाल के जवाब में आलिया ने कहा, मेरी दिनचर्या में कई तरह की चीजें शामिल हैं। मैं कभी पिलाटेस करती हूं तो कभी स्विमिंग या बैडमिंटन खेलती हूं। मेरा मानना है कि हर रोज शारीरिक तौर पर सक्रिय रहना बेहद आवश्यक है। जब कभी व्यस्त शेड्यूल में से वक्त निकालना मुश्किल हो तब भी यह जरूरी है।

सभी फसलों के लिए उपयोगी

गंगा एवं जय जवान

NPK मिक्स फर्टिलाइजर

12:32:06 • 20:20:10
08:32:08 • 15:15:7½

देवपुत्र®

कार्बनिक खाद मिश्रण

सिटी कम्पोस्ट

वर्मी कम्पोस्ट

रत्नम

जिंक सल्फेट 21%

सिंगल सुपर फॉस्फेट

NPK मिक्स फर्टिलाइजर

12:32:06 • 20:20:10
08:32:08 • 15:15:7½

सभी सहकारी समितियों एवं विपणन संघ केन्द्रों पर उपलब्ध

दिव्यज्योति एग्रीटेक प्रा.लि.

चातक एग्रो (इं) प्रायवेट लिमिटेड

BPPL बालाजी फॉस्फेट्स प्रायवेट लिमिटेड

305, उत्सव एवेन्यू, 12/5, उषागंज (जावरा कम्पाउण्ड), इन्दौर (म.प्र.)

फोन: 0731-4064501, 4087471, मोबाइल: 98272-47057, 98270-90267, 94251-01385

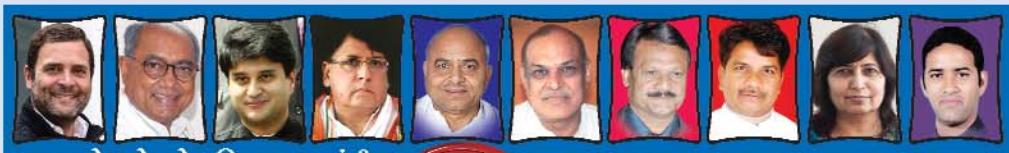

मध्यप्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्री कमलनाथजी को जन्मदिवस
की हार्दिक शुभकामनाएँ

समस्त किसानों को 0% ब्याज पर ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड | कृषि यंत्र के लिए ऋण | स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण | खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण

श्री जगदीश कन्नौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री मुकेश जैन
(उपायुक्त सहकारिता)

श्री के.के. रायकवार
(मुख्य कार्यपालन अधिकारी)

मासिक पत्रिका 'हरियाली के रास्ते'
की ९वीं वर्षगाँठ पर बधाइयाँ

सहकारिता विशेषांक के प्रकाशन
पर हार्दिक शुभकामनाएँ

सौजन्य से

श्री अफजल खान
(शा.प्र. निमरानी)

श्री डी.सी. यादव
(शा.प्र. गोगांवा)

श्री गोविन्द पाटीदार
(शा.प्र. टेमला)

श्री सुधीर डोकरे
(शा.प्र. मंडलेश्वर)

श्री विष्णु पाटीदार
(शा.प्र. महेश्वर)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. टेमला, जि.खरगोन
श्री शंकर मंडलोई (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. रजूर, जि.खरगोन
श्री सुखदेव पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मंडलेश्वर, जि.खरगोन
श्री सुनील पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. करोदिया, जि.खरगोन
श्री भँवरलाल पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. चोली, जि.खरगोन
श्री दौलतसिंह ठाकुर (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. महेश्वर, जि.खरगोन
श्री परमानंद पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मेहतवाड़ा, जि.खरगोन
श्री महादेव पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. आशापुर, जि.खरगोन
श्री त्रिलोकचंद यादव (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. निमरानी, जि.खरगोन
श्री शिवराम यादव (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. भोईन्दा, जि.खरगोन
श्री रणजीतसिंह मंडलोई (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. पीपलझोपा, जि.खरगोन
श्री सुरेश निकुम (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मिटावल, जि.खरगोन
श्री मुन्नालाल तेजी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. रतनपुर, जि.खरगोन
श्री महेन्द्र सिंह गौड़ (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. चैनपुर, जि.खरगोन
श्री बाबूलाल पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. आभापुरी, जि.खरगोन
श्री महेन्द्र सोलंकी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. पाडल्या, जि.खरगोन
श्री राधेश्याम अत्रे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. चिरिया, जि.खरगोन
श्री चरणदास राठौर (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. झिरन्या, जि.खरगोन
श्री सिगरदास सोलंकी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. गोगांवा, जि.खरगोन
श्री पर्वतसिंह गेहलोत (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. अंदड़, जि.खरगोन
श्री के.सी. यादव (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बिटनेरा, जि.खरगोन
श्री कांतिलाल सोलंकी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मानापुर, जि.खरगोन
श्री तरवरसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मर्दाना, जि.खरगोन
श्री राकेश बिर्ला (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक बृजेश त्रिपाठी द्वारा वी.एम. ग्राफिक्स, के-29, एलआयजी कॉलोनी, इंदौर से मुद्रित एवं 306/ए-ब्लॉक, शहनाई-।। रेसीडेंसी कनाड़िया रोड, इंदौर से प्रकाशित (फोन : 0731-2595563, 9752558186, 8989179472) संपादक : बृजेश त्रिपाठी प्रकाशन दिनांक : 17